

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना

दिनांक 27 जून, 2024

क्रमांक— मप्रविनिआ / 2024 / 1552. विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2)(यघ) सहपठित धारा 61 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें)
विनियम, 2024 {आरजी-26(V), वर्ष 2024}

प्रस्तावना (Preamble)

आयोग द्वारा पूर्व में वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 की नियन्त्रण अवधि हेतु इन विनियमों का पुनरीक्षण {आरजी-26 (IV), वर्ष 2020} अधिसूचित किया गया। अब आयोग ने केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि से संरेखित आगामी पांच वर्षों की नियंत्रण अवधि हेतु सिद्धांतों तथा क्रियाविधि को विनिर्दिष्ट करने का निर्णय किया है। अतएव, वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 तक आगामी पांच वर्षों की नियंत्रण अवधि के लिए उत्पादन टैरिफ के अवधारण हेतु इन विनियमों को बनाया जाना आवश्यक हो गया है।

अध्याय – 1

प्रारंभिक (Preliminary)

- संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारंभ (Short title, extent and commencement) :
 - ये विनियम “मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2024 {आरजी-26(V), वर्ष 2024}” कहलायेंगे।
 - इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये होगा।
 - ये विनियम दिनांक 01.04.2024 से प्रभावशील होंगे तथा जब तक आयोग द्वारा इनकी पूर्व में किसी प्रकार की समीक्षा न की जाए अथवा समयावधि का विस्तार न किया जाए, ये विनियम इनके प्रवृत्त होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 31.3.2029 तक प्रभावशील रहेंगे :

परन्तु जहां किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी किसी इकाई को इन विनियमों के प्रवृत्त होने की दिनांक से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित कर दिया गया हो तथा जिसकी विद्युत-दर (टैरिफ) उक्त तिथि तक

आयोग द्वारा अन्तिम रूप से अवधारित न की गयी हो, ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी किसी इकाई के प्रकरण में, जैसा कि लागू हो, विद्युत—दर (टैरिफ) का अवधारण दिनांक 31.03.2024 को समाप्त होने वाली अवधि तक, समय—समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियमक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2020 के अनुसार ही अवधारित किया जाएगा।

2. विस्तार तथा लागू की जाने की सीमा (Scope and extent of application) :

2.1 ये विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 सहपाठित धारा 86 के अन्तर्गत किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत के वितरण हेतु किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई के संबंध में (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित स्त्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों को छोड़कर) उत्पादन टैरिफ अवधारण के समस्त प्रकरणों पर लागू होंगे परंतु ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु लागू न होंगे जहां विद्युत—दर (टैरिफ) केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के अनुसार अभिनिश्चित की गई हो और जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के उपबन्धों के अन्तर्गत अपनाया गया हो।

2.2 निम्न प्रकरणों के लिये विद्युत—दर (टैरिफ) का अवधारण इन विनियमों के अधीन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत किया जाएगा :

एक. जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र को राज्य शासन के स्वामित्व वाली या नियंत्रणाधीन कम्पनी द्वारा एक चिन्हांकित विकासक (identified developer) के रूप में किया गया हो।

दो. विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र के विस्तार के प्रकरण में यदि उसे किसी दीर्घ—अवधि विद्युत क्रय अनुबन्ध के माध्यम से हितग्राहियों / लाभार्थियों को पूर्णतया या आंशिक तौर पर विद्युत आपूर्ति हेतु बंधित किया गया हो:

परन्तु यह कि निजी विकासकों हेतु विस्तार को विद्यमान क्षमता के शतप्रतिशत से अनाधिक एकल—बार अभिवृद्धि तक सीमित रखा जाएगा :

परन्तु आगे यह और भी कि विद्यमान उत्पादन की साझी अधोसंरचना को विस्तारित क्षमता हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा

विस्तारित क्षमता में नवीन प्रौद्योगिकी के प्रलाभ का विस्तार विद्यमान क्षमता हेतु किया जाएगा।

तीन. राज्य शासन द्वारा अधिसूचित नीति के अधीन विकसित परियोजनाओं की अधिकतम 35 प्रतिशत स्थापित क्षमता को, यदि कोई हो, तथा जिसे राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ बंधित किया गया हो।

चार. किसी जल विद्युत परियोजना के विकासक के पास उद्वहन संग्रहण संयन्त्र (Pump Storage Plants-PSP) को सम्मिलित करते हुए टैरिफ नीति, 2016 के अनुच्छेद 5.5 के अधीन निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दीर्घ अवधि विद्युत क्रय अनुबन्धों (PPAs) के माध्यम से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत आयोग के माध्यम से विद्युत-दर (टैरिफ) अवधारण कराये जाने का विकल्प विद्यमान होगा।

पांच. 100 मेगावाट रूपांकन क्षमता से अधिक क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के विकासकों बाबत जिन्हें टैरिफ नीति, 2016 अर्थात् दिनांक 28.01.2016 द्वारा जारी अधिसूचना से पूर्व कार्यस्थल आवंटन किये जा चुके हैं, के पास एक पारदर्शक प्रक्रिया के अनुसरण द्वारा तथा मानदण्डों के पूर्व निर्धारित समुच्चय के आधार पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन दीर्घ अवधि विद्युत क्रय अनुबन्ध के माध्यम से आयोग द्वारा विद्युत-दर (टैरिफ) का अवधारण कराये जाने का विकल्प विद्यमान होगा।

छ: कोयला वाशरी अस्वीकरणों (coal washery rejects) का उपयोग करने वाले विद्युत उत्पादन केन्द्र की विद्युत-दर (टैरिफ) तथा जिन्हें कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम द्वारा शासकीय कम्पनी तथा शासकीय कम्पनी को छोड़कर किसी अन्य कम्पनी द्वारा विकसित किया गया है, का अवधारण इन विनियमों के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु यह कि शासकीय कम्पनी तथा शासकीय कम्पनी को छोड़कर किसी अन्य कम्पनी के मध्य संयुक्त उपक्रम (joint venture) के प्रकरण में किसी अन्य कम्पनी का शेयर धारण (share holding) प्रत्यक्ष रूप से या फिर उसकी किसी सहायक कम्पनी (Subsidiary Company) या संबद्ध कम्पनी (Associate Company) के माध्यम से प्रदत्त शेयर पूँजी का 26 प्रतिशत से अधिक न होगा :

परन्तु आगे यह और कि ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई की विद्युत—दर (टैरिफ) के ऊर्जा प्रभार घटक का अवधारण कोयला वाशरी (coal washery) परियोजना की स्थाई लागत तथा परिवर्तनीय लागत के आधार पर किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि कोयला अस्वीकरणों (coal rejects) का सकल ऊर्जीय मान (Gross Calorific Value) वह होगा जैसा कि इसका मापन विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाए।

सात अन्य विद्युत उत्पादन केन्द्र जो उपरोक्त कंडिका एक से छः एवं विनियम 2.3 में सम्मिलित नहीं हैं।

2.3 अन्य कोई विद्युत उत्पादन केन्द्र जिन्हें उपरोक्तानुसार सम्मिलित न किया गया हो तथा आयोग द्वारा अवधारित की जाने वाली विद्युत—दर, वितरण अनुज्ञापिताधारियों के साथ विद्युत क्रय अनुबंध (PPA) धारित करते हो, को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन सम्मिलित किया जाएगा।

2.4 नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्रों {केवल उन्हें छोड़कर जिन्हें विनियम 2.2(1) के अधीन सम्मिलित किया गया है} हेतु विद्युत—दर (टैरिफ) जिस हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध दिनांक 05.01.2011 के पश्चात् हितग्राहियों/लाभार्थियों को विद्युत की आपूर्ति हेतु निष्पादित किये गये हैं, की प्राप्ति पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी तथा इस विधि के अनुसार प्राप्त की गई विद्युत—दर को आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अन्तर्गत अंगीकार कर लिया जाएगा :

परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन केन्द्र(ों) हेतु विद्युत—दर (टैरिफ) जिस/जिन हेतु हितग्राहियों/लाभार्थियों को विद्युत की आपूर्ति हेतु करार/अनुबन्ध 05.01.2011 को या उससे पूर्व निष्पादित किया गया है/किये गये हैं तथा कथित उत्पादन केन्द्र(ों) हेतु वित्तीय समापन (financial closure) की प्राप्ति भी पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 31.03.2024 तक न की जा सकी हो, का अभिनिश्चय भी पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा तथा इसे आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन अंगीकार (adopt) कर लिया जाएगा।

3. परिभाषाएं (Definitions):

3.1 इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो –

- (1) 'अधिनियम (Act)' से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 वर्ष 2003);
 - (2) 'अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (Additional Capital Expenditure)' से अभिप्रेत है किया गया पूंजीगत व्यय, अथवा जिसे इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के पश्चात् किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो ;
 - (3) 'अतिरिक्त पूंजीकरण (Additional Capitalisation)' से अभिप्रेत है आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त स्वीकार किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय ;
 - (4) 'स्वीकृत पूंजीगत लागत (Admitted Capital Cost)' से अभिप्रेत है पूंजीगत लागत जिसे आयोग द्वारा सुसंबद्ध विद्युत-दर (टैरिफ) विनियमों के अनुसार विधिवत युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात विद्युत-दर के माध्यम से सेवा-प्रदाय (Servicing) हेतु अनुज्ञेय किया गया हो ;
 - (5) 'सहायक सेवा (Ancillary Service)' का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड सहिता, 2024 में परिभाषित किया गया है ;
 - (6) 'सहायक ऊर्जा खपत (Auxiliary Energy Consumption or 'AUX')' से किसी अवधि के सन्दर्भ में अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन केन्द्र के सहायक उपकरण जैसे कि विद्युत उत्पादन केन्द्र के परिचालन संयंत्र तथा मशीनरी, स्थिरार्ड को शामिल करते हुए, के प्रयोजन हेतु खपत की गई ऊर्जा की मात्रा एवं विद्युत उत्पादन केन्द्र के अंतर्गत ट्रांसफार्मर हानियां जिन्हें विद्युत उत्पादन केन्द्र की समस्त इकाइयों द्वारा उत्पादन केन्द्र के छोर (terminal) पर सकल उत्पादित ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा :
परन्तु सहायक ऊर्जा खपत में विद्युत उत्पादन केन्द्र से संबद्ध आवासीय परिसर तथा अन्य सुविधाओं हेतु खपत की गई ऊर्जा तथा विद्युत उत्पादन केन्द्र के निर्माण कार्यों पर खपत की गई ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाएगा :
 - (7) 'उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु सहायक ऊर्जा खपत {Auxiliary Energy Consumption for emission control system ('AUXe')}'
- से कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में किसी अवधि के संदर्भ में अभिप्रेत है इन विनियमों के विनियम 3.1(6) के

अधीन सहायक ऊर्जा खपत के अतिरिक्त कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र की उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के सहायक उपकरण द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा ;

- (8) 'अंकेक्षक (Auditor)' से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, 1956 (क्रं 1, वर्ष 1956) की धारा 224, 233ख तथा 619, जैसा कि इसे समय-समय पर संशोधित किया गया हो अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18, वर्ष 2013) के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी प्रभावशील विधि के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया कोई अंकेक्षक / लेखा परीक्षक ;
- (9) 'हितग्राही/लाभार्थी (Beneficiary)' से अभिप्रेत है आधिनियम की धारा 86 की उपधारा 1 के खण्ड (क) तथा (ख) के अन्तर्गत किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में एक विद्युत वितरण अनुज्ञाप्तिधारी जो ऐसे किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा उत्पादित विद्युत का क्रय किसी विद्युत क्रय अनुबंध के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से या फिर किसी व्यापारिक अनुज्ञाप्तिधारी (trading licensee) के माध्यम से क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों के भुगतान द्वारा कर रहा हो :

परन्तु जहां वितरण अनुज्ञाप्तिधारी विद्युत की अधिप्राप्ति किसी व्यापारिक अनुज्ञाप्तिधारी के माध्यम से कर रहा हो, वहां यह व्यवस्था सहयोजित विद्युत क्रय अनुबंध तथा विद्युत विक्रय अनुबंध के माध्यम से की जानी चाहिए :

परन्तु आगे यह और कि हितग्राही/लाभार्थी में कोई ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जिसे मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसी राज्यान्तरिक विद्युत उत्पादन केन्द्र को विद्युत उत्पादन क्षमता आवंटित की गई हो ;

- (10) 'सम्मिश्रण (Blending)' से अभिप्रेत है घरेलू (domestic) कोयले का आयातित (imported) कोयले अथवा ई-नीलामी (e-auction) कोयले से सम्मिश्रण ;
- (11) 'पूँजीगत लागत (Capital Cost)' से अभिप्रेत है पूँजीगत लागत जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 18 के अनुसार अवधारित किया हो ;
- (12) 'कानून में परिवर्तन (Change in Law)' से अभिप्रेत निम्नलिखित में से किसी भी घटना का घटित होना :

- (एक) किसी नवीन भारतीय कानून का अधिनियमन, इसको प्रभावशील किया जाना या प्रवर्तित किया जाना, अथवा
- (दो) किसी विद्यमान भारतीय कानून को अपनाना/अंगीकार करना, उसमें संशोधन करना, संपरिवर्तन करना, निरस्त करना या उसे पुनः अधिनियमित करना, अथवा
- (तीन) किसी ऐसे सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण (Tribunal), अथवा भारतीय सरकार के किसी माध्यम (Indian Governmental Instrumentality) द्वारा जिसे ऐसी व्याख्या हेतु कानून के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त हो, किसी भारतीय कानून की व्याख्या या अनुप्रयोग में परिवर्तन करना, अथवा
- (चार) किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किसी परियोजना हेतु किसी सम्मति या स्वीकृति या अनुमोदन या उपलब्ध अथवा प्राप्त की गई अनुज्ञाप्ति के बारे में किसी शर्त या समझौते में परिवर्तन करना, अथवा
- (पांच) इन विनियमों के अधीन विनियमित विद्युत उत्पादन केन्द्र से संबंधित, भारत सरकार तथा किसी अन्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न सरकार के मध्य किसी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अनुबंध/संधि का लागू होना या उसमें कोई परिवर्तन होना।
- (13) ‘आयोग (Commission)’ से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा(1) में निर्दिष्ट किया गया है ;
- (14) ‘प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया (Competitive Bidding)’ से अभिप्रेत है उपकरणों की अधिप्राप्ति, सेवाओं तथा कार्यों के निष्पादन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत परियोजना विकासक द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम से परियोजना हेतु उपकरण का विस्तार क्षेत्र तथा विशिष्टियों, सेवाओं तथा अपेक्षित कार्यों बाबत् बोलियां आमंत्रित की जाती हैं तथा प्रस्तावित अनुबंध के निबंधन तथा शर्त तथा वे मानदण्ड जिनके द्वारा प्राप्त की गई बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा, शामिल की जाती हैं तथा इस प्रक्रिया में आमंत्रित स्वदेशी प्रतिस्पर्धी बोलियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियों को भी सम्मिलित किया जाता है ;
- (15) ‘पृथक्कृत तिथि (Cut-off Date)’ से अभिप्रेत है परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से छत्तीस माह पश्चात् के कैलेंडर माह

की अन्तिम तिथि ;

- (16) 'दिवस (Day)' से अभिप्रेत है कैलेण्डर दिवस जिसमें 00.00 बजे से प्रारंभ होने वाले 24 घंटों की अवधि सम्मिलित है ;
- (17) 'वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (Date of Commercial Operation or COD)' का किसी ताप-विद्युत उत्पादन केन्द्र (Thermal Generating Station) या जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र (Hydro Generating Station) के संबंध में वही तात्पर्य होगा जैसा कि इसे समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में परिभाषित किया गया है ;
- (18) 'प्रचालन की तिथि (Date of Operation or Ode)' जिसका संबंध किसी उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली (emission control system) से है, से अभिप्रेत है समस्त प्रयोज्य तकनीकी तथा पर्यावरणीय मानकों की पूर्ति के पश्चात उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली को उपयोग में लाये जाने की तिथि जिसे प्रबन्धन प्रमाण पत्र (Management Certificate) के माध्यम से किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रमाणित किया जाएगा जिसका पदभार विद्युत उत्पादन कम्पनी के संचालक पद से कम न होगा ;
- (19) 'घोषित क्षमता (Declared Capacity)' से किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा दिवस के समय-खण्ड हेतु जैसा कि इसे ग्रिड संहिता में परिभाषित किया गया है, अथवा सम्पूर्ण दिवस हेतु मेगावाट में एक्स-बस विद्युत प्रदाय करने की क्षमता जिसके अन्तर्गत ईंधन अथवा जल की उपलब्धता पर यथोचित विचार किया जाएगा तथा यह सुसंबद्ध विनियम के अन्तर्गत आगे अर्हता के अध्यधीन रहते हुए होगी ;
- (20) 'अपूर्जीकरण (De-capitalization)' से अभिप्रेत है इन विनियमों के अन्तर्गत विद्युत-दर (टैरिफ) के प्रयोजन हेतु परियोजना की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (Gross Fixed Assets) में कमी करना जैसा कि इसे आयोग द्वारा परिसम्पत्तियों के अन्तर-इकाई अन्तरण अथवा सेवा से हटायी गई परिसम्पत्तियों से सुसंबद्ध स्वीकार किया गया हो ;
- (21) 'अक्रियाशील करना (De-Commissioning)' से अभिप्रेत है केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रमाणित किये जाने के पश्चात् उसके द्वारा स्वयं या फिर परियोजना विकासक द्वारा या हितग्राहियों/लाभार्थियों अथवा दोनों द्वारा इस आशय की

सूचना प्रेषित करने के पश्चात् कि परियोजना का संचालन प्रौद्योगिक अप्रचलन (technological obsolescence) या अलाभकर परिचालन (uneconomic operation) या पर्यावरणीय प्रयोजनों (environmental concerns) या सुरक्षा संबंधी विषयों (safety issues) या फिर इन कारकों के संयोजन के कारण भी परिसम्पत्तियों के अनिष्टादन के कारण किया जाना संभव नहीं है, किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई को सेवा से हटाए जाने से है ;

- (22) ‘रूपांकन ऊर्जा (Design Energy)’ से अभिप्रेत है ऊर्जा की मात्रा जो 90 प्रतिशत निर्भरता वाले वर्ष में 95 प्रतिशत स्थापित क्षमता के आधार पर जल विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा उत्पादित की जा सकती है ;
- (23) ‘उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली (Emission Control System)’ से अभिप्रेत है पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों की पूर्ति हेतु स्थापित किये जाने वाले कोयला आधारित ताप-विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई हेतु उपकरणों अथवा यन्त्रों का समुच्चय (Set) ;
- (24) ‘विद्यमान परियोजना (Existing Project)’ से अभिप्रेत है कोई विद्युत उत्पादन केन्द्र (generating station) जिसे दिनांक 01.04.2024 से पूर्व किसी तिथि से वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया जा चुका हो ;
- (25) ‘विस्तार परियोजना (Expansion Project)’ के अन्तर्गत विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु नवीन क्षमता में किसी आवर्धन को भी सम्मिलित किया जाएगा ;
- (26) ‘किया गया व्यय (Expenditure Incurred)’ से अभिप्रेत है कोई निधि (fund), भले ही वह पूँजी (equity) अथवा ऋण (debt) अथवा दोनों हों, जिस हेतु उपयोगी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा अधिग्रहण हेतु वास्तविक रूप से रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य भुगतान किया गया है तथा इनमें वे वचनबद्धताएं अथवा दायित्व शामिल न होंगे, जिनके लिये कोई राशि जारी न की गई हो ;
- (27) ‘विस्तारित जीवनकाल (Extended Life)’ से अभिप्रेत है किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई के उपयोगी जीवनकाल के पश्चात् का जीवनकाल जैसा कि आयोग द्वारा प्रकरण-दर-प्रकरण, उसके गुण-दोष के आधार, पर अवधारित किया जाए ;
- (28) ‘विशेष आकस्मिक परिस्थिति (Force Majeure)’ इन विनियमों के प्रयोजन के लिए विशेष आकस्मिक परिस्थिति से तात्पर्य किसी घटना

या परिस्थिति या घटनाओं या परिस्थितियों के संयोजन से है जिनमें नीचे दर्शाई गई घटना व परिस्थिति भी शामिल है जो विद्युत उत्पादन कम्पनी को आंशिक रूप से या फिर पूर्णतया किसी परियोजना को पूंजी निवेश अनुमोदन में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु बाधित करती हो तथा यह भी कि ऐसी परिस्थितियां तथा घटनाएं विद्युत उत्पादन कम्पनी के नियंत्रण से परे हों तथा जिन्हें टाला न जा सकता हो, भले ही विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा युक्तियुक्त सावधानी बरती गई हो या फिर उसके द्वारा युक्तियुक्त उपयोगिता से संव्यवहारों को अपनाया गया हो ;

(क) दैवी घटना जिनमें शामिल हैं तड़ित, सूखा, अग्निकाण्ड तथा विस्फोट, भूकम्प, ज्वालामुखी उद्भेदन, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, प्रचण्ड तूफान, भूगर्भीय विस्मयकारी घटनाएं या फिर अपवादस्वरूप विपरीत मौसमी परिस्थितियां जो पिछले सौ वर्षों के सांख्यिकी आंकड़ों से अधिक हों ; अथवा

(ख) युद्ध, हमला, सशस्त्र संघर्ष की कोई घटना, या विदेशी शत्रु, नाकाबंदी, नौका-अवरोध, क्रान्ति, दंगा, विद्रोह की कार्यवाही, या कोई सैनिक कार्यवाही ; अथवा

(ग) व्यापक औद्योगिक हड्डतालें तथा श्रमिक अशान्ति की घटनाएं जिनका भारत में राष्ट्रव्यापी विपरीत प्रभाव पड़ता हो ; अथवा

(घ) परियोजना के सांविधिक अनुमोदन में विलंब, केवल उसे छोड़कर जहां विलम्ब के लिये परियोजना विकासक उत्तरदायी हो ;

(29) 'ईंधन प्रदाय अनुबन्ध (Fuel Supply Agreement)' से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा ईंधन प्रदायक के मध्य विद्युत उत्पादन हेतु तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों को विद्युत प्रदाय हेतु ईंधन के प्रदाय हेतु निष्पादित अनुबन्ध ;

(30) 'विद्युत उत्पादन केन्द्र (Generating Station)' का वही अभिप्राय होगा जैसा कि इसे विद्युत अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 30 के अधीन परिभाषित किया गया है तथा इन विनियमों के प्रयोजन से इनमें विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रक्रम (Stages) अथवा खण्ड (blocks) अथवा इकाइयां (units) भी सम्मिलित होंगी;

(31) 'विद्युत उत्पादन इकाई (Generating Unit or Unit)' का किसी ताप

विद्युत उत्पादन केन्द्र (संयुक्त चक्र ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र को छोड़कर) के संबंध में अभिप्रेत है वाष्प विद्युत उत्पादक, टरबाइन विद्युत उत्पादक तथा इसकी सहायक इकाइयां अथवा किसी संयुक्त चक्र ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत टरबाइन—विद्युत उत्पादक तथा इसकी सहायक इकाइयां अथवा प्रज्वलन टरबाइन विद्युत उत्पादक संयोजित वाष्प टरबाइन विद्युत उत्पादक तथा इसकी सहायक इकाइयां; तथा जल—विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है टरबाइन विद्युत उत्पादक तथा इसकी सहायक इकाइयां ;

- (32) ‘ग्रिड संहिता (Grid Code)’ या ‘राज्य ग्रिड संहिता (State Grid Code)’ या ‘मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (M.P. Electricity Grid Code)’ से अभिप्रेत है समय—समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2024 ;
- (33) ‘सकल ऊष्मीय मान (Gross Calorific Value or GCV)’ का किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है एक किलोग्राम ठोस ईंधन अथवा एक लीटर तरल ईंधन अथवा एक मानक घन मीटर गैस ईंधन के यथास्थिति सम्पूर्ण प्रज्वलन द्वारा किलो कैलोरी (kCal) में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा;
- (34) ‘सकल ऊष्मीय मान जैसा कि इसे प्राप्त किया गया है (GCV as received)’ से अभिप्रेत है कोयले का सकल ऊष्मीय मान (GCV) जैसा कि इसका मापन ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के उत्तरान स्थल (unloading point) पर भारित वैगनों (loaded wagons), ट्रकों, रोपवे, चकदौले/चक्र (Merry-Go-Round-MGR), वाहक पट्टे (conveyor belt) तथा पोत (ship) पर भारतीय मानक IS : 436 (भाग—1/धारा—1) 1964 के अनुसार किया गया हो ;

परन्तु कोयले का मापन विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा नियुक्त किये जाने वाले तृतीय पक्ष अभिकरण (Third Party Agency) द्वारा औचक नमूना व्यवस्था (Sampling) के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा—निर्देशों के अनुसार, यदि कोई हों, किया जाएगा:

परन्तु आगे यह और कि कोयले के नमूनों का संग्रहण या तो हस्तचालित विधि (manually) या द्रवचालित शकुनिया (hydraulic augur) द्वारा या फिर कार्मिकों तथा उपकरणों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए किसी अन्य विधि द्वारा, जैसा कि इसे उपयुक्त समझा जाए,

किया जाएगा :

परंतु यह और भी कि विद्युत उत्पादन कम्पनियां सकल ऊष्मीय मान के मापन हेतु उचित तथा पारदर्शी विधि नमूनों के संग्रहण, उन्हें तैयार करने तथा परीक्षण हेतु किसी समुन्नत प्रौद्योगिकी को भी अपना सकेंगी ;

- (35) ‘सकल स्टेशन ऊष्मा दर (Gross Station Heat Rate or SHR)’ से अभिप्रेत है किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में ऊष्मा शक्ति (heat energy) का किलो कैलोरी (kCal) में निवेश जिसके द्वारा उसके उत्पादन छोरों (generator terminals) पर एक किलोवाट ऑवर (kWh) विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो सके ;
- (36) ‘भारतीय शासन माध्यम (Indian Governmental Instrumentality)’ से अभिप्रेत है भारत सरकार, राज्य सरकार (जहां परियोजना अवस्थित है) तथा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित कोई मंत्रालय या विभाग या मण्डल (Board) या अभिकरण (Agency) या फिर कोई अर्ध न्यायिक कल्प (Quashi-Judicial Authority) (जिसके अंतर्गत परियोजना अवस्थित है) जिन्हें भारत में सुसंबद्ध संविधियों द्वारा गठित किया गया है ;
- (37) ‘अस्थाई विद्युत (Infirm Power)’ से अभिप्रेत है समय—समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2024 के अनुसार विद्युत उत्पादन केन्द्र की किसी इकाई या खण्ड (block) की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पूर्व ग्रिड में अन्तःक्षेपित की गई विद्युत ;
- (38) ‘स्थापित क्षमता (Installed Capacity or IC)’ से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन केन्द्र की समस्त इकाइयों की नामपटिका पर दर्शाई गई क्षमताओं का योग अथवा विद्युत उत्पादन केन्द्र के उत्पादक छोरों (terminals) पर की गई गणनानुसार क्षमता, जैसा कि आयोग द्वारा इसे समय—समय पर अनुमोदित किया जाए ;
- (39) ‘पूंजी निवेश अनुमोदन (Investment Approval)’ से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन कम्पनी के संचालक मण्डल या मप्र शासन या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के सम्प्रेषण से है जिसमें परियोजना की निधीयन (funding) की व्यवस्था तथा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित समय—सीमा भी शामिल है :

परंतु यह कि पूंजी निवेश अनुमोदन की तिथि की गणना विद्युत

उत्पादन कम्पनी के संचालक मण्डल के संकल्प (resolution) जारी होने की तिथि से की जाएगी जहां संचालक मण्डल ऐसा अनुमोदन प्रदान करने हेतु सक्षम है तथा अन्य प्रकरणों में यह सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से होगी ;

- (40) 'आगमित ईंधन लागत (**Landed Fuel Cost**)' से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन केन्द्र के उत्तरान स्थल (unloading point) पर प्रदत्त कोयले की कुल लागत {सह-जलावन (co-firing) के प्रकरण में बाओमास को सम्मिलित करते हुए} तथा इनमें सम्मिलित होंगे आधार मूल्य (base price), वाशरी प्रभार (washery charges) जहां कहीं भी वे प्रयोज्य हों, परिवहन लागत (विदेशी या अन्तर्राष्ट्रीय अथवा दोनों) तथा हथालन लागत (handling cost), तृतीय पक्ष औचक नमूना व्यवस्था (sampling) हेतु प्रभार तथा प्रयोज्य सांविधिक प्रभार (applicable statutory charges) ;
- (41) 'उच्चतम निरंतर मूल्यांकन (**Maximum Continuous Rating or MCR**)' किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र की इकाई के संबंध में अभिप्रेत है ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के किसी उत्पादक के छोरों (terminals) पर उच्चतम निरंतर विद्युत का उत्पादन जिसे निर्माता कंपनी द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रत्याभूत (गारंटी) किया गया हो तथा संयुक्त चक्र (combined cycle) ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के खण्ड (block) के संबंध में अभिप्रेत है उत्पादक छोर पर उच्चतम निरंतर उत्पादन जिसे निर्माता द्वारा जल अथवा वाष्प अन्तःक्षेपण (steam injection) (लागू होने की दशा में) द्वारा 50 हर्ट्ज तक शोधित ग्रिड आवृत्ति (frequency) तथा विनिर्दिष्ट स्थल परिस्थितियों के अनुसार प्रत्याभूत किया गया हो ;
- (42) 'नवीन परियोजना (**New Project**)' से अभिप्रेत विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई से है जिसके द्वारा दिनांक 1.4.2024 को या तत्पश्चात् अपनी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त की जाए ;
- (43) 'गैर-गर्त शीर्ष विद्युत उत्पादन केन्द्र (**Non-Pit Head Generating Station**)' या 'गैर-गर्त शीर्ष विद्युत उत्पादन संयन्त्र (**Non-Pit Head Power Plant**)' से अभिप्रेत है गर्त शीर्ष विद्युत उत्पादन केन्द्रों को छोड़कर कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र ;
- (44) 'प्रचालन तथा संधारण व्यय (**Operation and Maintenance Expenses or O&M Expenses**)' से अभिप्रेत है परियोजना अथवा

उसके किसी भाग के प्रचालन तथा संधारण पर किया गया कोई व्यय, समर्पित पारेषण लाइन या उसके किसी भाग को सम्मिलित करते हुए, तथा इसमें सम्मिलित होंगे जनशक्ति (manpower), मरम्मत तथा अनुरक्षण (repairs and maintenance), संधारण कल-पुर्जे (maintenance spares) रूपये दस लाख मूल्य तक के पूंजीगत प्रकार के अन्य कल-पुर्जे, रूपये बीस लाख से कम मूल्य की किसी व्यक्तिगत परिसम्पत्ति का अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, उपभोज्य सामग्रियां (consumables), बीमा तथा उपरिव्यय (overheads) एवं ईंधन लागत जिसका उपयोग विद्युत के उत्पादन पर न किया गया हो ;

- (45) '**मूल परियोजना लागत (Original Project Cost)**' से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा पृथककृत तिथि (cut-off-date) तक परियोजना के मूल क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किया गया पूंजीगत व्यय (capital expenditure), जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया गया हो ;
- (46) '**गर्त शीर्ष विद्युत उत्पादन केन्द्र (Pit Head Generating Station)**' या '**गर्त शीर्ष विद्युत संयन्त्र (Pit Head Power Plant)**' से अभिप्रेत है जैसा कि इसे पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में परिभाषित किया गया है ;
- (47) '**संयंत्र उपलब्धता कारक (Plant Availability Factor or PAF)**' से किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में किसी अवधि से अभिप्रेत है उक्त अवधि हेतु समस्त दिवसों हेतु दैनिक घोषित क्षमताओं का औसत जिसमें से मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत (normative auxiliary energy consumption) तथा इन विनियमों के अनुसार उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत को घटाकर इसे स्थापित क्षमता (मेगावाट में) के प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा ;
- (48) '**संयंत्र भार कारक (Plant Load Factor or PLF)**' से किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र या किसी इकाई (यूनिट) के संबंध में किसी प्रदत्त अवधि से अभिप्रेत है, उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित विद्युत उत्पादन से तत्संबंधी प्रेषित की गई कुल ऊर्जा की मात्रा जिसे उक्त अवधि के दौरान स्थापित क्षमता से तत्संबंधी प्रेषित ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$PLF = \frac{10000 \times \sum SGI}{\{N \times IC \times (100 - AUXn - AUXen)\}} \%$$

i=1

जहां,

IC = विद्युत उत्पादन केन्द्र या इकाई की मेगावाट में व्यक्त की गई स्थापित क्षमता,

SGI = अवधि के अंदर समय खण्ड हेतु मेगावाट में व्यक्त किया गया अनुसूचित विद्युत उत्पादन,

N = अवधि के दौरान समय खण्डों की संख्या,

AUXn = मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत जिसे सकल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है, तथा

AUXen=उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु मानदण्डीय सहायक मानदण्डीय ऊर्जा खपत जिसे सकल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां कहीं भी यह प्रयोज्य हो ;

(49) 'परियोजना (Project)' से अभिप्रेत है :

(एक) किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के समस्त घटक तथा इसमें सम्मिलित हैं बाओमास पैलेट हथालन प्रणाली (biomass pellet handling system), प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली (pollution control system), बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र (effluent treatment plant), समर्पित पारेषण तन्त्रपथ (लाइन) / प्रणाली, जैसा कि वह आवश्यक हो ; और

(दो) जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के समस्त घटक तथा इनमें सम्मिलित हैं बांध (dam), अन्तर्ग्रहण जल संचालन प्रणाली (intake water conductor system), विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा योजना की विद्युत उत्पादन इकाइयां जैसा कि वे विद्युत उत्पादन से संविभाजित हैं ;

(50) 'युक्तियुक्त होने संबंधी परीक्षण (Prudence Check)' से अभिप्रेत है किये गये या प्रस्तावित किये गये पूँजीगत व्यय (capital expenditure), वित्तीय प्रबंध योजना (financing plan), दक्ष प्रौद्योगिकी (efficient technology) के उपयोग, लागत तथा समय आधिक्य तथा ऐसे अन्य कारक जिन्हें आयोग द्वारा विद्युत-दर (टैरिफ) के अवधारण बाबत

उपयुक्त माना जाए, का तर्कसंगत होने संबंधी सूक्ष्म परीक्षण। युक्तियुक्त होने संबंधी परीक्षण करते समय आयोग द्वारा इस तथ्य की जांच-पड़ताल भी की जाएगी कि क्या विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा परियोजना के निष्पादन के दौरान अपने मूल्यांकन तथा निर्णयों में सावधानी बरती गई है ;

- (51) ‘उद्वहन संग्रहण जल विद्युत उत्पादन केन्द्र (Pumped storage hydro generating station)’ से अभिप्रेत है कोई ऐसा जल विद्युत उत्पादन केन्द्र जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन जल ऊर्जा (water energy) के रूप में संग्रहीत ऊर्जा के माध्यम से किसी निम्न स्तर पर स्थित जलाशय (lower elevation reservoir) से उच्च स्तर पर स्थित जलाशय (higher elevation reservoir) की ओर जल के उद्वहन (पम्पिंग व्यवस्था) के माध्यम से किया जाता है ;
- (52) ‘निर्धारित वोल्टेज (Rated Voltage)’ से अभिप्रेत है जैसा कि इसे मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2024 में निर्दिष्ट किया गया है ;
- (53) ‘ब्याज की संदर्भ दर (Reference Rate of Interest)’ से अभिप्रेत है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समय-समय पर जारी की गई निधि आधारित ऋण प्रदाय की एकल-वर्षीय निधि आधारित ऋण प्रदाय दर की उपान्तिक लागत {one-year Marginal Cost of funds based Lending Rate (MCLR)} तथा 325 आधार बिन्दुओं (basis points) का योग ;
- (54) ‘पुनरीक्षित उत्सर्जन मानक (Revised Emission Standards)’ का किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में तात्पर्य है पुनरीक्षित मानदण्ड जैसा कि इन्हें पर्यावरण (संरक्षण) नियम 2015, या फिर समय-समय पर अन्य किन्हीं नियमों के अनुसार अधिसूचित किया जाए;
- (55) ‘नदी-बहाव आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र (Run-of-River generating station)’ से अभिप्रेत है कोई जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र जिस पर नदी के बहाव की प्रतिकूल दिशा (upstream) की ओर कोई जलाशय अवशिष्ट नहीं होता ;
- (56) ‘नदी-बहाव पर जलाशय आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र (Run-of-River generating station with pondage)’ से अभिप्रेत है विद्युत की दैनिक परिवर्तनीय मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त क्षमता से युक्त जलाशय (sufficient pondage) वाला जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र ;
- (57) ‘अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (Scheduled Commercial Operation Date or 'SCOD)’ से अभिप्रेत है किसी विद्युत उत्पादन

केन्द्र अथवा उसकी विद्युत उत्पादन इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि(यां) जैसा कि इसके/इनके बारे में पूंजी निवेश अनुमोदन (investment approval) में दर्शाया गया हो या फिर विद्युत क्रय अनुबंध में सम्मत किया गया हो, इनमें से जो भी पूर्व में घटित हो ;

- (58) 'अनुसूचित ऊर्जा (Scheduled Energy)' से अभिप्रेत है संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी प्रदत्त कालावधि हेतु अनुसूचित (Scheduled) की जाने वाली विद्युत उत्पादन केन्द्र से ग्रिड में अन्तःक्षेप (inject) की जाने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा ;
- (59) 'अनुसूचित विद्युत उत्पादन (Scheduled Generation) या 'अनुसूचित अन्तःक्षेपण (Scheduled Injection)' का किसी समय-खण्ड (time block) या किसी अवधि हेतु से अभिप्रेत है एक्स-बस विद्युत उत्पादन या अन्तःक्षेपण की मेगावाट (MW) या मेगावाट ऑवर (MWh) में अनुसूची (सहायक सेवाओं हेतु अनुसूची को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो) जैसा कि मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार इसे संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रदान किया गया हो ;
- (60) 'प्रारंभ तिथि (Start Date)' या 'शून्य तिथि ('Zero Date)' से अभिप्रेत है परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारंभ हेतु पूंजी निवेश अनुमोदन में दर्शाई गई तिथि तथा जहां कोई भी तिथि दर्शाई न गई हो वहां पूंजी निवेश अनुमोदन की तिथि को प्रारंभ तिथि या शून्य तिथि माना जाएगा ;
- (61) 'सांविधिक प्रभारों ('Statutory Charges)' से अभिप्रेत तथा इनमें सम्मिलित हैं कर (taxes), उपकर (cess), शुल्क (duties), अधिशुल्क (royalties) तथा अन्य प्रभार (charges) जिन्हें संसद या राज्य विधान-मण्डलों के अधिनियमों या सुसंबद्ध संविधियों (statutes) के अधीन भारतीय शासन माध्यम (Indian Governmental Instrumentality) के माध्यम से अधिरोपित किया जाता है ;
- (62) 'संग्रहण प्रकार का विद्युत उत्पादन केन्द्र (Storage type generating station)' से अभिप्रेत है जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र जो जल संग्रहण क्षमता से संबद्ध है जो उसे विद्युत की मांग के अनुरूप विद्युत के परिवर्तनीय उत्पादन हेतु सक्षम बनाता है ;
- (63) 'ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (Thermal Generating Station)' से अभिप्रेत है कोई विद्युत उत्पादन केन्द्र या उससे संबद्ध कोई इकाई जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में

जीवाष्म ईंधन, जैसे कि कोयला, गैस, तरल ईंधन या इनके किसी संयोजन के उपयोग द्वारा या कोयले के बाओमास के साथ सह-जलावन (co-firing) के माध्यम से किया जाता है;

- (64) 'निष्पादन परीक्षण (Trial Run)' या 'परिचालन परीक्षण (Trial Operation)' का किसी केन्द्रीय ताप विद्युत केन्द्र या उसकी इकाई के संबंध में वही अर्थ होगा जैसा कि मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2024 में इस बाबत निर्दिष्ट किया गया है;
- (65) 'उत्तरान स्थल (Unloading Point)' से अभिप्रेत है कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के परिसर ही के भीतर अवस्थित कोयला उत्तरान स्थल (unloading point) जहाँ कोयले को रेलवे रेक (rake) या ट्रक (truck) या फिर परिवहन के किसी अन्य रीति से उतारा जाता हो; और
- (66) 'उपयोगी जीवनकाल (Useful Life)' का किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र की इकाई के बारे में इसकी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से अभिप्रेत निम्नानुसार होगा, अर्थात् :—

1	कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र	25 वर्ष
2	जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र, उद्वहन संग्रहण जल-विद्युत उत्पादन केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए	40 वर्ष

परंतु यह कि कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों तथा जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के प्रकरण में परिचालन जीवनकाल क्रमशः 35 वर्ष तथा 50 वर्ष हो सकता है।

- 3.2 उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हैं तथा इनमें परिभाषित नहीं किए गए हैं परन्तु अधिनियम या आयोग के किसी अन्य विनियम में परिभाषित किए गए हैं वही अर्थ रखेंगे जैसा कि अधिनियम या आयोग के किसी अन्य विनियम में उनके लिए प्रदान किये गए हैं।

4. व्याख्याएं (Interpretations) : इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो:

- (1) 'दिवस (Day)' से अभिप्रेत है कैलेण्डर दिवस जिसमें 00.00 बजे से प्रारंभ होने वाले 24 घंटे की अवधि सम्मिलित है;
- (2) 'किलो-कैलोरी (Kilo-Calorie or kCal)' से अभिप्रेत है ऊष्मा ऊर्जा (heat energy) की मात्रा धातुज (minerals) में जिसका मापन किसी तात्कालिक अवधि में एक किलो कैलोरी या एक हजार कैलोरी उत्पादित ऊष्मा के रूप में किया जाता है;

- (3) '**किलोवाट ऑवर ('Kilowat-Hour' or 'kWh')**' से अभिप्रेत है विद्युत ऊर्जा की इकाई (यूनिट) जिसका मापन एक घंटे की अवधि के दौरान विद्युत के एक किलोवाट अथवा एक हजार वाट मापन द्वारा विद्युत उत्पादन या खपत के रूप में किया जाता है ;
- (4) '**त्रैमास (Quarter)**' से अभिप्रेत है किसी विद्यमान परियोजना के प्रकरण में तीन माह की अवधि जो माह अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर तथा जनवरी के प्रथम दिवस से प्रारंभ होगी तथा किसी नवीन परियोजना के प्रकरण में प्रथम त्रैमास के संबंध में परिचालन की प्रारंभिक तिथि से यथास्थिति माह जून, सितम्बर, दिसम्बर अथवा मार्च माह की अंतिम तिथि होगी ; और
- (5) '**वर्ष (Year)**' से अभिप्रेत है कोई वित्तीय वर्ष जो एक अप्रैल को प्रारंभ होकर आगामी कैलेण्डर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है :
- परन्तु यह कि किसी नवीन परियोजना के प्रकरण में प्रथम वर्ष वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से प्रारंभ होगा तथा आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होगा ।
- (6) कतिपय अधिनियम, नियमों, विनियमों के किसी संदर्भ के अन्तर्गत उनमें किये गये संशोधन या समेकन (consolidation) या पुनः अधिनियमन (re-enactment) को सम्मिलित किया जाएगा । ;

अध्याय – 2

विद्युत–दर अवधारण की प्रक्रिया (Procedure for Tariff Determination)

5. विद्युत–दर अवधारण (Tariff Determination) :

5.1 किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र के बारे में विद्युत–दर का अवधारण उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली (emission control system) को सम्मिलित करते हुए, जहां कहीं भी यह प्रयोज्य हो सम्पूर्ण विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी किसी इकाई के लिये किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि :

(एक) दिनांक 1.4.2024 से पूर्व किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र की समस्त इकाइयों के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रकरण में विद्युत उत्पादन कम्पनी समग्र विद्युत उत्पादन केन्द्र के बारे में दिनांक 1.4.2024 से दिनांक 31.03.2029 की अवधि हेतु विद्युत–दर अवधारण के प्रयोजन से एक समेकित बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) याचिका (Consolidated Multi Year Tariff Petition) दाखिल करेगी ; और

(दो) विद्युत उत्पादन कम्पनी इन विनियमों के अनुसार किसी कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में स्थापित की गई उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु अनुपूरक (supplementary) विद्युत–दर के अवधारण हेतु एक आवेदन प्रस्तुत करेगी।

5.2 विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण के प्रयोजन से परियोजना की पूँजीगत लागत को चरणों, इकाइयों में विखण्डित किया जा सकेगा, यदि ऐसा करना आवश्यक हो :

परन्तु जहां परियोजना की पूँजीगत लागत का विघटन इसके विभिन्न चरणों या इकाइयों हेतु उपलब्ध न हो तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रकरण में भी साझी सुविधाओं (common facilities) को इकाई की स्थापित क्षमता के आधार पर संविभाजित किया जाएगा।

5.3 जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र की आंशिक विद्युत उत्पादन क्षमता हितग्राहियों/ लाभार्थियों को दीर्घ–अवधि विद्युत क्रय अनुबन्ध के माध्यम से विद्युत प्रदाय हेतु आबद्ध की गई हो वहां ऐसी आंशिक क्षमता हेतु इकाइयों को स्पष्ट रूप से चिन्हांकित किया जाएगा तथा ऐसे प्रकरणों में विद्युत–दर का अवधारण इस प्रकार से चिन्हांकित क्षमता हेतु किया जाएगा। जहां ऐसी आंशिक क्षमता से तत्संबंधी इकाइयों को चिन्हांकित किया जाना संभव न हो वहां विद्युत उत्पादन

केन्द्र हेतु विद्युत-दर (टैरिफ) सम्पूर्ण परियोजना की पूंजीगत लागत के संदर्भ में अवधारित की जा सकेगी, परन्तु इस प्रकार अवधारित की गई हितग्राहियों/लाभार्थियों के लिये विद्युत प्रदाय हेतु अनुबंधित विद्युत-दर आंशिक क्षमता से तत्संबंधी प्रयोज्य होगी।

5.4 पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के क्रियान्वयन हेतु संस्थापित परिसम्पत्तियां विद्यमान विद्युत उत्पादन योजना का ही भाग होंगी तथा संबंधित विद्युत-दर का अवधारण पृथक से इन विनियमों के विनियम 6.2 के द्वितीयक परन्तुक के अधीन दाखिल किये गये आवेदन के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

5.5 सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा ऊर्जा घटकों से सन्निहित बहुउद्देशीय जल-विद्युत उत्पादन योजना के प्रकरण में केवल योजना हेतु विद्युत घटक को प्रभारणीय पूंजीगत लागत को ही विद्युत-दर के अवधारण हेतु मान्य किया जाएगा।

6. विद्युत-दर के अवधारण हेतु आवेदन-पत्र (Application for determination of Tariff) :

6.1 नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई की प्रावधिक विद्युत-दर (टैरिफ) अवधारण के बारे में विद्युत उत्पादन कम्पनी को अपना आवेदन इन विनियमों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की संभावित तिथि से 60 दिवस पूर्व अनुलग्न एक के अनुसार समस्त सुसंगत प्रलेखों तथा भरे जाने वाले विवरणों के साथ दाखिल करना होगा :

परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन कम्पनी अंकेक्षक का प्रमाण-पत्र अद्यतन तिथि तक व्यय की गई पूंजीगत लागत दर्शाते हुए प्रस्तुत करेगी तथा विद्युत-दर (टैरिफ) अवधि 2024-29 वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक तथा तत्संबंधी वर्षों हेतु प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के विवरण भी प्रस्तुत करेगी।

आयोग अंकेक्षक के प्रमाण पत्र के आधार पर दाखिल किये गये आवेदन का सूक्ष्म परीक्षण किये जाने पर वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से प्रावधिक विद्युत-दर (टैरिफ) स्वीकृत किये जाने पर विचार कर सकेगा।

6.2 नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाइयों की अन्तिम विद्युत-दर (टैरिफ) अवधारण के बारे में विद्युत उत्पादन कम्पनी को अपना आवेदन इन विनियमों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तिथि से 90 दिवस के भीतर अनुलग्न एक के अनुसार समस्त सुसंगत प्रलेखों तथा भरे जाने वाले विवरणों के साथ दाखिल करना होगा :

परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन कम्पनी अंकेक्षक प्रमाण-पत्र वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के अनुसार व्यय की गई पूंजीगत लागत दर्शाते हुए प्रस्तुत करेगी

तथा विद्युत-दर अवधि 2024–29 के तत्संबंधी वर्षों हेतु प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के विवरण प्रस्तुत करेगी :

परन्तु आगे यह और कि विद्युत उत्पादन कम्पनी कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में स्थापित की गई उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु अनुपूरक विद्युत-दर (Supplementary Tariff) के अवधारण हेतु अपना आवेदन इन विनियमों के अनुसार ऐसी उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के परिचालन प्रारंभ होने की तिथि से 90 दिवस से अनाधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी।

- 6.3** किसी विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई के प्रकरण में विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा बहुवर्षीय विद्युत-दर के अवधारण हेतु अपना आवेदन अनुलग्न एक के अनुसार सुसंगत प्रलेखों तथा भरे जाने वाले विवरणों की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 90 दिवस के भीतर या फिर जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए, इनमें से जो भी पूर्व में घटित हो, स्वीकृत पूंजीगत लागत पर आधारित, पूर्व ही से स्वीकृत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय संबंधी जानकारी को सम्मिलित करते हुए जिसे आयोग के पूर्व सत्यापन आदेश में स्वीकृत किया गया हो तथा विद्युत-दर अवधि 2024–29 के तत्संबंधी वर्षों हेतु प्राककलित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के साथ इन विनियमों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा :

परन्तु यह कि आवेदन में प्रक्षेपित पूंजीगत लागत तथा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जहां यह लागू हो, अन्तर्निहित अवधारणाओं के विवरण सम्मिलित किये जाएंगे।

- 6.4** जहां पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों की पूर्ति हेतु विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी किसी इकाई में उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली स्थापित किये जाने की आवश्यकता हो वहां एक आवेदन अनुपूरक विद्युत-दर (supplementary tariff) (क्षमता प्रभारों या ऊर्जा प्रभार अथवा दोनों के लिये) ऐसी प्रणाली की स्थापना के पश्चात, 90 दिवस के भीतर समस्त आवश्यक विवरणों तथा प्रलेखों सहित अंकेक्षक द्वारा प्रमाणित किये गये वास्तविक पूंजीगत व्यय पर आधारित प्रस्तुत करना होगा :

परन्तु यह कि यदि उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली को इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व क्रियाशील (commission) किया जाता है तो अनुपूरक विद्युत-दर (supplementary tariff) हेतु आवेदन विद्युत-दर याचिका (Tariff Petition) के साथ दाखिल करना होगा।

- 6.5** यदि विद्युत उत्पादन कम्पनी आवेदन को इन विनियमों के विनियम 6.2 में निर्दिष्ट की गई समय सीमा के भीतर दाखिल करती है तो वहन लागत

(carrying cost) को परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से अनुज्ञेय किया जाएगा :

परन्तु यह कि यदि विद्युत उत्पादन कम्पनी इस विनियम के विनियम 6.2 में निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार आवेदन दाखिल करने में विलंब करती हो तो वहन लागत (carrying cost) आवेदन दाखिल करने की तिथि से अनुज्ञेय की जाएगी ।

6.6 यदि विद्युत उत्पादन कम्पनी आवेदन को इन विनियमों के विनियम 6.3 में निर्दिष्ट की गई समय सीमा के भीतर दाखिल करती है तो वहन लागत (carrying cost) दिनांक 1.4.2024 से अनुज्ञेय की जाएगी :

परन्तु यह कि यदि विद्युत उत्पादन कम्पनी इस विनियम के विनियम 6.3 में निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार आवेदन दाखिल करने में विलंब करती हो तो वहन लागत (carrying cost) आवेदन दाखिल करने की तिथि से अनुज्ञेय की जाएगी ।

6.7 यदि विद्युत उत्पादन कम्पनी आवेदन को इन विनियमों के विनियम 6.4 में निर्दिष्ट की गई समय सीमा के भीतर दाखिल करती है तो वहन लागत (carrying cost) को उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की स्थापना तिथि से अनुज्ञेय किया जाएगा :

परन्तु यह कि यदि विद्युत उत्पादन कम्पनी इस विनियम के विनियम 6.4 में निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार आवेदन दाखिल करने में विलंब करती हो तो वहन लागत (carrying cost) आवेदन दाखिल करने की तिथि से अनुज्ञेय की जाएगी ।

7. विद्युत-दर का अवधारण (Determination of Tariff) :

7.1 विद्युत उत्पादन कम्पनी आयोग के समक्ष एक याचिका इन विनियमों के अनुसार संलग्न प्रपत्रों के साथ आधारभूत अवधारणाओं के विवरणों को सम्मिलित करते हुए पूँजीगत व्यय तथा किये गये अतिरिक्त व्यय हेतु तथा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, जहां कहीं भी यह प्रयोज्य हो, दाखिल करेगी ।

7.2 आयोग को सदैव विद्युत उत्पादन कंपनी की किसी स्वविवेक याचिका (Suo-motu petition) की प्रस्तुति द्वारा अथवा किसी अभिरूचि रखने वाले या प्रभावित पक्षकार द्वारा दाखिल याचिका पर, विद्युत-दर (टैरिफ) तथा उसके निबंधन तथा शर्तों के अवधारण का अधिकार होगा तथा आयोग द्वारा ऐसी अवधारण प्रक्रिया के संबंध में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, पहल की जा सकेगी ;

परन्तु ऐसी विद्युत-दर (टैरिफ) के साथ संबंधित निबंधन तथा शर्तों की अवधारण संबंधी कार्रवाई को समय-समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ (कारबार का संचालन) (पुनरीक्षण-प्रथम) विनियम 2016 में निर्धारित की गई प्रक्रिया के

अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा।

- 7.3 विद्युत उत्पादन कंपनी आयोग को आवेदन के एक भाग के रूप में ऐसे प्रपत्रों में जैसा कि वे आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं, विस्तृत विवरण हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत करेगी। विद्युत उत्पादन कंपनी आवश्यक रूप से इकाईवार तथा केन्द्रवार विवरण जैसा कि वे प्रपत्रों में विनिर्दिष्ट किये गये हों, प्रस्तुत करेगी जिससे आयोग को अपेक्षित अनुसार विद्युत-दर (टैरिफ) अवधारण में सुविधा हो।
- 7.4 विद्युत उत्पादन कम्पनी को आवेदन प्रक्रियाबद्ध किये जाने के प्रयोजन से कठिपय अतिरिक्त समस्त जानकारी अथवा विवरण अथवा अभिलेख जो आवेदन पर यथोचित कार्रवाई के प्रयोजन से अनिवार्य समझे जाएं, प्रस्तुत करने होंगे :
- परन्तु किसी विद्यमान परियोजना के प्रकरण में, आवेदन स्वीकृत पूँजीगत लागत मय किसी अतिरिक्त पूँजीकरण के, जिसे पूर्व सत्यापन आदेश में स्वीकृत किया जा चुका हो, विद्युत-दर अवधि वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 हेतु तत्संबंधी वर्षों के अनुमानित अतिरिक्त पूँजीगत व्यय पर आधारित होगी :
- परन्तु आगे यह और कि आवेदन में प्रक्षेपित पूँजीगत लागत तथा अतिरिक्त पूँजीगत व्यय, जहां कहों भी यह प्रयोज्य हो, के संबंध में आधारभूत अवधारणाओं के विवरण भी सम्मिलित किये जाएंगे।
- 7.5 समस्त वांछित जानकारी, विवरण एवं अभिलेख जो आवश्यकताओं के परिपालनार्थ आवश्यक हों, सम्पूर्ण आवेदन के साथ प्राप्त होने की दशा में ही आवेदन को प्राप्त किया गया माना जाएगा तथा आयोग अथवा सचिव अथवा आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामांकित अधिकारी आवेदन को संक्षेप में तथा ऐसी रीति में, जैसी कि वह विनिर्दिष्ट की जाए, यह सूचित करेंगे कि आवेदन प्रकाशन हेतु तैयार है, {कृपया देखें समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन की रीति और उसके लिये भुगतानयोग्य फीस) विनियम}।
- 7.6 विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी याचिका के समस्त विवरण आयोग द्वारा उसे स्वीकार किये जाने की तिथि से पन्द्रह कार्यकारी दिवस के भीतर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने होंगे।
- 7.7 विद्युत उत्पादन कंपनी आयोग को ऐसी समस्त पुस्तकें तथा अभिलेख (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां), लेखांकन विवरण–पत्र, परिचालन तथा

लागत आंकड़ों को सम्मिलित करते हुए, जैसा कि वे आयोग द्वारा विद्युत-दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु अपेक्षित किए जाएं, प्रस्तुत करेगी।

- 7.8 आयोग, यदि उचित समझे, तो वह किसी भी समय किसी व्यक्ति को ऐसी जानकारी जो विद्युत उत्पादन कंपनी ने आयोग को प्रस्तुत की है, ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों की संक्षेपिका सहित (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों के) उपलब्ध करा सकेगा :

परन्तु आयोग कतिपय आदेश जारी कर, यह निर्देशित कर सकेगा कि आयोग द्वारा संधारित की जाने वाली ऐसी जानकारी, अभिलेख व पत्र/सामग्रियां गोपनीय अथवा विशेषाधिकारयुक्त होंगी जो निरीक्षण हेतु अथवा प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में उपलब्ध न कराई जा सकेंगी तथा आयोग यह भी निर्देशित कर सकेगा कि ऐसे अभिलेख, पत्र अथवा सामग्री को किसी ऐसी रीति द्वारा उपयोग न किया जा सकेगा, सिवाय जैसा कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से इस बाबत् प्राधिकृत किया जाए।

- 7.9 यदि याचिका में प्रस्तुत की गई जानकारी इन विनियमों की आवश्यकताओं के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से अपर्याप्त हो तो आयोग द्वारा जैसा कि आयोग के पदाधिकारियों द्वारा पाई गई कमियों में सुधार किये जाने बाबत् निर्दिष्ट किया जाए, याचिका को विद्युत उत्पादन कम्पनी को एक माह के भीतर पुनः प्रस्तुत करने हेतु वापस कर दिया जाएगा।

- 7.10 यदि याचिका में प्रस्तुत की गई जानकारी विनियमों के अनुसार हो तथा किये गये दावों के युक्तियुक्त परीक्षण हेतु पर्याप्त हो तो आयोग प्रतिवादियों से याचिका दायर करने की तिथि से एक माह (अथवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई किसी समयावधि) के भीतर तथा अन्य कोई व्यक्ति, उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता संघों को सम्मिलित करते हुए, प्राप्त किए गए सुझाव तथा आपत्तियां, यदि कोई हों, पर विचार करेगा। आयोग याचिकाकर्ता, प्रतिवादियों तथा किसी हितधारक (stakeholder) से, जिसे आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति प्रदान की गई हो, की सुनवाई के बाद विद्युत-दर (टैरिफ) आदेश जारी करेगा।

- 7.11 नवीन परियोजनाओं के प्रकरण में, यदि याचिका में प्रस्तुत की गई जानकारी इन विनियमों के अनुसार हो तथा प्रस्तुत किये गये दावों के संबंध में युक्तियुक्त परीक्षण के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त हो तो आयोग बिलिंग के प्रयोजन हेतु जब तक आयोग द्वारा अन्तिम विद्युत-दर (टैरिफ) अवधारित न कर ली जाए अन्तरिम विद्युत-दर (टैरिफ) या इन विनियमों के अधीन प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात् अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से प्रक्षेपित पूँजीगत व्यय पर आधारित आयोग द्वारा अवधारित वार्षिक स्थाई लागत के 90

प्रतिशत तक अन्तरिम आदेश जारी करने पर विचार किया जा सकेगा।

परन्तु यह कि आयोग द्वारा अवधारित की गई प्रावधिक/अन्तरिम विद्युत-दर (provisional/interim tariff) तथा अन्तिम विद्युत-दर (Final Tariff) के अन्तर की राशि को आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार वसूल या प्रत्यर्पण (रिफंड) तत्संबंधी वर्ष के एक अप्रैल को प्रचलित "एकल-वर्ष SBI MCLR Plus 100 basis points" के आधार पर गणनानुसार किया जाएगा।

परन्तु आगे यह और कि यदि आयोग द्वारा अवधारित अन्तिम विद्युत-दर (टैरिफ), प्रावधिक/अन्तरिम विद्युत-दर (टैरिफ) से 10% से अधिक द्वारा कम हो तो विद्युत उत्पादन कम्पनी वसूल की गई आधिक्य राशि को हितग्राहियों/लाभार्थियों को उक्त वित्तीय वर्ष हेतु जिसके अन्तर्गत आधिक्य राशि की वसूली की गई थी, की एक अप्रैल को प्रचलित "एकल वर्ष SBI MCLR PLUS 100 basis points" के आधार पर गणना की गई राशि का 1.20 गुना, मय साधारण ब्याज के लौटायगी।

- 7.12 विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में, विद्युत उत्पादन कम्पनी इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित स्वप्रेरणा आदेश (Suo Moto Order) दिनांक 05.03.2024 को जारी किये गये अनुसार तत्संबंधी विद्युत उत्पादन केन्द्रों के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश (MYT order) जारी होने तक हितग्राहियों/लाभार्थियों के संबंध में क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभार हेतु प्रावधिक बिलिंग किया जाना जारी रखेगी :

परन्तु यह कि इन विनियमों के अनुसार उपरोक्त उल्लेखित विद्युत-दर (टैरिफ) तथा आयोग द्वारा अवधारित विद्युत-दर के अन्तर को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई दर के अनुसार या तो वसूली की जाएगी या फिर उसका प्रत्यर्पण (रिफंड) बहुवर्षीय विद्युत-दर (टैरिफ) अवधि के प्रारंभ में वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल को प्रचलित "एकल-वर्ष SBI MCLR PLUS 350 basis points" के आधार पर साधारण ब्याज पर आयोग द्वारा जारी बहुवर्षीय टैरिफ आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 6 बराबर किस्तों में किया जाएगा।

- 7.13 इन विनियमों के अनुसार अवधारित की गई अन्तिम विद्युत-दर (final tariff) के अन्तर की उपरोक्त विनियमों 7.11 तथा 7.12 के अनुसार क्रमशः नवीन परियोजनाओं तथा विद्यमान परियोजनाओं हेतु हितग्राहियों/लाभार्थियों से आयोग द्वारा टैरिफ आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम छ: बराबर किस्तों में या तो वसूली की जाएगी या फिर प्रत्यर्पण (रिफंड) किया जाएगा :

परन्तु यह कि वसूली या प्रत्यर्पण (रिफंड) संबंधी देयक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आयोग द्वारा टैरिफ आदेश जारी होने की तिथि से 45 दिवस के

भीतर प्रस्तुत किये जाएंगे :

परन्तु आगे यह कि इस प्रकार गणना की गई ब्याज राशि आदेश जारी होने की तिथि तक ही देय होगी तथा छः—मासिक किस्तों की अवधि के दौरान न तो कोई ब्याज देय होगा तथा न ही इसे अधिरोपित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि जहां धनराशि का प्रत्यर्पण किया जाना हो तथा विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा आदेश जारी होने की तिथि से 45 दिवस से अधिक का विलम्ब किया जाए तो ऐसी परिस्थिति में इन विनियमों के अनुसार प्रयोज्य विलंब भुगतान अधिभार (late payment surcharge) देय होगा।

8. विशिष्ट परिस्थितियों में सैद्धान्तिक अनुमोदन (In-Principle Approval in Specific Circumstances) :

विद्युत उत्पादन कम्पनी किसी विशिष्ट विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु जो विधिक घटनाओं में परिवर्तन (change in law events) या फिर विशेष आकस्मिक परिस्थिति (force majeure conditions) के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण का दायित्व वहन करती हो वह इस प्रकार का व्यय करने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिये हितग्राहियों/लाभार्थियों को पूर्व सूचना (नोटिस) जारी करने के पश्चात् मय अन्तर्निहित अवधारणाओं, प्राक्कलनों के साथ इस प्रकार के व्यय के लिये औचित्य दर्शाते हुए याचिका दाखिल कर सकेगी यदि ऐसा व्यय परियोजना की स्वीकृत पूंजीगत लागत के 10 प्रतिशत अथवा रु. 100 करोड़, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक हो।

9. विद्युत-दर अवधारण की क्रियाविधि तथा सत्यापन (Methodology for Determination of Tariff and Truing up) :

9.1 आयोग विद्युत उत्पादन कंपनी की विद्युत-दर (टैरिफ) अवधि का समय-समय पर निर्धारण करेगा। विद्युत-दर (टैरिफ) अवधारण के सिद्धान्त विद्युत-दर अवधि के दौरान ही प्रयोज्य होंगे। इन विनियमों के अन्तर्गत विद्युत-दर अवधारण के मार्गदर्शी सिद्धान्त आगामी विद्युत-दर हेतु दिनांक एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2029 की अवधि तक वैध रहेंगे।

9.2 इन विनियमों के अन्तर्गत, विद्युत उत्पादन कंपनी से संबंधित विद्युत-दर (टैरिफ) इकाई (यूनिट)-वार अथवा इकाइयों के समूह हेतु अवधारित की जाएगी। तथापि, जब कभी भी किसी नवीन विद्युत उत्पादक इकाई की दिनांक 1.4.2024 के पश्चात अभिवृद्धि की जाए तो आयोग द्वारा ऐसी नवीन इकाइयों हेतु पृथक विद्युत-दर (टैरिफ) अवधारित की जाएगी। विद्युत उत्पादन कंपनी प्रत्येक विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु दिनांक 1.4.2024 से पूर्व की इकाइयों हेतु तथा तत्पश्चात् जोड़ी गई इकाइयों हेतु पृथक् से विभाजन दर्शाते हुए गणनाएं प्रस्तुत करेगी।

9.3 विद्युत-दर (टैरिफ) के प्रयोजन हेतु परियोजना की पूंजीगत लागत को प्रक्रमवार

तथा परियोजना के भाग के रूप में विशिष्ट इकाइयों द्वारा पृथक्कृत किया जाएगा। जहां परियोजना की पूँजीगत लागत का प्रक्रमवार व इकाईवार व्यौरा उपलब्ध न हो तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रकरणों में संयुक्त सुविधाओं को इकाइयों की क्षमता के आधार पर आनुपातिक रूप से संविभाजित किया जाएगा। सिंचाई, बाढ़—नियंत्रण तथा ऊर्जा उत्पादन से संबंधित बहुउद्देशीय जल—विद्युत परियोजनाओं के प्रकरणों में केवल परियोजना के ऊर्जा उत्पादन से संबंधित घटक पर ही विद्युत—दर अवधारण हेतु विचार किया जाएगा।

व्याख्या : “परियोजना” में सम्मिलित है विद्युत उत्पादन केन्द्र।

9.4 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–29 हेतु निम्न कारणों से वार्षिक आधार पर सत्यापन अभ्यास का कार्यान्वयन किया जाएगा :

(एक) पूँजीगत व्यय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 31.03.2029 तक अतिरिक्त पूँजीगत व्यय को सम्मिलित करते हुए, जैसा कि आयोग द्वारा सत्यापन के समय युक्तियुक्त परीक्षण पश्चात् इसे स्वीकार किया जाए।

(दो) पूँजीगत व्यय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 31.03.2029 तक, आकस्मिक विशेष परिस्थिति (Force Majeure) तथा कानून में परिवर्तन (Change in Law) के कारण किये गये अतिरिक्त पूँजीगत व्यय को सम्मिलित करते हुए, जैसा कि आयोग द्वारा इसे स्वीकार किया जाए।

(तीन) दिनांक 31.03.2029 तक प्रत्येक वर्ष के दौरान, उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के कारण अतिरिक्त पूँजीगत व्यय, जैसा कि आयोग द्वारा इसे स्वीकार किया जाए।

9.5 विद्युत उत्पादन कम्पनी, सत्यापन के प्रयोजन हेतु, दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2029 तक की अवधि हेतु, प्रत्येक वर्ष के लिए किये गये पूँजीगत व्यय तथा अतिरिक्त पूँजीगत व्यय के विवरण यथाअंकेक्षित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा यथाप्रमाणित प्रस्तुत किये जाएंगे।

9.6 कोई वितरण अनुज्ञाप्तिधारी जिसके पास एक विद्युत उत्पादन केन्द्र का स्वामित्व तथा उसके परिचालन का दायित्व हो, वह उसके विद्युत उत्पादन व्यवसाय, अनुज्ञाप्त व्यवसाय (licensed business) तथा अन्य व्यवसायों के पृथक्—पृथक् लेखे संधारित करेगा तथा प्रस्तुत करेगा।

9.7 विद्युत उत्पादन कम्पनी विद्युत उत्पादन केन्द्र या इससे संबद्ध किसी इकाई या खण्ड के बारे में प्रत्येक वर्ष हेतु इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार हार्ड तथा सॉफ्ट प्रति में उन्हीं प्ररूपों में प्रति वर्ष दिनांक 15 नवम्बर तक सत्यापन अभ्यास के क्रियान्वयन हेतु एक आवेदन प्रस्तुत करेगी।

9.8 सत्यापन के पश्चात् यदि वसूल की गयी विद्युत-दर (टैरिफ) आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत अनुमोदित विद्युत-दर (टैरिफ) से अधिक या कम हो, तो वहां विद्युत उत्पादन कम्पनी वसूल की गई अधिक या कम राशि का प्रत्यर्पण या वसूली हितग्राहियों/लाभार्थियों को/से इन विनियमों के विनियम 9.9 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार करेगी।

9.9 इन विनियमों के अनुसार अवधारित की गई विद्युत-दर (tariff) के अन्तर का इन विनियमों के अनुसार हितग्राहियों/लाभार्थियों से/को आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश की तिथि से अधिकतम छः बराबर किस्तों में "एकल वर्षीय SBI MCLR PLUS 100 Basis Points" की दर से वसूली/प्रत्यर्पण किया जाएगा।

परन्तु यह कि वसूली या प्रत्यर्पण (रिफंड) संबंधी देयक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आयोग द्वारा टैरिफ आदेश जारी होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जाएंगे :

परन्तु आगे यह कि इस प्रकार गणना की गई ब्याज राशि आदेश जारी होने की तिथि तक ही देय होगी तथा छः—मासिक किस्तों की अवधि के दौरान न तो कोई ब्याज देय होगा तथा न ही इसे अधिरोपित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि जहां धनराशि का प्रत्यर्पण किया जाना हो तथा विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा आदेश जारी होने की तिथि से 45 दिवस से अधिक का विलम्ब किया जाए तो ऐसी परिस्थिति में इन विनियमों के अनुसार प्रयोज्य विलंब भुगतान अधिभार (late payment surcharge) देय होगा।

10. वार्षिक लेखे, प्रतिवेदनों आदि का प्रस्तुतिकरण (Submission of Annual Accounts, Reports etc) :

10.1 विद्युत उत्पादन कम्पनी को लेखों के वार्षिक अंकेक्षित लेखे तथा ऐसी अन्य जानकारी जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त, विद्युत उत्पादन कंपनी को आयोग द्वारा समय—समय पर अधिसूचित विभिन्न विनियमों तथा संहिताओं की सूचना संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन भी करना होगा।

10.2 विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा अपेक्षित जानकारी की प्रस्तुति के अभाव में, आयोग कतिपय स्वविवेक (Suo-motu) याचिका द्वारा भी कार्रवाई प्रारंभ कर सकेगा।

11. विद्युत-दर अवधारण में अन्तराल (Periodicity of Tariff determination) :

11.1 किसी भी वित्तीय वर्ष में विद्युत-दर (टैरिफ) अथवा विद्युत-दर का कोई भी अंश सामान्यतः एक से अधिक बार के अन्तराल में संशोधित नहीं किया जा सकेगा, केवल ऐसी परिस्थितियों को छोड़ कर जहां विनियमों के निबन्धनों में

निर्दिष्टानुसार किसी परिवर्तन के संबंध में अनुमति प्रदान की जा चुकी हो। आयोग, स्वयं का समाधान हो जाने पर ही, जिस हेतु उसके द्वारा कारण लिखित में अभिलेखित किये जाएंगे, विद्युत-दर (टैरिफ) में अन्य पुनरीक्षण अनुज्ञेय कर सकेगा।

- 11.2 इन विनियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी वर्ष हेतु स्वीकृत किये गये व्ययों की वसूली किसी अनुवर्ती अवधि हेतु स्वीकृत अवधारित विद्युत-दर (टैरिफ) में समायोजन के अधीन होगी, यदि आयोग इस बारे में सन्तुष्ट हो कि किसी राशि आधिक्य अथवा कमी जो उसके वास्तविक अथवा किये गये व्ययों से संबंधित है, का समायोजन अपरिहार्य है एवं वह किसी विशिष्ट कारण से विद्युत उत्पादन कंपनी के नियंत्रण में न होने के कारणवश है।
12. **अनुमोदित विद्युत-दर से भिन्न दर प्रभारित करना(Charging of Tariff other than approved) :**
किसी विद्युत उत्पादन कंपनी के संबंध में जिसे हितग्राहियों/लाभार्थियों से आयोग द्वारा अनुमोदित से भिन्न विद्युत-दर (टैरिफ) प्रभारित करते हुये पाया जाएगा, यह माना जाएगा कि उसके द्वारा आयोग के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है, उसे अधिनियम की धारा 142 के अधीन तथा अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन उत्पादन कंपनी द्वारा देय अन्य किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दण्डित किये जाने का भागी होगा। ऐसे प्रकरण में जहां वसूल की गई राशि, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि से अधिक हो वहां इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को हितग्राहियों/लाभार्थियों को, जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया है, मय उक्त अवधि के साधारण ब्याज के साथ जिसकी दर तत्संबंधी वर्ष की एक अप्रैल की स्थिति में संदर्भ दर (Reference Rate) के बराबर होगी, आयोग द्वारा अधिरोपित अन्य किसी शास्ति के अलावा प्रत्यर्पण की जाएगी।
13. **विद्युत उत्पादन कंपनी की वार्षिक समीक्षा (Annual review of the Generating Company) :**
- 13.1 विद्युत उत्पादन कंपनी नियतकालिक विवरणिकाएं जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए जिनमें परिचालन तथा लागत आंकड़े दर्शाये गये हों, आयोग को उसके आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित बनाये जाने संबंधी अनुश्रवण (मानिटरिंग) हेतु प्रस्तुत करेगी।
- 13.2 विद्युत उत्पादन कंपनी आयोग को उसके निष्पादन के वार्षिक विवरण—पत्र तथा लेखा मय अंकेक्षित लेखे के अन्तिम प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करेगी।

अध्याय—3

विद्युत—दर संरचना (Tariff Structure)

14. विद्युत—दर के संघटक (Components of Tariff) :

- 14.1 किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत प्रदाय के संबंध में विद्युत—दर (टैरिफ) में दो भाग सम्मिलित होंगे, अर्थात्, क्षमता प्रभार (capacity charge) {वार्षिक स्थाई प्रभार (annual fixed cost) की वसूली हेतु, जिसमें ऐसे घटक शामिल होंगे जिन्हें इन विनियमों के विनियम 15 में विनिर्दिष्ट किया गया है} तथा ऊर्जा प्रभार (energy charge) {प्राथमिक तथा द्वितीयक ईंधन लागत (primary and secondary fuel cost), चूना पत्थर (lime stone) तथा अन्य किसी अभिकर्मक (reagent), जहां कहीं भी यह प्रयोज्य हो, की वसूली हेतु जिन्हें इन विनियमों के विनियम 16 में विनिर्दिष्ट किया गया है}।
- 14.2 विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र के साथ—साथ नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु, यथास्थिति, पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों (revised emission standards) के क्रियान्वयन के कारण अनुपूरक विद्युत—दर (supplementary tariff), जिसमें अनुपूरक क्षमता प्रभार (supplementary capacity charges) तथा ऊर्जा प्रभार (energy charges) सम्मिलित होंगे आयोग द्वारा पृथक से अवधारित किये जाएंगे।
- 14.3 वार्षिक इकाई लागत की वसूली हेतु जिसके अन्तर्गत इन विनियमों के विनियम 15 में संदर्भित घटक सम्मिलित हैं, किसी जल—विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत प्रदाय के संबंध में विद्युत—दर (टैरिफ) में क्षमता प्रभार (capacity charge) तथा ऊर्जा प्रभार (energy charge) शामिल होंगे जिन्हें इन विनियमों के विनियम 48 में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार व्युत्पादित किया जाएगा।

15. क्षमता प्रभार (Capacity Charges) :

- 15.1 क्षमता प्रभारों (capacity charges) को वार्षिक स्थाई लागत (Annual Fixed Cost) के आधार पर व्युत्पादित किया जाएगा। किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र की वार्षिक स्थाई लागत में निम्न घटक शामिल होंगे :
- (क) पूँजी पर प्रतिलाभ (Return on equity) ;
(ख) अवमूल्यन / अवक्षयण (Depreciation) ;
(ग) ऋण पूँजी पर ब्याज (Interest on loan capital) ;

- (घ) प्रचालन एवं संधारण व्यय (Operation and maintenance expenses);
तथा
- (ङ) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on working capital) :

परंतु जहां इन विनियमों के विनियम 28 के अनुसार नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण (R&M) के बदले में विशेष रियायत (special allowance) हेतु विकल्प प्रदान किया गया हो वहां इसकी वसूली पृथक से की जाएगी तथा कार्यकारी पूंजी (working capital) की गणना हेतु इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 15.2 अनुपूरक क्षमता प्रभार (Supplementary Capacity Charge) :** अनुपूरक क्षमता प्रभारों को उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु वार्षिक स्थाई लागत (AFCe) के आधार पर व्युत्पादित किया जाएगा। उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु वार्षिक स्थाई लागत (Annual Fixed Cost) में इन विनियमों के विनियम 15.1 के क्रमांक (क) से (ङ) तक सूचीबद्ध किये गये अनुसार घटक सम्मिलित होंगे।

16. ऊर्जा प्रभार (Energy Charges) :

ऊर्जा प्रभारों को किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र (जल-विद्युत को छोड़कर) की आगमित ईंधन लागत (Landed Fuel Cost) के आधार पर व्युत्पादित किया जाएगा तथा इसमें निम्न लागतें शामिल होंगी :

- (क) प्राथमिक ईंधन (primary fuel) की आगमित ईंधन लागत ;
- (ख) द्वितीयक ईंधन तेल (secondary fuel oil) खपत की लागत : और
- (ग) चूना पत्थर (lime stone) अथवा किसी अन्य अभिकर्मक (reagent) की लागत, जैसा कि प्रयोज्य हो :

परन्तु करों (taxes) तथा शुल्कों (duties) के बारे में किसी प्रत्यर्पण (refund) राशि को, मय ईंधन प्रदायकों से शास्ति (penalties) के रूप में प्राप्त की गई किसी राशि को ईंधन लागत में समायोजित किया जाएगा ;

परन्तु आगे यह और कि अनुपूरक ऊर्जा प्रभार (supplementary energy charge), यदि कोई ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों की पूर्ति हेतु लागू हों, का अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों के विनियम 47 के अनुसार पृथक से किया जाएगा।

17. ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा उपयोगी जीवनकाल पूर्ण करने के पश्चात् विद्युत-दर हेतु विशेष प्रावधान (**Special Provisions for Tariff for Thermal Generating Stations after completion of Useful Life**) :

किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में जिसके द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 25 वर्ष की प्रचालन अवधि पूर्ण की जा चुकी हो, तथा ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र से हितग्राहियों/लाभार्थियों को विद्युत-आपूर्ति व्यवस्था का विस्तार न किया गया हो वहां विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राही/लाभार्थी किसी व्यवस्था के बारे में सहमत हो सकते हैं जिनमें लक्ष्य उपलब्धता तथा प्रोत्साहन को सम्मिलित किया जा सकता है, जहां ऊर्जा प्रभार के अतिरिक्त, इन विनियमों के अन्तर्गत क्षमता प्रभार का अवधारण किया जाता है, वहां पर इसकी वसूली अनुसूचित विद्युत उत्पादन (Scheduled generation) के आधार पर की जाएगी :

परन्तु यह कि हितग्राही/लाभार्थी तथा विद्युत उत्पादन केन्द्र के मध्य यह व्यवस्था विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(I)(ख) के अन्तर्गत आयोग के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए होगी।

अध्याय-4

पूंजीगत लागत तथा पूंजीगत संरचना की संगणना

(Computation of Capital Cost and Capital Structure)

18. पूंजीगत लागत (Capital Cost) :

- 18.1 किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र की पूंजीगत लागत, जैसा कि इसका अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार युक्तियुक्त परीक्षण के बाद किया जाएगा, विद्यमान तथा नवीन परियोजनाओं हेतु विद्युत-दर (टैरिफ) के अवधारण का आधार बनेगी।
- 18.2 किसी नवीन परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्न पहलू शामिल होंगे :
- (एक) परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक किया गया व्यय ;
 - (दो) निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज (Interest during construction) तथा वित्तीय प्रबंध प्रभार (financing charges), ऋणों पर (क) लगाई गई 70 प्रतिशत निधि के बराबर, ऐसे प्रकरणों में जहां वास्तविक पूंजी समरूप आधार पर (pari-passu basis) लगाई गई निधि से 30 प्रतिशत अधिक हो, वहां आधिक्य पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा, अथवा (ख) लगाई गई निधि के 30 प्रतिशत से कम लगाई गई निधि होने के प्रकरण में, ऋण की वास्तविक राशि के बराबर होगा ;
 - (तीन) निर्माण अवधि के दौरान लिये गये ऋण के संबंध में विदेश विनिमय जोखिम विषमता (foreign exchange risk variation) के कारण प्राप्त किया गया कोई लाभ या वहन की गई कोई हानि ;
 - (चार) निर्माण अवधि के दौरान ब्याज तथा निर्माण अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय (incidental expenditure), जैसा कि इसकी गणना इन विनियमों के विनियम 20 के अनुसार की जाए ;
 - (पांच) पूंजीगत प्रारंभिक कलपुर्जे (capitalized initial spares) जो इन विनियमों में निर्दिष्ट उच्चतम दरों (ceiling rates) के अध्यधीन होंगे ;
 - (छ:) इन विनियमों के अनुसार अवधारित किया गया अतिरिक्त पूंजीकरण (additional capitalization) तथा अपूंजीकरण (de-capitalization) के कारण किया गया व्यय ;
 - (सात) वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से पूर्व अस्थाई विद्युत (infirm power) के विक्रय के कारण ईंधन की लागत से अधिक हेतु राजस्व में समायोजन द्वारा जैसा कि इसे इन विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है ;
 - (आठ) राखड़ निपटान (ash disposal) तथा उपयोग (utilization) पर किया

- गया पूंजीगत व्यय, हथालन (handling) तथा परिवहन सुविधा (transportation facility) को समिलित करते हुए ;
- (नौ) विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्राप्ति छोर (receiving end) तक कोयले के परिवहन हेतु रेलवे अधोसंरचना (railway infrastructure) तथा इसके आवर्धन पर किया गया पूंजीगत व्यय (capital expenditure) परन्तु इसमें परिवहन लागत तथा अन्य कोई लागत जिनका भुगतान रेलवे द्वारा किया जाए, समिलित न होंगी ;
- (दस) सह-जलावन (Co-firing) हेतु, बाओमास हथालन उपकरण (biomass handling equipment) के कारण पूंजीगत व्यय ;
- (ग्यारह) पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों (revised emission standards) की पूर्ति हेतु आवश्यक उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली (emission control system) के कारण तथा मलजल उपचार संयंत्र (sewage treatment plant) हेतु पूंजीगत व्यय ;
- (बारह) परियोजना हेतु पर्यावरण अनुमोदन (environment clearance) की प्राप्ति हेतु शर्तों के अनुपालन के कारण व्यय ;
- (तेरह) विधि में परिवर्तन (change in law) तथा विशेष आकस्मिक परिस्थिति घटनाओं (force majeure events) के कारण व्यय ;
- (चौदह) आयोग द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही निष्पादन, प्राप्ति तथा व्यापार से संबंधित ‘Perform, Achieve and Trade (PAT)’ योजना के अंतर्गत मानदण्डों के क्रियान्वयन के कारण किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा पूंजीगत लागत पर किये गये व्यय पर विचार ‘पीएटी’ योजना के अंतर्गत हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा परस्पर उपार्जित लाभों को साझा किये जाने के अध्यधीन रहते हुए किया जाएगा ; और
- (पन्द्रह) निम्न भारों (lower loads) पर विद्युत उत्पादन केन्द्र को लचीले संचालन (flexible operation) के योग्य बनाने हेतु अपेक्षित पूंजीगत व्यय ।
- 18.3 किसी विद्यमान परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्न पहलू शामिल होंगे :
- (एक) आयोग द्वारा दिनांक 1.4.2024 से पूर्व स्वीकृत की गई पूंजीगत लागत जिसे विधिवत रूप से सत्यापित किया गया हो, परन्तु इसमें किसी देयता (liability), यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया जाएगा;
- (दो) तत्संबंधी वर्ष हेतु विद्युत-दर (टैरिफ) से संबद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण

- (Additional Capitalization) तथा अपूंजीकरण (de-capitalization) जैसा कि इसे इन विनियमों के अनुसार अवधारित किया जाए;
- (तीन) नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण (Renovation and Modernization) के कारण कोई व्यय जिसे आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार स्वीकृत किया जाए ;
- (चार) राखड़ निपटान (ash disposal) तथा उपयोग (utilization) के कारण पूंजीगत व्यय, हथालन (handling) तथा परिवहन सुविधा (transportation facility) को सम्मिलित करते हुए ;
- (पांच) विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्राप्ति छोर (receiving end) तक कोयले के परिवहन हेतु रेलवे अधोसंरचना तथा इसके आवर्धन पर किया गया पूंजीगत व्यय परन्तु इसमें परिवहन लागत तथा अन्य कोई लागत जिसका भुगतान रेलवे द्वारा किया जाए, सम्मिलित न होंगे ; और
- (छ:) सह-जलावन (Co-firing) हेतु, बाओमास हथालन उपकरण (biomass handling equipment) के कारण पूंजीगत व्यय ;
- (सात) आयोग द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही निष्पादन, प्राप्ति तथा व्यापार से संबंधित 'Perform, Achieve and Trade (PAT)' योजना के अंतर्गत मानदण्डों के क्रियान्वयन के कारण किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा पूंजीगत लागत पर किये गये व्यय पर विचार 'पीएटी' योजना के अंतर्गत हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा परस्पर उपार्जित लाभों को साझा किये जाने के अध्यधीन रहते हुए किया जाएगा ।
- (आठ) निम्न भारों (lower loads) पर विद्युत उत्पादन केन्द्र को लचीले संचालन (flexible operation) के योग्य बनाने हेतु अपेक्षित पूंजीगत व्यय ; और
- (नौ) विधि में परिवर्तन (change in law) तथा विशेष आकस्मिक परिस्थिति घटनाओं (force majeure events) के कारण व्यय ।
- 18.4 विद्यमान या नवीन जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में पूंजीगत लागत में निम्न लागतों/व्ययों को भी सम्मिलित किया जाएगा :
- (एक) राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्वस्थापन नीति (National R&D Policy) तथा पुनर्वास तथा पुनर्वस्थापन समुच्चय (R&R Package) के अनुरूप परियोजना की अनुमोदित पुनर्वास तथा पुनर्वस्थापन योजना {Rehabilitation and Resettlement (R&R Plan)} लागत ;
- (दो) प्रभावित क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGVY)

तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) परियोजना हेतु परियोजना विकासक का 10 प्रतिशत अंशदान ;

(तीन) जल-विद्युत परियोजनाओं के बाधारहित तथा समयबद्ध विकास हेतु, विद्युत संयन्त्र के आस-पास के क्षेत्र में रसानीय अधोसंरचना को विकसित करने हेतु किये गये व्यय को, जो रूपये 10 लाख/मेगावाट से अधिक न होगा, को पूंजीगत लागत का भाग माना जाएगा तथा यदि ऐसे कार्य को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त बजटीय सहायता (budgetary support) के अन्तर्गत समिलित किया जाता है तो ऐसे कार्यों के निधीयन (funding) को ऐसी निधि प्राप्त होने पर समायोजित किया जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसी निधि (fund) को केवल ऐसी दशा में ही अनुज्ञेय किया जाएगा यदि इनका व्यय भारतीय शासन माध्यम (Indian Governmental Instrumentality) से किया जाता है।

18.5 दिवाला और शोधन क्षमता संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) के अन्तर्गत राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (NCLT) की कार्रवाई के माध्यम से प्राप्त की गई परियोजनाओं के बारे में विद्युत-दर (टैरिफ) का अवधारण करते समय निम्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा :

(क) ऐसी परियोजनाएं जो पूर्व ही से परिचालन में हैं, अधिग्रहण की गई परियोजना की ऐतिहासिक सकल रथाई परिसम्पत्ति (historical GFA) या विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा भुगतान की गई अधिग्रहण लागत (acquisition cost), इनमें से जो भी कम हो ;
(ख) उपरोक्त विनियम (क) के प्रयोजन हेतु, ऐतिहासिक सकल रथाई सम्पत्ति पर विचार करने हेतु, यह समुचित आयोग द्वारा अधिग्रहण की तिथि तक अनुमोदित पूंजीगत लागत होगी :

परन्तु यह कि किसी समुचित आयोग की किसी पूर्व अनुमोदित पूंजीगत लागत के अभाव में, आयोग इस पर युक्तियुक्त परीक्षण (prudence check) के अध्यधीन रहते हुए अंकेक्षित लेखों (audited accounts) के आधार पर विचार करेगा :

परन्तु आगे यह और कि यदि पूर्व ही से संचालित की जा रही किसी परियोजना के अधिग्रहण पश्चात् अतिरिक्त पूंजीगत व्यय किया जाना अपेक्षित हो तो इस पर इन विनियमों को उपबन्धों के अधीन विचार किया जाएगा ;

(ग) यदि किसी ऐसी निर्माणाधीन परियोजना जिसके द्वारा वाणिज्यिक

प्रचालन प्राप्त किया जाना अभी भी शेष हो का यदि अधिग्रहण किया जाता है तो अधिग्रहण लागत (acquisition cost) या अधिग्रहण की तिथि तक उपगत की गई (incurred) वास्तविक अंकेक्षित लागत (actual audited cost), इनमें से जो भी कम हो, को मान्य किया जाएगा ; और

- (घ) परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक ऐसी परियोजना के अधिग्रहण पश्चात उपगत किया गया (incurred) कोई अतिरिक्त व्यय जो विद्युत उत्पादन कम्पनी के संचालक मण्डल के पूँजी निवेश अनुमोदन (investment approval) से संरेखित है, पर भी युक्तियुक्त परीक्षण के अधीन प्रकरण-दर-प्रकरण गुण / दोष के आधार पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि वाणिज्यिक प्रचालन पश्चात, अतिरिक्त पूँजीगत व्यय को इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञेय किया जाएगा ।

- 18.6** विद्यमान तथा नवीन परियोजनाओं की पूँजीगत लागत में निम्न मदों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा :

- (क) ऐसी परिसम्पत्तियां जो परियोजना का भाग तो हैं परन्तु जिन्हें उपयोग में नहीं लाया जा रहा है जैसा कि इस बारे में विद्युत-दर (tariff) याचिका में घोषित किया जाए ;
 (ख) वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पश्चात, अप्रचलन (obsolescence) के कारण अपूँजीकृत परिसम्पत्ति (decapitalized asset)
 (ग) उन्नयन (upgradation) या एक परियोजना से किसी अन्य परियोजना को स्थानान्तरण के कारण अपूँजीकृत परिसम्पत्तियां (decapitalized assets) :

परन्तु यह कि जब तक किसी परिसम्पत्ति का एक परियोजना से अन्य परियोजना को स्थानान्तरण स्थायी प्रकृति का न हो, संबंधित परिसम्पत्तियों का अपूँजीकरण नहीं किया जाएगा ;

- (घ) जल-विद्युत उत्पादन केन्द्रों के प्रकरण में किसी परियोजना विकासक (project developer) द्वारा राज्य सरकार द्वारा परियोजना रथल के आवंटन के संबंध में एक पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसरण में किया गया कोई व्यय या जिसे व्यय किये जाने बाबत आबद्ध किया गया हो ;
 (ङ) विद्यमान परियोजना की भूमि की आनुपातिक लागत जिसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत के

उत्पादन हेतु किया जा रहा हो ; और

- (च) केन्द्र या राज्य सरकार अथवा किसी सांविधिक निकाय (statutory body) अथवा प्राधिकरण से परियोजना के निष्पादन हेतु प्राप्त किये गये किसी अनुदान को, जिसमें अदायगी (repayment) के दायित्व को शामिल न किया गया हो ।

19. पूंजीगत व्यय का युक्तियुक्त परीक्षण (Prudence Check of Capital Cost) :

19.1 विद्यमान अथवा नवीन परियोजनाओं की पूंजीगत लागत के युक्तियुक्त परीक्षण हेतु निम्न सिद्धान्त अपनाए जाएंगे :

- (एक) किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में पूंजीगत लागत के युक्तियुक्त परीक्षण में, इसी प्रकार की परियोजनाओं की पूंजीगत लागत के प्रकाश में, पूर्व ऐतिहासिक आंकड़े जहां कहीं भी ये उपलब्ध हों, वित्त प्रबन्ध योजना (financing plan), निर्माण कार्य के दौरान ब्याज (interest during construction), निर्माण कार्य के दौरान आकस्मिक व्यय (incidental expenditure during construction) के औचित्यपूर्ण होने, दक्ष प्रौद्योगिकी (efficient technologies) के प्रयोग, लागत आधिक्य (cost over-run) तथा समय आधिक्य (time over-run), प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से उपकरणों तथा सामग्रियों के अधिग्रहण तथा ऐसे अन्य मामले जैसा कि वे विद्युत-दर अवधारण के बारे में आयोग द्वारा समुचित माने जाएं, को सम्मिलित किया जाएगा :

परन्तु युक्तियुक्त परीक्षण करते समय आयोग यह परीक्षण भी करेगा कि क्या विद्युत उत्पादन कम्पनी परियोजना के निष्पादन के दौरान अपने मूल्यांकनों तथा निर्णयों में सतर्क रही है :

परन्तु आगे यह और कि जहां कहीं भी विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों के मध्य निष्पादित विद्युत क्रय अनुबन्ध वास्तविक पूंजीगत व्यय की उच्चतम सीमा (Ceiling) का प्रावधान करता हो वहां आयोग युक्तियुक्त परीक्षण हेतु ऐसी उच्चतम सीमा को मान्य करेगा ।

- (दो) आयोग जल-विद्युत परियोजना की पूंजीगत लागत के परीक्षण के प्रयोजन हेतु एक स्वतंत्र अभिकरण (independent agency) या विशेषज्ञ निकाय (expert body) की नियुक्ति कर सकेगा :

परन्तु आयोग के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत पूर्व ही से नियुक्त किया गया नामोदिष्ट (designated) स्वतंत्र अभिकरण का कार्यकाल निर्दिष्ट परियोजना के पूर्ण होने तक जारी रहेगा।

- 19.2 विद्युत उत्पादन कम्पनी विद्युत-दर (टैरिफ) याचिका के साथ विभिन्न घटकों की पूंजीगत लागत के मापदण्ड के आंकड़ा आधार के सृजन के प्रयोजन से विद्यमान तथा नवीन परियोजनाओं के निष्पादन हेतु संवेष्टन वार (package-wise) पूंजीगत लागत इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूपों के अनुसार प्रस्तुत करेगी।
20. निर्माण कार्य के दौरान ब्याज तथा निर्माण कार्य के दौरान आनुषंगिक व्यय {Interest during construction (IDC) and Incidental Expenditure during Construction (IEDC)} :

- 20.1 निर्माण कार्य के दौरान ब्याज की संगणना वास्तविक ऋण (actual loan) तथा मानदण्डीय ऋण (normative loan) पर विचार करते हुए वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (COD) तक निधि की युक्तियुक्त चरणबद्धता (prudent phasing) को ध्यान में रखकर की जाएगी :

परन्तु यह कि मानदण्डीय ऋण पर निर्माण कार्य के दौरान ब्याज, जो लगाई गई पूंजी के 30% से अधिक से तत्संबंधी हो, को केवल ऐसे प्रकरणों में ही अनुज्ञेय किया जाएगा जहां समरूप आधार (pari-passu basis) पर पूंजी का वास्तविक निषेचन (infusion) लगाई गई कुल पूंजी के 30% से अधिक है तथा इसकी संगणना त्रैमासिक आधार पर की जाएगी :

परन्तु आगे यह और कि यदि मानदण्डीय ऋण पर निर्माण के दौरान ब्याज वास्तविक ऋण के निषेचन से पूर्व अनुज्ञेय किया जाना अपेक्षित हो तो ऐसे निर्माण के दौरान ब्याज की संगणना हेतु ब्याज की दर तत्संबंधी वर्ष की एक अप्रैल को 'एकल-वर्षीय भारतीय स्टेट बैंक (SBI) MCLR' के बराबर होगी :

परन्तु यह और भी कि वास्तविक ऋण के निषेचन पश्चात मानदण्डीय ऋण पर निर्माण कार्य के दौरान ब्याज की संगणना तत्संबंधी त्रैमास हेतु भारित औसत ब्याज दर (weighted average rate of Interest-WAROI) के आधार पर की जाएगी जो संदर्भ ब्याज दर (reference rate of interest) की उच्चतम सीमा अथवा 14%, इनमें जो भी कम हो, के अध्यधीन रहते हुए होगी :

परन्तु यह और भी कि वास्तविक ऋण (actual loan) पर निर्माण के दौरान ब्याज की संगणना उक्त त्रैमास हेतु भारित औसत ब्याज दर (WAROI)

के आधार पर की जाएगी जो ब्याज की संदर्भ दर की उच्चतम सीमा या 14%, इनमें से जो भी कम हो, के अध्यधीन रहते हुए होगी।

- 20.2** निर्माण कार्य के दौरान आनुषंगिक व्यय (IEDC) की गणना शून्य तिथि (zero date) तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (COD) तक पूर्व-परिचालन व्ययों (pre-operative expenses) को दृष्टिगत रखते हुए की जाएगी :

परन्तु निर्माण कार्य के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (COD) तक की अवधि तक निक्षेप राशियों (deposits) को अथवा अग्रिम राशियों (advances) पर ब्याज या फिर अन्य कोई प्राप्तियों के कारण अर्जित राजस्व के बारे में निर्माण कार्य के दौरान आनुषंगिक व्यय में कमी किये जाने संबंधी पहलू को दृष्टिगत रखा जाएगा।

- 20.3** निर्माण कार्य के दौरान ब्याज (IDC) तथा निर्माण कार्य के दौरान आनुषंगिक ब्याज (IEDC) के कारण अतिरिक्त लागतों (additional costs) के प्रकरण में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की प्राप्ति में विलम्ब के कारण विद्युत उत्पादन कम्पनी को इस प्रकार के विलम्ब हेतु विस्तार से मय ब्याज के दौरान निधि की युक्तियुक्त चरणबद्धता के तथा विलंब अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय के विवरण तथा विलंब काल से तत्संबंधी वसूल किये गये अथवा वसूलीयोग्य परिनिर्धारित हानियों (liquidated damages) का औचित्य प्रस्तुत करना होगा।

- 20.4** यदि वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि की प्राप्ति में विलम्ब के लिये विद्युत उत्पादन कम्पनी उत्तरदायी न पाई गई हो तो निर्माण कार्य के दौरान ब्याज तथा निर्माण कार्य के दौरान आनुषंगिक व्यय को विधिवत युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात् अनुज्ञेय किया जा सकेगा तथा परिनिर्धारित हानियां (liquidated damages), यदि कोई हों, जिसे ठेकेदार, सामग्री प्रदायक या अभिकरण से वसूल किया गया हो, को विद्युत उत्पादन केन्द्र की पूंजीगत लागत में समायोजित किया जाएगा।

- 20.5** यदि वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की प्राप्ति में विलम्ब के लिये समूचे तौर पर अथवा आंशिक रूप से विद्युत उत्पादन कम्पनी या उसके ठेकेदार या सामग्री प्रदायक (supplier) या फिर अभिकरण (agency) उत्तरदायी पाये गये हों तो ऐसे प्रकरणों में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (COD) के पश्चात् निर्माण कार्य के दौरान ब्याज (IDC) तथा निर्माण कार्य के दौरान आनुषंगिक व्यय (IEDC) को समूचे तौर पर या फिर आनुपातिक आधार पर विलम्ब अवधि से तत्संबंधी जिसे माफी प्रदान न की गई हो, बनाम कुल क्रियान्वयन अवधि के, को विधिवत युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात् अस्वीकार किया जा सकेगा तथा परिनिर्धारित

हानियां (liquidated damages) यदि कोई हों तो ठेकेदार या सामग्री प्रदायक या अभिकरण से की गई वसूली को उसी अनुपात में जिसे माफी प्रदान न की गई हो, बनाम कुल क्रियान्वयन अवधि के, विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा प्रतिधारित (retained) रखा जाएगा :

[उदाहरण—माना कि किसी परियोजना कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि 48 माह है, परन्तु इसे वास्तविक रूप से 60 माह में पूर्ण किया जा सका है। ऐसे में, यदि बारह माह का समय—आधिक्य (time overrun) विलंब अवधि में से छः माह की समय—आधिक्य (time overrun) अवधि को ही माफी प्रदान की गई हो तो अनुज्ञेय निर्माण कार्य के दौरान ब्याज (IDC) तथा निर्माण कार्य में अनुषंगिक व्यय (IEDC) की गणना कुल निर्माण के दौरान ब्याज तथा निर्माण कार्य में उपगत (incurred) आनुषंगिक व्यय की गणना 60 माह की अवधि के लिए की जाएगी तथा इसे 54 : 60 के अनुपात में संविभाजित कर अनुज्ञेय किया जाएगा।]

परन्तु यह कि जहां वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (COD) प्राप्त करने में विलंब की अवधि अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (SCOD) से छः माह से अधिक कतिपय क्रियाकलापों (activities) जैसे कि (i) वन विभाग का अनुमोदन, (ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (NHAI) का अनुमोदन, या (iii) रेलवे विभाग की अनुमति के कारण हो, वहां युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात अधिकतम 95% तक का समय—आधिक्य (time overrun) ही अनुज्ञेय किया जाएगा।

20.6 इस विनियम के उपरोक्त विनियमों 20.4 तथा 20.5 के प्रयोजन हेतु वास्तविक ऋण तथा मानदण्डीय ऋण पर निर्माण कार्य के दौरान ब्याज (IDC) पर विचार इन विनियमों में निर्दिष्ट किये गये अनुसार मानदण्डीय ऋण—पूँजी अनुपात (normative debt-equity ratio) में किया जाएगा।

21. नियंत्रणीय तथा अनियंत्रणीय कारक (Controllable and uncontrollable Factors) :

21.1 नीचे दर्शाए गए कारकों को नियंत्रणीय कारक (controllable factor) तथा अनियंत्रणीय कारक (uncontrollable factor) के रूप में निरूपित किया जाएगा जो परियोजना के समय—आधिक्य (time overrun), लागत में वृद्धि, निर्माण कार्य के दौरान ब्याज (IDC) तथा निर्माण कार्य के दौरान आनुषंगिक व्यय (IEDC) के निर्णय को प्रभावित करते हों :

21.2 'नियंत्रणीय कारकों (controllable factors)' में निम्न कारक शामिल होंगे जो मात्र निम्न तक ही सीमित न होंगे :

(क) परियोजना के क्रियान्वयन में दक्षता जहां ऐसी परियोजना के विस्तार क्षेत्र

में अनुमोदित परिवर्तन (approved change), वैधानिक उद्ग्रहणों (statutory levies) या विधि में परिवर्तन (change of law) या आकस्मिक विशेष घटनाओं (force majeure events) में परिवर्तन सन्निहित न हों; तथा
 (ख) जहां परियोजना के निष्पादन में विलंब के लिये विद्युत उत्पादन कम्पनी के ठेकेदार, सामग्री प्रदायक या अभिकरण उत्तरदायी हों।

- 21.3** अनियन्त्रणीय कारकों (uncontrollable factors) में निम्न कारक शामिल होंगे जो मात्र निम्न तक ही सीमित न होंगे:
- (एक) आकस्मिक विशेष घटनाएं (Force Majeure events) ;
 - (दो) कानून में परिवर्तन (Change in Law) ; तथा
 - (तीन) भूमि के अधिग्रहण के कारण समय तथा लागत—आधिक्य (time and cost overruns), केवल उन्हें छोड़कर जहां विलम्ब के लिये विद्युत उत्पादन कम्पनी उत्तरदायी हो।

22. प्रारंभिक कल-पुर्जे (Initial Spares) :

प्रारंभिक कल-पुर्जे का पूंजीकरण निम्न उच्चतम मानदण्डों (ceiling norms) के अध्यधीन रहते हुए संयंत्र तथा मशीनरी (Plant and Machinery) की लागत के प्रतिशत के रूप में किया जाएगा :

- | | | |
|-----|--|--------|
| (क) | कोयला—आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु | — 4.0% |
| (ख) | जल—विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु, उद्वहन संग्रहण (Pumped Storage) जल—विद्युत उत्पादन केन्द्र को समिलित करते हुए | — 4.0% |

परन्तु यह कि :

एक. निर्माण कार्य के दौरान ब्याज (IDC), निर्माण कार्य के दौरान आनुषंगिक व्यय (IEDC), भूमि के मूल्य तथा सिविल कार्यों की लागत को छोड़कर, संयन्त्र तथा मशीनरी की लागत को मूल परियोजना लागत माना जाएगा। संयन्त्र तथा मशीनरी की लागत के प्राक्कलन के प्रयोजन हेतु विद्युत उत्पादन कम्पनी अपने विद्युत—दर (टैरिफ) आवेदन में शीर्षवार निर्माण कार्य के दौरान ब्याज (IDC) तथा निर्माण कार्य के दौरान आनुषंगिक व्यय का (IEDC) विभाजन प्रस्तुत करेगी।

दो. जहां उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की स्थापना की जाती है वहां कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिये इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रारंभिक कल-पुर्जे हेतु मानदण्ड लागू होंगे।

अध्याय—5

अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की संगणना

(Computation of Additional Capital Expenditure)

23. मूल प्रावधानों के अन्तर्गत तथा पृथक्कृत तिथि तक अतिरिक्त पूंजीकरण (Additional Capitalisation within the original scope and up to cut-off date) :

23.1 कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत, नवीन परियोजनाओं या फिर किसी विद्यमान परियोजना के संबंध में निम्न कारणों से वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के पश्चात पृथक्कृत तिथि तक किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, को आयोग द्वारा निम्न मर्दों के अन्तर्गत युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन स्वीकार किया जा सकेगा :

- (एक) पृथक्कृत तिथि तक निष्पादित किये गये कार्यों हेतु स्वीकृत देयताओं के प्रति किये गये भुगतान हेतु ;
- (दो) वे कार्य जिन्हें निष्पादन हेतु स्थगित रखा गया हो ;
- (तीन) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत इन विनियमों के विनियम 22 के उपबन्धों के अध्यधीन प्रारंभिक पूंजीगत कलपुर्जों की अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु :
- (चार) माध्यस्थम प्रकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा किसी सांविधिक प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों अथवा आदेश के परिपालन में अथवा न्यायालय द्वारा प्रसारित आदेश या आदेशित डिक्री के परिपालन में भुगतान ;
- (पांच) कानून में परिवर्तन के कारण अथवा किसी प्रचलित कानून के परिपालन में जिसे कार्य के मूल प्रावधानों के अधीन प्रदान नहीं किया गया है ;
- (छ:) जल-विद्युत परियोजनाओं के बाधारहित तथा समयबद्ध विकास हेतु, विद्युत संयन्त्र के आस-पास के क्षेत्र में स्थानीय आधोसंरचना को विकसित करने हेतु किये गये व्यय को, जो रूपये 10 लाख / मेगावाट से अधिक न होगा, को पूंजीगत लागत का भाग माना जाएगा तथा यदि ऐसे कार्य को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त बजटीय सहायता (budgetary support) के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है तो ऐसे कार्यों के निधीयन (funding) को ऐसी निधि प्राप्त होने पर समायोजित किया जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसी निधि (fund) को केवल ऐसी दशा में ही

अनुज्ञेय किया जाएगा यदि इनका व्यय भारतीय शासन माध्यम (Indian Governmental Instrumentality) के माध्यम से किया जाता है ;

- (सात) आकस्मिक विशेष परिस्थितियों से संबंधित घटनाएं (Force Majeure events) :

परंतु परिस्मृतियों के किसी प्रतिस्थापन के प्रकरण में अतिरिक्त पूंजीकरण की गणना सकल स्थायी परिस्मृतियों (gross fixed assets) के समायोजन तथा अपूंजीकरण के कारण प्रतिस्थापित की गई परिस्मृतियों के संचयी अवक्षयण/अवमूल्यन (cumulative depreciation) के पश्चात् की जाएगी।

- 23.2 विद्युत उत्पादन कम्पनी कार्यकाल के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये परिस्मृतिवार/कार्यवार कार्यों के विवरण मय व्यय के प्राक्कलनों व किसी भविष्यगामी तिथि को भुगतानयोग्य मान्यताप्राप्त देयताओं के तथा निष्पादन हेतु स्थगित किये गये कार्यों के विवरण सहित विद्युत-दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु आवेदन के साथ संलग्न करते हुए प्रस्तुत करेगी।
24. मूल प्रावधानों के अन्तर्गत तथा पृथक्कृत तिथि के पश्चात अतिरिक्त पूंजीकरण (Additional Capitalization within the original scope and after the cut-off date) :

- 24.1 कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत किसी विद्यमान परियोजना या फिर किसी नवीन परियोजना के संबंध में निम्न कारणों से वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के पश्चात पृथक्कृत तिथि तक किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को आयोग द्वारा निम्न मदों के अन्तर्गत युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन रहते हुए स्वीकार किया जा सकेगा :

- (एक) माध्यस्थम प्रकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा किसी सांविधिक प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों अथवा आदेश के परिपालन में अथवा न्यायालय द्वारा प्रसारित आदेश या आदेशित डिक्री के परिपालन में किया गया भुगतान ;
- (दो) कानून में परिवर्तन के कारण अथवा किसी प्रचलित कानून के परिपालन में जिसे कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान न किया गया हो ;
- (तीन) राखड़ तालाब (Ash pond) कार्य या राखड़ हथालन प्रणाली (ash handling system) से संबंधित स्थगित कार्य या कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत राखड़ बांध (ash dyke) का निर्माण कार्य ;

- (चार) पृथक्कृत तिथि से पूर्व निष्पादित किये गये कार्यों से संबंधित स्वीकृत देयताओं हेतु किये गये भुगतान के बारे में ;
- (पांच) आकस्मिक विशेष परिस्थितियों से संबंधित घटनाएं (force majeure events) : और
- (छ:) पृथक्कृत तिथि के पश्चात मूल प्रावधान के अन्तर्गत निष्पादित कार्य जिन्हें आयोग द्वारा किये गये वास्तविक भुगतान की सीमा तक स्वीकार किया गया हो ।

24.2 विद्यमान परियोजना के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत पृथक्कृत तिथि के पश्चात उपयोग में लाई जा रही परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन के प्रकरण में आयोग द्वारा सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में आवश्यक समायोजनों तथा संचयी अवमूल्यन के पश्चात् निम्न आधार पर युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन रहते हुए अतिरिक्त पूंजीकरण को स्वीकार किया जा सकेगा :

- (क) ऐसी परिसम्पत्तियां जिनका उपयोगी जीवनकाल परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के आनुषंगिक नहीं है तथा ऐसी परिसम्पत्तियों का इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार पूर्णतया अवमूल्यन / अवक्षयण (depreciation) कर दिया गया हो ;
- (ख) ऐसी परिसम्पत्ति या उपकरण का प्रतिस्थापन यदि यह कानून में परिवर्तन या आकस्मिक विशेष परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो ;
- (ग) ऐसी परिसम्पत्ति या उपकरण का प्रतिस्थापन प्रौद्योगिकी के अप्रचलित (obsolescence) हो जाने के कारण आवश्यक हो गया हो ;
- (घ) आयोग द्वारा ऐसी परिसम्पत्ति या उपकरण के प्रतिस्थापन को अन्यथा भी अनुमति प्रदान की जा चुकी हो ; और
- (ङ) अतिरिक्त व्यय, संचालन एवं संधारण (O&M) व्ययों में सम्मिलित किये गये आवर्ती (recurring) व्ययों को छोड़कर, जो पट्टे की भूमि के पट्टे के नवीनीकरण के बारे में, प्रकरण—दर—प्रकरण गुण—दोष के आधार पर सन्निहित है :

परन्तु यह कि प्रौद्योगिकी के अप्रचलित (obsolescence) हो जाने के कारण, मूल प्रावधान के अधीन परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण के बारे में कोई भी दावा जो रु 20 लाख से कम हो को पूंजीगत लागत का भाग नहीं माना जाएगा तथा इसकी पूर्ति विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा मानदण्डीय संचालन तथा संधारण व्ययों के माध्यम से की जाएगी ।

25. मूल प्रावधानों से परे अतिरिक्त पूँजीकरण (Additional Capitalization beyond the original scope) :

25.1 किसी विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र के बारे में निम्नलिखित कारणों से मूल प्रावधानों से परे किये गये पूँजीगत व्यय को पृथक्कृत तिथि के पश्चात आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन रहते हुए स्वीकार किया जा सकेगा :

- (क) माध्यस्थम प्रकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा किसी सांविधिक प्राधिकरण के दिशा—निर्देशों अथवा आदेश के परिपालन में अथवा किसी न्यायालय द्वारा प्रसारित आदेश या आदेशित डिक्री के परिपालन में भुगतान ;
- (ख) कानून में परिवर्तन के कारण अथवा किसी प्रचलित कानून के परिपालन में ;
- (ग) आकस्मिक विशेष परिस्थितियों से संबंधित घटनाएं (Force Majeure Events) :
- (घ) संयंत्र की उच्चतर सुरक्षा तथा बचाव की आवश्यकता हेतु किए जाने संबंधी पूँजीगत व्यय जैसा कि राष्ट्रीय सुरक्षा/आन्तरिक सुरक्षा हेतु उत्तरदायी सांविधिक प्राधिकरणों के समुचित शासकीय माध्यम (Appropriate Government Instrumentality) द्वारा इसकी आवश्यकता के बारे में परामर्श दिया गया हो या निर्देशित किया गया हो ;
- (ङ) कार्य के मूल प्रावधानों के अतिरिक्त, प्रकरण—दर—प्रकरण गुण—दोष के आधार पर राखड़ तालाब (ash pond) या राखड़ हथालन प्रणाली (ash handling system) या राखड़ बांध (ash dyke) के निर्माण से संबंधित स्थगित कार्य :
परन्तु यदि नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण या फिर संचालन तथा संधारण (O&M) के अंतर्गत मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य (repairs and maintenance) के किसी व्यय का दावा किया जाए तो इस व्यय का दावा इस विनियम के अधीन नहीं किया जा सकेगा ;
- (च) ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में मलजल उपचार संयंत्र (sewage treatment plant) से जल का उपयोग ;
- (छ) बाओमास सह—जलावन (Co-firing) हेतु समर्थता के लिये बाओमास हथालन प्रणाली (biomass handling system) और विद्युत उत्पादन केन्द्र के लचीले परिचालन (flexible operation) हेतु समर्थता के प्रति

अपेक्षित कार्य जैसा कि वे वांछित हों ;

- (ज) कोयले के परिवहन से संबंधित कार्य हेतु रेलवे अधोसंरचना तथा इसके आवर्धन से संबंधित कार्य (किसी परिवहन लागत तथा अन्य कोई आनुषंगिक लागत को छोड़कर जिसका भुगतान रेलवे को किया गया हो) जिन्हें विनियम 23, 24 तथा 26 के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है परन्तु जिसका परिणाम बेहतर ईंधन प्रबन्धन के रूप में प्राप्त होगा तथा परिचालन लागतों में कमी के रूप में परिलक्षित हो सकते हैं, या फिर जिनके अन्य ठोस प्रलाभ प्राप्त होंगे :

परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन कम्पनी को ऐसे कार्यों के कार्यान्वयन से पूर्व ऐसी योजनाओं के विस्तृत लागत लाभ विश्लेषण (detailed cost benefit Analysis) के आधार पर अनिवार्य रूप से आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

- (झ) कोई भी अतिरिक्त पूंजीगत व्यय जो विद्युत उत्पादन केन्द्र के दक्ष संचालन हेतु आवश्यक हो गया है, जहां राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) प्रक्रिया के माध्यम से अर्जित परियोजनाओं के प्रति अपेक्षित कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है, वहां प्रस्तुत दावे को तकनीकी औचित्य (technical justification) तथा लागत-प्रलाभ विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।
- (ज) अतिरिक्त पूंजीकरण से संबंधित रूपये 20 लाख से कम राशि के किसी भी दावे पर इन विनियमों के विनियम 25.1 के अधीन विचार नहीं किया जाएगा तथा इसकी पूर्ति मानदण्डीय संचालन एवं संधारण व्ययों से की जाएगी ।

- 25.2** किसी विद्युत उत्पादन कम्पनी की परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण के प्रकरण में, अपूंजीकरण की तिथि की स्थिति में, ऐसी परिसम्पत्ति की मूल लागत को सकल स्थाई परिसम्पत्ति तथा तत्संबंधी ऋण के साथ-साथ पूंजी को भी क्रमशः बकाया ऋण राशि तथा पूंजी की राशि में से उक्त वर्ष के दौरान जब ऐसा अपूंजीकरण घटित हो, मय ऋण के संचयी अवक्षयण तथा संचयी अदायगी के जिसके अन्तर्गत यथोचित तौर पर उक्त वर्ष को मानकर जब इसका पूंजीकरण किया गया हो, पर विचार करते हुए घटाया जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसे प्रकरणों में जहां कोई परिसम्पत्ति जो किसी योजना का भाग हो जहां ऐसी परिसम्पत्ति का ऐतिहासिक मूल्य उपलब्ध न हो वहां अपूंजीकरण के मूल्य की संगणना नवीन परिसम्पत्ति के मूल्य घटोत्ती (de-escalation) द्वारा नवीन परिसम्पत्ति के मूल्य के 5% प्रति वर्ष की दर से पुरानी

परिसम्पत्ति के पूँजीकरण के वर्ष तक की जाएगी जो परिसम्पत्ति की प्रतिस्थापन लागत के न्यूनतम 10% के अध्यधीन रहते हुए होगी।

26. अक्रियाशील करना (De-commissioning) :

किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई के प्रकरण में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण (statutory authority) द्वारा यह प्रमाणित किये जाने पर कि परिसम्पत्ति परिचालन के अयोग्य है या इसे पर्यावरणीय कारणों से या सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण, या प्रणाली उन्नयन (system upgradation) या फिर उपरोक्त कारणों के संयोजन से भी प्रतिस्थापित किये जाने की आवश्यकता है जिस हेतु विद्युत उत्पादन कम्पनी उत्तरदायी नहीं है, वहां अवसूल अवमूल्यन मूल्य (unrecovered depreciation value) की वसूली प्रकरण-दर-प्रकरण गुण-दोष के आधार पर वास्तविक उपादेय मूल्य (salvage value) या नकदीकरण मूल्य (realization value) इनमें जो भी अधिक हो, ऐसी परियोजना के समापन पर्यन्त वसूल किये जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है :

परन्तु यह कि वसूली की रीति, किस्तों की संख्या जिसके माध्यम से अवसूल अवमूल्यन को अनुज्ञेय किया जाएगा को प्रकरण-दर-प्रकरण गुण-दोष के आधार पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि ऐसी वसूली से संबद्ध किसी विलंब के लिये वहन लागत (Carrying Cost) अनुज्ञेय नहीं की जाएगी।

27. नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के कारण अतिरिक्त पूँजीकरण (Additional Capitalization on account of Renovation and Modernisation) :

27.1 विद्युत उत्पादन कम्पनी जो विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी किसी इकाई की विद्युत-दर (टैरिफ) के अवधारण के प्रयोजन हेतु मूल रूप से मान्य उपयोगी जीवनकाल के उपरान्त उसके विस्तार हेतु इच्छुक हो, वह नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के प्रयोजन से आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ, एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) प्रस्तुत करेगी जिसमें उसका सम्पूर्ण उद्देश्य, औचित्य, लागत-लाभ विश्लेषण (cost-benefit analysis), किसी संदर्भ तिथि (reference date) से जीवनकाल की अनुमानित वृद्धि, वित्तीय समुच्चय (financial package), व्यय की चरणबद्धता, कार्य पूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, संदर्भ मूल्य स्तर (reference price level), कार्य पूर्ण करने संबंधी अनुमानित लागत मय विदेशी मुद्रा घटक (foreign exchange component) के, यदि कोई हो, तथा अन्य कोई जानकारी जिसे विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा प्रासंगिक माना जाए, संलग्न करेगी :

परन्तु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाली

विद्युत उत्पादन कम्पनी को इन विनियमों के विनियम 28 के अन्तर्गत विशेष छूट (special allowance) की पात्रता नहीं होगी :

परन्तु आगे यह और कि विद्युत उत्पादन कम्पनी जो नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्य का दायित्व लेने की इच्छुक हो, को हितग्राहियों/लाभार्थियों से ऐसे नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों की प्रतिक्रिया को याचिका के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

- 27.2** जहां विद्युत उत्पादन कम्पनी नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण (renovation and modernization) के अनुमोदन हेतु कोई आवेदन (प्रस्ताव) प्रस्तुत करती हो, वहां ऐसे प्रकरण में प्रस्ताव का अनुमोदन लागत-प्राक्कलनों (cost estimates), वित्तीय प्रबंध योजना (financing plan), कार्य पूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, निर्माण के दौरान ब्याज के युक्तियुक्त होने, दक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग, लागत-लाभ विश्लेषण, जीवनकाल के विस्तार की प्रत्याशित अवधि, हितग्राहियों/लाभार्थियों की प्रतिक्रिया तथा ऐसे अन्य कारकों पर, जो आयोग द्वारा प्रासंगिक समझे जाएं, यथोचित विचारोपरान्त किया जाएगा।
- 27.3** आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण (R&M) कार्य पूर्ण करने के पश्चात, विद्युत उत्पादन कम्पनी विद्युत-दर के अवधारण हेतु याचिका प्रस्तुत करेगी। वास्तविक रूप से किया गया व्यय अथवा किये जाने वाला प्रक्षेपित व्यय जिसे आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण पश्चात् स्वीकार किया गया हो तथा मूल परियोजना लागत से पूर्व वसूल किए गए संचित अवमूल्यन (accumulated depreciation) को घटाकर प्राप्त किया गया हो, विद्युत-दर (टैरिफ) के अवधारण का आधार बनेगा।
- 28.** कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु विशेष रियायत (Special Allowance for Coal-based Thermal Generating Station) :
- 28.1** किसी कोयला-आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में विद्युत उत्पादन कम्पनी, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी प्रावधान का लाभ उठाने के बजाय व्ययों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में, जिनमें विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी इकाई के उसके उपयोगी जीवनकाल के पश्चात् उसके नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान भी शामिल है, इस विनियम में निर्दिष्ट किये गये अनुसार “विशेष रियायत” की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प ले सकेगी तथा ऐसी परिस्थिति में पूंजीगत लागत ऊर्ध्वगामी पुनरीक्षण (upward revision) को शामिल नहीं किया जाएगा तथा प्रयोज्य परिचालन मानदण्डों को शिथिल नहीं किया जाएगा परन्तु वार्षिक स्थाई लागत

में विशेष रियायत सम्मिलित की जाएगी। उपरोक्त उल्लेखित व्यय, किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 25 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात विनियम, 23, 24, 25 तथा 26 के अन्तर्गत सम्मिलित किसी अतिरिक्त पूंजीगत व्यय से संबद्ध हैं, परन्तु कानून में परिवर्तन, माध्यस्थम प्रकरण में पारित अधिनिर्णय, किसी सांविधिक प्राधिकरण के दिशा—निर्देशों का अनुपालन, किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश या आदेशित डिक्री के पालन में भुगतान तथा आकस्मिक विशेष परिस्थितियों से संबद्ध प्रकरणों को छोड़कर :

परन्तु इस प्रकार का विकल्प किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र या इसकी किसी इकाई (यूनिट) हेतु उपलब्ध न होगा जिसके लिए नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी कार्य का दायित्व वहन किया गया हो तथा आयोग द्वारा व्यय का अनुमोदन इन विनियमों को लागू किये जाने के पूर्व किया गया हो या फिर किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा इकाई हेतु जो अपेक्षाकृत कम क्षमता पर अथवा शिथिल परिचालन तथा निष्पादन मानदण्डों के अनुसार कार्य कर रही हो :

परन्तु यह और कि विशेष रियायत (special allowance) ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु भी उपलब्ध रहेगी जिसके द्वारा विद्युत—दर अवधि 2013–14 से 2015–16 अथवा 2016–17 से 2018–19 या 2019–20 से 2023–24 के दौरान विशेष रियायत प्राप्त की गई हो जैसा कि यह उपयोगी जीवनकाल की समाप्ति से लागू हो।

- 28.2** टैरिफ अवधि 2024–29 हेतु विशेष रियायत की दर रु. 10.75 लाख प्रति मेगावाट प्रति वर्ष होगी।
- 28.3** आयोग द्वारा विशेष रियायत (special allowance) स्वीकृत किए जाने की दशा में विशेष रियायत से व्यय किए जाने या उसका उपयोग किए जाने पर इसका विवरण विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा पृथक् से संधारित किया जाएगा तथा इससे संबंधित विवरण आयोग को उसके द्वारा ऐसे व्यय के बारे में सत्यापन के समय प्रस्तुत करने होंगे :

परन्तु यह कि विशेष रियायत को सत्यापन के अध्याधीन रहते हुए, वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय के आधार पर अनुज्ञेय किया जाएगा। उपयोग न की गई राशि (unutilized amount) को नियंत्रण अवधि हेतु यदि कोई हो तो उसे नियंत्रण अवधि ही के भीतर आगामी वित्तीय वर्ष को आगे बढ़ा दिया (carry forward) जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि उपयोग न की गई राशि को विद्युत—दर

(टैरिफ) में नियंत्रण अवधि के अंतिम वित्तीय वर्ष, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2028–29 में सत्यापन के समय समायोजित किया जाएगा :

- 28.4** इस विनियम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई विशेष रियायत (special allowance) विनियम 28.1 के अनुसार नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण (Renovation and Modernization) गतिविधियों तथा अतिरिक्त पूँजीकरण को अन्तरित की जाएगी और किया गया व्यय या उपयोग विशेष रियायत (Special Allowance) का गठन करेगा तथा आयोग द्वारा निर्देशित किये जाने पर उसे इसका विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- 29.** **पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के कारण अतिरिक्त पूँजीकरण (Additional Capitalization on account of Revised Emission Standards) :**
- 29.1** विद्युत उत्पादन कम्पनी जिसके द्वारा पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन हेतु विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र में अतिरिक्त पूँजीगत व्यय किया जाना अपेक्षित है, उसे अपना प्रस्ताव हितग्राहियों/लाभार्थियों के साथ साझा करना होगा तथा इस प्रकार के अतिरिक्त पूँजीकरण को वहन करने हेतु एक याचिका आयोग के समक्ष दाखिल करनी होगी।
- 29.2** उपरोक्त खण्ड के अन्तर्गत प्रस्ताव में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा यथाप्रस्तावित प्रौद्योगिकी के विवरण, कार्य का विस्तार क्षेत्र, व्यय की चरणबद्धता (phasing), कार्य पूर्ण करने का कार्यक्रम, कार्य पूर्ण करने की अनुमानित लागत मय इसके विदेशी मुद्रा घटक (foreign exchange component) के, यदि कोई हो, हितग्राहियों/लाभार्थियों पर विद्युत–दर का निर्देशात्मक प्रभाव तथा अन्य कोई जानकारी जिसे विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा प्रासंगिक समझा जाए, सम्मिलित की जाएगी।
- 29.3** जहां विद्युत उत्पादन कम्पनी पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त पूँजीगत व्यय के अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत करती हो वहां लागत प्राक्कलनों, वित्त प्रबंध योजना, कार्य पूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, निर्माण कार्य के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा ऐसे अन्य कारक जो आयोग द्वारा प्रासंगिक समझे जाएं, आयोग यथोचित विचार किये जाने के पश्चात् प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करेगा।
- 29.4** पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों को कार्यान्वित किये जाने के पश्चात्, विद्युत उत्पादन कम्पनी विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु एक याचिका दाखिल करेगी। किया गया कोई व्यय या जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो तथा आयोग द्वारा लागत के युक्तियुक्त होने तथा परिचालन मानदण्डों के प्रभाव के मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया गया हो, विद्युत–दर अवधारण का

आधार बनेगा।

- 29.5 उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के कारण अनुन्मुक्त देयता (undischarged liability), यदि कोई हो, को उक्त वर्ष के दौरान जब इसे मुक्त किया जाए, युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में अनुज्ञेय की जाएगी।

30. **अस्थाई विद्युत का विक्रय (Sale of Infirm Power) :**

अस्थाई विद्युत (infirm power) की आपूर्ति को विचलन के रूप में लेखांकित किया जाएगा तथा इसका भुगतान क्षेत्रीय/राज्य विचलन व्यवस्थापन निधि लेखा (regional/state deviation settlement fund accounts) से केन्द्रीय विद्युत नियमक आयोग द्वारा विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामलों के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित विनियम “Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related matters) Regulations, 2022” या किसी अनुवर्ती पुनर्अधिनियमन (re-enactment) के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु अस्थाई विद्युत के प्रदाय द्वारा विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा अर्जित किसी राजस्व को ईंधन से संबंधित व्ययों के लेखांकन पश्चात इसका अनुप्रयोग तदनुसार पूंजीगत लागत के समायोजन द्वारा किया जाएगा।

31. **ऋण-पूंजी अनुपात (Debt-Equity Ratio) :**

- 31.1 नवीन परियोजनाओं हेतु ऋण : पूंजी अनुपात वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में 70:30 माना जाएगा। यदि वास्तविक रूप से निवेश की गई पूंजी, पूंजीगत लागत के 30 प्रतिशत से अधिक हो तो 30 प्रतिशत से अधिक पूंजी को मानदण्डीय ऋण (normative loan) माना जाएगा:

परन्तु यह कि :

- (क) जहां निवेश की गई पूंजी पूंजीगत लागत के 30 प्रतिशत से कम हो, वहां विद्युत-दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु वास्तविक पूंजी को ही मान्य किया जाएगा,
- (ख) विदेशी मुद्रा में निवेश की गई पूंजी को प्रत्येक तिथि को भारतीय रूपयों में नामोदिष्ट किया जाएगा, और
- (ग) ऋण : पूंजी अनुपात के प्रयोजन से परियोजना के निष्पादन हेतु प्राप्त किये गये किसी अनुदान को पूंजीगत संरचना (capital structure) का भाग नहीं माना जाएगा।

व्याख्या : अधिमूल्य (premium), यदि कोई हो, जिसका उद्वहन विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा परियोजना के निधीयन हेतु किया गया हो

बाबत शेयर पूँजी जारी करते समय तथा आन्तरिक संसाधनों के निवेश हेतु जिसका सृजन मुक्त सुरक्षित निधि में से किया गया हो, को पूँजी पर प्रतिलाभ केवल उसी दशा में की गई गणना हेतु प्राप्त की गई पूँजी के रूप माना जाएगा यदि ऐसी अधिमूल्य राशि तथा आन्तरिक संसाधनों को विद्युत उत्पादन केन्द्र के पूँजीगत व्यय की पूर्ति हेतु वास्तविक रूप से उपयोग में लाया गया हो।

- 31.2 विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा आन्तरिक स्त्रोतों से निधि के निषेचन (infusion) के संबंध में कम्पनी के संचालक मण्डल के संकल्प के अनुमोदन तथा अन्य प्रकरणों में समुचित प्राधिकरण के अनुमोदन को उपयोग किये गये या जिसे विद्युत उत्पादन केन्द्र के पूँजीगत व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया हो, प्रस्तुत किया जाएगा।
- 31.3 ऐसे प्रकरण में जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र को दिनांक 1.4.2024 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो वहां आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2024 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु अनुमोदित ऋण—पूँजी अनुपात को विद्युत—दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु माना जाएगा :
- परन्तु किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में जिसके द्वारा दिनांक 01.04.2024 को या टैरिफ अवधि 2024—29 के दौरान अपना उपयोगी जीवनकाल पूर्ण कर लिया जाए, यदि दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में वास्तविक रूप से लगाई गई पूँजी पूँजीगत लागत के 30 प्रतिशत से अधिक हो तो 30 प्रतिशत से अधिक की पूँजी पर विद्युत—दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
- 31.4 ऐसे प्रकरण में जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र को दिनांक 1.4.2024 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो परन्तु जहां आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2024 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु ऋण : पूँजी के अनुपात का निर्धारण न किया गया हो, वहां आयोग द्वारा ऋण : पूँजी अनुपात का अनुमोदन इस विनियम के विनियम 31.1 के अनुसार किया जाएगा।
- 31.5 दिनांक 1.4.2024 को या उसके पश्चात किया गया व्यय या वह जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो जैसा कि आयोग द्वारा इसे विद्युत—दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु अतिरिक्त पूँजीगत व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाए, वहां जीवनकाल की वृद्धि हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण व्यय को इस विनियम के विनियम 31.1 में निर्दिष्ट की गई विधि के अनुसार सेवाकृत (serviced) किया जाएगा।
- 31.6 विद्युत—दर (टैरिफ) की अवधि के दौरान उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली (emission control system) हेतु किया गया कोई भी व्यय जैसा कि वह आयोग द्वारा अनुपूरक विद्युत—दर

(supplementary Tariff) के अवधारण हेतु अतिरिक्त पूँजीगत व्यय के रूप में स्वीकार किया जाए, को इस विनियम के विनियम 31.1 में निर्दिष्ट की गई रीति के अनुसार सेवाकृत (serviced) किया जाएगा।

वार्षिक स्थाई लागत के संघटक (Components of Annual Fixed Cost)

32. पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity) :

32.1 पूंजी पर प्रतिलाभ की संगणना रूपयों में, इन विनियमों के विनियम 31 के अनुसार अवधारित पूंजी आधार (equity base) पर की जाएगी।

32.2 पूंजी पर प्रतिलाभ की संगणना ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु 15.50 प्रतिशत की आधार दर (Base Rate) पर जबकि उद्वहन संग्रहण (Pump Storage) जल-विद्युत उत्पादन केन्द्रों तथा नदी बहाव प्रकार के विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु मय जलाशय (pondage) के 16.50 प्रतिशत की आधार दर पर की जाएगी:

परन्तु यह कि अतिरिक्त पूंजीकरण (additional capitalization) के संबंध में, मूल प्रावधानों के परे, उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण, कानून में परिवर्तन तथा विशेष आकस्मिक परिस्थिति को सम्मिलित करते हुए के बारे में पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना वर्ष की एक अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की एकल-वर्षीय निधि आधारित ऋण प्रदाय दर की उपान्तिक लागत (MCLR) और 350 आधार बिन्दुओं के योग से प्राप्त की गई आधार दर (base rate) पर, 14% की उच्चतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए की जाएगी।

परन्तु आगे यह कि :

(एक) किसी नवीन परियोजना के प्रकरण में, नवीन परियोजना के प्रतिलाभ की दर में उक्त अवधि के लिये जैसा कि इस बारे में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए, 1.00 प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी यदि तत्संबंधी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (RLDC) / राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विद्युत उत्पादन केन्द्र को दो पद्धतियों, अर्थात् परिचालन की नियंत्रित नियामक पद्धति (Restricted Governor Made Operation-RGMO) या परिचालन की मुक्त नियामक पद्धति (Free Governor Mode Operation-FGMO) में से किसी एक को, आंकड़ा दूरमापी (data telemetry), भार प्रेषण केन्द्र तक दूरसंचार प्रणाली या संरक्षण प्रणाली को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत क्रियाशील किये बगैर घोषित किया जाना पाया जाए ;

(दो) किसी विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में जहां तत्संबंधी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (RLDC) / राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) द्वारा प्रस्तुत किये

गये प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त आवश्यकताओं में कमी होना पाया जाए वहां पूंजी पर प्रतिलाभ की उक्त अवधि जिस हेतु कमी पाया जाना जारी रहता हो, में एक प्रतिशत दर की कमी कर दी जाएगी।

(तीन) ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में :

(क) पूंजी पर प्रतिलाभ की दर को 0.25% कम कर दिया जाएगा यदि वह ढाल दर (ramp rate) को समय—समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2024 में निर्दिष्ट अनुसार प्राप्त करने में विफल रहता हो ;

(ख) 0.50% की प्रति मिनट प्रत्येक धनात्मक ढाल दर (incremental ramp rate) पर 0.125% की पूंजी पर प्रतिलाभ की अतिरिक्त दर अनुज्ञेय की जाएगी जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ढाल दर से अधिक होगी तथा 1.00% के पूंजी पर प्रतिलाभ अतिरिक्त दर की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी :

33. पूंजी पर प्रतिलाभ पर कर (**Tax on Return on Equity**) :

33.1 पूंजी पर प्रतिलाभ की आधार दर (base rate) जैसा कि आयोग द्वारा इसे इन विनियमों के विनियम 32 में अनुज्ञेय किया गया है, को तत्संबंधी वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर के साथ सकलबद्ध किया जाएगा। इस प्रयोजन से, आने वाले वर्षों के लिये विद्युत—दर के अवधारण के समय प्रभावी कर दर पर विचार आयोग के युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन रहते हुए अन्तिम वार्षिक अंकेक्षित लेखे के अनुसार वास्तविक रूप से किए गये भुगतान के आधार पर माना जाएगा :

परन्तु यह कि यदि विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115JB के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax-MAT) का भुगतान किया जा रहा हो तो प्रभावी कर दर न्यूनतम वैकल्पिक कर दर, अधिभार (surcharge) तथा उपकर (cess) को सम्मिलित करते हुए होगी :

परन्तु आगे यह और कि यदि विद्युत उत्पादन कम्पनी ने धारा 115 BAA हेतु विकल्प प्रस्तुत किया हो तो प्रभावी कर दर (tax rate), अधिभार तथा उपकर को सम्मिलित करते हुए होगी, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 BAA के अधीन निर्दिष्ट किया गया है।

33.2 पूंजी पर प्रतिलाभ की दर की गणना को तीन दशमलव बिन्दुओं तक पूर्णांकित

किया जाएगा तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{पूंजी पर पूर्व-कर प्रतिलाभ की दर} = \text{आधार दर (Base Rate) } / (1-t)$$

जहां 't' इन विनियमों के विनियम 33.1 के अनुसार प्रभावी कर दर है।

- 33.3** प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु प्रभावी कर दर का सत्यापन (true-up) वास्तविक भुगतान किये गये कर मय कोई अतिरिक्त कर मांग पर, उस पर ब्याज राशि को सम्मिलित करते हुए, पर आधारित होगा, जिसे यथोचित कर पर देय किसी प्रत्यर्पण (रिफंड) द्वारा समायोजित किया जाएगा, जिसमें किसी वित्तीय वर्ष की वास्तविक सकल आय पर टैरिफ अवधि वित्तीय वर्ष 2024–29 से संबंधित आयकर प्राधिकरणों से प्राप्त ब्याज राशि को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विद्युत उत्पादन कम्पनी हेतु वास्तविक भुगतान किये गये कर की गणना करते समय जमा की गई कम राशि पर किसी विलंब से उद्भूत किसी अर्थदण्ड पर विचार नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह कि आय पर वास्तविक रूप से की गई कर भुगतान की राशि पूंजी पर प्रतिलाभ घटक पर कर तक ही सीमित होगी :

परन्तु यह आगे यह और कि यदि विद्युत उत्पादन कम्पनी धारा 115 JB के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax-MAT) का भुगतान कर रही हो तो कर दर का सत्यापन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में पूंजी पर प्रतिलाभ की दर को सकलबद्ध करते हुए, मय प्रत्योज्य MAT दर के, अधिभार तथा उपकर को सम्मिलित करते हुए किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि विद्युत उत्पादन कम्पनी धारा 115 BAA के अधीन कर का भुगतान कर रही हो तो विद्युत उत्पादन कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में पूंजी पर प्रतिलाभ की सकलबद्ध दर (grossed up rate) को कर दर (tax rate) के साथ मय धारा 115 BAA के अधीन निर्दिष्ट अधिभार तथा उपकर को सम्मिलित करते हुए सत्यापन करेगी :

परन्तु यह और भी कि सत्यापन के पश्चात् पूंजी पर प्रतिलाभ पर सकलबद्ध दर (grossed up rate) पर कम-वसूली (under-recovery) तथा अधिक-वसूली (over recovery) की राशि को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर हितग्राहियों/लाभार्थियों से वसूल (recover) किया जाएगा या प्रत्यर्पण (refund) किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा स्वयं को किसी अन्य विनियमित (regulated) या अ-विनियमित (unregulated) व्यापार या अन्य व्यापार में संलग्न किया गया हो तो अन्य विनियमित या अ-विनियमित

व्यापार या अन्य व्यापार पर भुगतान की गई वास्तविक कर राशि को प्रभावी कर दर गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा एक नियमित विधिक इकाई (corporate legal entity) होने के कारण आय कर का भुगतान न किया गया हो तो प्रभावी आयकर दर को “शून्य” माना जाएगा।

34. अवमूल्यन/अवक्षयण (Depreciation) :

34.1 अवमूल्यन/अवक्षयण (depreciation) की संगणना किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई के संबंध में उसकी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से की जाएगी। किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र की समस्त इकाइयों की विद्युत-दर (टैरिफ) के प्रकरण में जिनके लिए एकल विद्युत-दर अवधारण किया जाना आवश्यक हो, वहां अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना विद्युत उत्पादन केन्द्र की प्रभावी प्रचालन तिथि से वैयक्तिक इकाइयों के अवमूल्यन पर विचार करते हुए की जाएगी :

परन्तु वाणिज्यिक प्रचालन की प्रभावी तिथि की गणना विद्युत उत्पादन केन्द्र की समस्त इकाइयां जिनकी एकल विद्युत-दर (टैरिफ) अवधारित किया जाना अपेक्षित हो, के बारे में यह कार्यवाही वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तथा स्थापित क्षमता पर विचार करते हुए की जाएगी।

34.2 अवमूल्यन की गणना के प्रयोजन हेतु मूल्य आधार (value base) आयोग द्वारा स्वीकृत परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत होगा। किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र की बहुविध इकाइयों के प्रकरण में, विद्युत उत्पादन केन्द्र के भारित औसत जीवनकाल का अनुप्रयोग किया जाएगा। अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारित किया जाएगा। किसी परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के किसी भाग के प्रकरण में अवमूल्यन को आनुपातिक आधार (pro-rata basis) पर प्रभारित किया जाएगा।

34.3 परिसम्पत्ति का उपादेय मूल्य (salvage value) 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा अवमूल्यन को परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत (Capital Cost) के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुज्ञेय किया जाएगा :

परन्तु किसी जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में उपादेय मूल्य, विकासकों द्वारा राज्य सरकार के साथ विद्युत उत्पादन केन्द्र के विकास हेतु निष्पादित लिखित अनुबन्ध, यदि कोई हो, में किये गये प्रावधान अनुसार होगा :

परन्तु आगे यह और कि जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र की परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत हासित मूल्य की गणना के प्रयोजन से विनियमित

विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसार दीर्घ-अवधि विद्युत क्रय अनुबन्ध के अधीन विद्युत विक्रय के प्रतिशत से तत्संबंधी होगी :

परंतु यह और भी कि विद्युत उत्पादन केन्द्र या विद्युत उत्पादन इकाई की न्यून उपलब्धता के कारण अस्वीकार किए गए अवमूल्यन की वसूली को इसके उपयोगी जीवनकाल या विस्तारित जीवनकाल के दौरान बाद में किसी प्रक्रम पर अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण (IT Equipment) तथा सॉफ्टवेयर के उपादेय मूल्य को शून्य माना जाएगा तथा परिसम्पत्तियों के शत प्रतिशत मूल्य को अवमूल्यनयोग्य (depreciable) माना जाएगा।

- 34.4 पट्टे पर ली गई भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को तथा जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में जलाशय से संबंधित भूमि को अवमूल्यनयोग्य परिसम्पत्ति नहीं माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति के अवमूल्यनयोग्य मूल्य की गणना करते समय इसकी लागत को पूँजीगत लागत से अलग रखा जाएगा।
- 34.5 विद्युत उत्पादन केन्द्र की परिसम्पत्तियों हेतु अवमूल्यन की गणना प्रति वर्ष 'नियत किस्त पद्धति (Straight Line Method)' के आधार पर इन विनियमों के परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी :

परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन केन्द्र की प्रभावी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात् उक्त वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को लेखा समाप्त होने पर अवशेष अवमूल्यित मूल्य (depreciable value) को परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोगी जीवनकाल में प्रसारित कर दिया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि विद्यमान जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में विद्युत उत्पादन कम्पनी हितग्राहियों/लाभार्थियों की सहमति से विद्युत-दर के अग्र-भारण (front loading) को घटाने के लिये इन विनियमों के परिशिष्ट-एक तथा परिशिष्ट-दो में विनिर्दिष्ट दर से कम दर पर अवमूल्यन को प्रभारित कर सकेगी।

- 34.6 नवीन परियोजनाओं हेतु विद्युत उत्पादन केन्द्र की परिसम्पत्तियों हेतु अवमूल्यन की गणना प्रति वर्ष 'नियत किस्त पद्धति (Straight Line Method)' तथा इन विनियमों के परिशिष्ट-दो में निर्दिष्ट दरों पर की जाएगी :

परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन केन्द्र की प्रभावी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 15 वर्ष की अवधि के पश्चात् उक्त वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को लेखा समाप्त होने पर अवशेष अवमूल्यित मूल्य (depreciable value) को

परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोगी जीवनकाल में प्रसारित कर दिया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि नवीन जल-विद्युत उत्पादन केन्द्रों के प्रकरण में विद्युत उत्पादन कम्पनी हितग्राहियों/लाभार्थियों की सहमति से विद्युत-दर के अग्र-भारण (front loading) को घटाने के लिये परिशिष्ट-दो में विनिर्दिष्ट दर से कम दर पर अवमूल्यन को प्रभारित कर सकेगी।

- 34.7 विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में, दिनांक 1.4.2024 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य की गणना परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यनयोग्य मूल्य जैसा कि आयोग द्वारा इसे दिनांक 31.3.2024 तक स्वीकार किया गया हो, में से संचयी अवमूल्यन (cumulative depreciation) को घटाकर की जाएगी।
- 34.8 विद्युत उत्पादन कम्पनी परियोजना के उपयोगी जीवनकाल पूर्ण होने से पूर्व पांच वर्षों के दौरान उपगत पूँजीगत व्यय के विवरण मय औचित्य तथा प्रस्तावित जीवनकाल के विस्तार बाबत प्रस्तुत करेगी। आयोग ऐसे प्रस्तुतिकरण के युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात् अवमूल्यन का अनुमोदन विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई के अवशेष परिचालनयोग्य जीवनकाल के दौरान अथवा पन्द्रह वर्ष, इनमें जो भी कम हो अवमूल्यन योग्य मूल्य के प्रसारण का अनुमोदन करेगी।
- 34.9 किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा इसकी किसी इकाई से संबंधित परिसम्पत्तियों के अपूँजीकरण (de-capitalization) के प्रकरण में, संचयी अवमूल्यन (cumulative depreciation) को उपयोगी सेवाओं के दौरान अपूँजीकृत परिसम्पत्ति द्वारा विद्युत-दर (टैरिफ) में वसूल किए गए अवमूल्यन को ध्यान में रखकर समायोजित किया जाएगा।
- 34.10 जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र के कार्य की मूल विस्तार क्षेत्र की सीमा के भीतर उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली क्रियान्वित की जाती हो तथा विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तथा उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की प्रचालन तिथि एक समान हो वहां विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई का अवमूल्यन/अवक्षयण, उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली को सम्मिलित करते हुए, की गणना इस विनियम के विनियमों 34.1 से 34.9 के अनुसार की जाएगी।
- 34.11 किसी विद्यमान या नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई की उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली का अवमूल्यन/अवक्षयण जहां उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की प्रचालन तिथि (date of operation) विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के पश्चात् घटित हो, की गणना प्रति वर्ष ऐसी उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की प्रचालन तिथि से 'नियत पद्धति (Straight Line Method)' के अनुसार इन विनियमों के परिशिष्ट-एक में निर्दिष्ट दरों पर

की जाएगी :

परन्तु यह कि वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में लेखा समापन के पश्चात् अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य को ऐसी उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की प्रचालन तिथि से 12 वर्ष के पश्चात् अवशेष 13 वर्ष की अवधि या उत्पादन केन्द्र की अवशेष परिचालन जीवनकाल की अवधि, इनमें से जो भी कम हो, हेतु प्रसारित किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि यदि उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की परिचालन तिथि (Date of Operation) विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन से 20 वर्ष बाद घटित होना अपेक्षित हो परन्तु जो विद्युत उत्पादन केन्द्र के उपयोगी जीवनकाल पूर्ण होने से पूर्व हो तो उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली (ECS) के अवमूल्यन की गणना प्रति वर्ष ऐसी उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की प्रचालन तिथि से 'नियत किस्त पद्धति (Straight Line Method)' के आधार पर मय 10% उपादेय मूल्य (Salvage value) के की जाएगी तथा अवमूल्यनयोग्य मूल्य (depreciable Value) की वसूली विद्युत उत्पादन केन्द्र के परिचालन जीवनकाल तक की जाएगी।

- 34.12 यदि उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की प्रचालन तिथि विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई के उपयोगी जीवनकाल पूर्ण होने के पश्चात् घटित होना अपेक्षित हो तो उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के अवमूल्यन की गणना प्रति वर्ष ऐसी उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की प्रचालन तिथि से 'नियत किस्त पद्धति (Straight Line Method)' के आधार पर मय 10% उपादेय मूल्य (Salvage Value) के की जाएगी तथा इसकी वसूली 10 वर्ष की अवधि में या फिर विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों की परस्पर सहमति के अनुसार सम्मत अवधि के आधार पर, इनमें से जो भी उच्चतम हो, के अनुसार की जाएगी।

35 ऋण पूँजी पर ब्याज (Interest on Loan Capital) :

- 35.1 इन विनियमों के विनियम 31 में दर्शाई गई रीति के अनुसार, गणना किये गये ऋण पर ब्याज सकल मानदण्डीय ऋण (gross normative loan) माने जाएंगे।
- 35.2 दिनांक 1.4.2024 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋणों की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक स्वीकार किये गये सकल मानदण्डीय ऋण में से संचयी अदायगी (cumulative repayment) को घटाकर की जायेगी।
- 35.3 विद्युत-दर (टैरिफ) अवधि 2024–29 के प्रत्येक वर्ष हेतु अदायगी को तत्संबंधी वर्ष या अवधि हेतु अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के बराबर माना जाएगा।

परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण (de-capitalization) से संबंधित प्रकरण में, अदायगी का समायोजन संचयी अदायगी द्वारा आनुपातिक आधार पर (pro-rata basis) किया जाएगा तथा यह समायोजित राशि ऐसी परिसम्पत्ति के बारे में अपूंजीकरण तिथि तक वसूल की गई संचयी अवमूल्यन (cumulative depreciation) राशि से अधिक न होगी।

- 35.4 विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा भले ही किसी विलम्बकाल अवधि (moratorium period) का लाभ उठाया गया हो, ऋण की अदायगी (repayment of loan) को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही माना जाएगा तथा यह वर्ष अथवा उसके किसी भाग हेतु अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के समतुल्य होगा।
- 35.5 ब्याज की दर, ब्याज की भारित औसत दर (weighted average rate of interest) के बराबर होगी, जिसकी गणना वास्तविक ऋण श्रेणी (actual loan portfolio) या आवंटित ऋण श्रेणी (allocated loan portfolio) के आधार पर पूंजीकृत किए गए ब्याज हेतु समुचित लेखांकन समायोजन प्रदान करते हुए ब्याज की संदर्भ दर (Reference rate of Interest) की उच्चतम सीमा (ceiling) या 14% इनमें से जो भी कम हो, के अनुसार की जाएगी :

परन्तु यह कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष हेतु कोई वास्तविक ऋण लंबित न हो परन्तु मानदण्डीय ऋण अभी भी बकाया हो तो ऐसी दशा में अन्तिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर मानी जाएगी :

परन्तु आगे यह और कि यदि विद्युत उत्पादन केन्द्र के विरुद्ध वास्तविक ऋण लंबित न हो तो ऐसी दशा में विद्युत उत्पादन कंपनी की ऋण श्रेणी (loan portfolio) को समग्र रूप से भारित औसत ब्याज दर के अनुसार माना जाएगा।

परन्तु यह और भी कि यदि विद्युत उत्पादन कम्पनी के विरुद्ध कोई वास्तविक ऋण प्रचलित न हो तो ऋण हेतु ब्याज को भारतीय स्टेट बैंक एकल-वर्षीय MCLR, जैसा कि वह सुसंबद्ध वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल को प्रयोज्य हो, माना जाएगा।

- 35.6 उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की स्थापना हेतु ऋण पर ब्याज की दर जिसे विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के पश्चात् क्रियाशील (commission) किया गया हो, उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की वास्तविक ऋण श्रेणी (portfolio) की भारित औसत दर होगी तथा वास्तविक ऋण श्रेणी के अभाव में समग्र रूप से विद्युत उत्पादन कम्पनी की भारित औसत

ब्याज दर होगी जो संदर्भ ब्याज दर (Reference Rate of Interest) की उच्चतम सीमा या 14%, इनमें से जो भी कम हो, के अध्यधीन रहते हुए होगी।

- 35.7 ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानदण्डीय औसत ऋण पर भारित औसत ब्याज दर (weighted average rate of interest) की प्रयुक्ति द्वारा की जाएगी।
35.8 ऋणों की निबन्धन एवं शर्तों में परिवर्तन को इस प्रकार की पुनर्वित्त पूर्ति (refinancing) की तिथि से प्रतिबिंबित किया जाएगा।

36. प्रचालन एवं संधारण व्यय (Operation and Maintenance Expenses) :

- 36.1 ताप तथा जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु किसी प्रदत्त विद्युत-दर (टैरिफ) अवधि के लिए प्रचालन एवं संधारण व्ययों का अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों में निर्दिष्टानुसार मानदण्डीय संचालन एवं संधारण व्ययों के आधार पर किया जाएगा। ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्ययों को ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिए जिन्हें दिनांक 31.03.2012 को या इसके पूर्व क्रियाशील किया गया हो तथा विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिए जिन्हें दिनांक 01.04.2012 को या तत्पश्चात् क्रियाशील किया गया हो, पृथक् से निर्दिष्ट किया गया है।
- 36.2 कर्मचारी व्ययों, मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों और प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों से संबंधित लागत घटकों (cost components) पर उपरोक्त विनियमों के विनियम 37.1 तथा 37.2 के अनुसार विचार किया गया है। दिनांक 1.4.2012 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन हेतु क्रियाशील किये गये विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु आंकड़ों की प्राप्ति के लिये मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये प्रदत्त प्रचालन तथा संधारण व्ययों को कर्मचारी व्ययों, मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों तथा प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों को शामिल करते हुए के आंकड़ों को ताप तथा जल-विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु क्रमशः 5.25% तथा 5.47% वृद्धि कारक के उपयोग अनुसार वृद्धि कर किया जाएगा :
परन्तु यह कि 500 MW श्रेणी (Series) के ताप विद्युत संयन्त्र के प्रचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses) 500 MW श्रेणी (Series) के ताप विद्युत संयन्त्र के प्रचालन एवं संधारण व्ययों तक सीमित हैं जिनकी वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि 01.04.2012 को या तत्पश्चात् हो।
- 36.3 तत्पश्चात्, नियन्त्रण अवधि के अनुवर्ती वर्षों हेतु प्रचालन एवं संधारण व्ययों का अवधारण वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्राप्त किये गये आंकड़ों को क्रमशः ताप तथा जल-विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु क्रमशः 5.25% तथा 5.47% के वृद्धि

कारक के अनुसार किया जाएगा जैसा कि इस हेतु प्रावधान केन्द्रीय आयोग के टैरिफ विनियम, 2024 में तत्संबंधी वर्षों हेतु किया गया है जिसके अनुसार अनुज्ञेय मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्ययों की प्राप्ति तत्संबंधी वित्तीय वर्षों हेतु नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए की जाएगी :

परन्तु यह कि जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र दिनांक 1.4.2012 को अथवा तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किये गये हों, प्रचालन एवं संधारण व्यय इन विनियमों के विनियम 37.2 में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार लागू होंगे।

- 36.4 मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के संबंध में कर्मचारी व्यय, जिन पर संचालन एवं संधारण व्ययों के अन्तर्गत विचार किया गया है, पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं को छोड़कर हैं। कार्मिकों के बारे में, तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के विद्यमान पेंशनभोगियों तथा मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के पेंशनभोगियों को सम्मिलित करते हुए, की पेंशन तथा अन्य प्रसुविधाओं के बारे में निधीयन मप्र विद्युत नियामक आयोग (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाइयों के कार्मिकों के तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम तथा तत्संबंधी संशोधन, यदि कोई किये जाएं, के अनुसार किया जाएगा।
- 36.5 युद्ध, विद्रोह अथवा कानून में कतिपय परिवर्तनों अथवा ऐसी समतुल्य परिस्थितियों के कारण संचालन तथा संधारण में अभिवृद्धि के संबंध में, जहां आयोग का यह अभिमत हो कि उक्त वृद्धि न्यायोचित है, आयोग इसे विनिर्दिष्ट अवधि हेतु लागू करने पर विचार कर सकेगा।
- 36.6 किसी विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा किसी वर्ष में अर्जित की गई बचत को उसे स्वयं के पास धारित रखे जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। किसी वर्ष में मानदण्डीय संचालन व संधारण व्ययों के आधिक्य के कारण होने वाली किसी हानि को विद्युत उत्पादन कंपनी को ही वहन करना होगा।
- 37. ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्यय(Normative Operation and Maintenance expenses of thermal generating stations) ;
- 37.1 दिनांक 1.04.2012 से पूर्व प्राप्त की गई प्रचालन तिथि वाले ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु प्रचालन एवं संधारण व्यय(Operation and Maintenance Expenses of Thermal Power Stations achieved COD prior to 01-04-2012):

दिनांक 1.04.2012 में पूर्व प्राप्त की गई वाणिज्यिक प्रचालन तिथि वाले विद्यमान ताप विद्युत केन्द्रों को अनुज्ञेय प्रचालन एवं संधारण व्ययों में सम्मिलित होंगे कर्मचारी लागत

(employee cost), मरम्मत तथा अनुरक्षण लागत (Repair and Maintenance Cost) तथा प्रशासनिक तथा सामान्य लागत (Administrative and General Cost)। प्रचालन एवं संधारण हेतु इन मानदण्डों में पेशन तथा सेवान्त प्रसुविधाएं, कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश नगदीकरण, वेतन पुनरीक्षण हेतु बकाया राशि का भुगतान, शासन को देय भुगतानयोग्य कर तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क सम्मिलित नहीं हैं। विद्युत उत्पादन कम्पनी शासन को देय दर, भाड़ा तथा करों, मप्रविनिआ को देय शुल्क, कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश नगदीकरण तथा बकाया राशियों का दावा पृथक से वास्तविक आंकड़ों के अनुसार करेगी। यदि इन विनियमों में प्रावधानित मानदण्डों के अनुसार जनरेटिंग कम्पनी के अंकेक्षित लेखों के अनुसार प्रचालन एवं संधारण व्यय, बकाया राशि (एरियर्स) को सम्मिलित करते हुए (यदि काई हों) वास्तविक कुल प्रचालन एवं संधारण व्ययों से अधिक हों तो प्रचालन एवं संधारण व्यय मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों के अनुसार ही अनुज्ञेय किये जाएंगे। पेशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधियों के दावों को इन विनियमों के विनियम 36.4 के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

दिनांक 1.04.2012 से पूर्व प्राप्त की गई वाणिज्यिक प्रचालन तिथि वाली ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों हेतु प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड (O&M Norms):

(रु. लाख प्रति मेगावाट में)

यूनिट (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	वित्तीय वर्ष 2027–28	वित्तीय वर्ष 2028–29
200 / 210 / 250 मेगावाट	34.20	35.99	37.88	39.87	41.96
500 मेगावाट श्रेणी (Series)	27.17	28.60	30.10	31.68	33.34

37.2 दिनांक 1.04.2012 को या तत्पश्चात् प्राप्त की गई वाणिज्यिक प्रचालन तिथि वाली ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों हेतु प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड (O&M Norms) :

(रु. लाख प्रति मेगावाट में)

यूनिट (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	वित्तीय वर्ष 2027–28	वित्तीय वर्ष 2028–29
45 मेगावाट श्रेणी (Series)	45.32	47.70	50.20	52.84	55.61
200 / 210 / 250 मेगावाट श्रेणी (Series)	40.92	43.07	45.33	47.71	50.21
300 / 330 / 350 मेगावाट श्रेणी (Series)	34.04	35.83	37.71	39.69	41.78
500 मेगावाट श्रेणी (Series)	27.17	28.60	30.10	31.68	33.34
600 / 660 मेगावाट श्रेणी (Series)	25.78	27.13	28.56	30.06	31.64
800 मेगावाट श्रेणी (Series) तथा इससे अधिक हेतु	23.20	24.42	25.70	27.05	28.47

अस्वीकरण (rejects) कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों के प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड (O&M Norms) :

(रु. लाख प्रति मेगावाट में)

वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	वित्तीय वर्ष 2027–28	वित्तीय वर्ष 2028–29
प्रचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses)	38.81	40.85	42.99	45.25	47.62

परन्तु यह कि ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु जल प्रभार (Water Charges), सुरक्षा व्यय (Security Expenses), राखड़ परिवहन व्यय (Ash Transportation Expenses) तथा पूंजीगत कल-पुर्जे (Capital Spares) पृथक से युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात् अनुज्ञेय किये जाएंगे ;

परन्तु आगे यह और कि जल प्रभारों को जल की खपत, संयंत्र के प्रकार, जलशीतलीकरण प्रणाली/राज्य शासन के जल अनुबन्ध (water agreement) के निष्पादन द्वारा और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा विशिष्ट जल खपत के मानदण्डों पर विचार करते हुए युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञेय किये जाएंगे। इससे संबंधित विवरण याचिका के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे :

परन्तु यह और भी कि विद्युत उत्पादन केन्द्र वास्तविक खपत किए गए पूंजीगत कल-पुर्जे की सूची जिनकी वैयक्तिक लागत रु. 10 लाख से अधिक है सत्यापन के समय मय उपयुक्त औचित्य के इसकी खपत के बारे में प्रस्तुत करेगा तथा इस बारे में यह भी प्रमाणित करेगा कि इसका निधीयन क्षतिपूर्ति रियायत अथवा विशेष रियायत के माध्यम से नहीं किया गया है तथा न ही इसका दावा अतिरिक्त पूंजीकरण या फिर भण्डार तथा कलपुर्जे की खपत और नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के किसी भाग के रूप में किया गया है।

- 37.3 कानून में परिवर्तन या विशेष आकस्मिक परिस्थिति में विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा उपगत किसी अतिरिक्त प्रचालन तथा संधारण व्यय पर विचार विद्युत-दर के सत्यापन के समय किया जाएगा ।
- 37.4 राज्य शासन के स्वामित्व वाली किसी विद्युत उत्पादन कम्पनी के प्रकरण में, मजदूरी अथवा वेतन पुनरीक्षण के कार्यान्वयन के कारण वित्तीय प्रभाव को विद्युत-दर (टैरिफ) के सत्यापन के समय अनुज्ञेय किया जाएगा।
- 37.5 कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के कारण इसके प्रचालन की तिथि को प्रचालन एवं संधारण व्यय {निर्माण कार्य के दौरान ब्याज (IDC) तथा निर्माण कार्य के दौरान आनुषंगिक व्यय (IEDC) को छोड़कर} स्वीकृत पूंजीगत व्यय (admitted capital expenditure) का 2% होगा

जिसमें 31 मार्च, 2029 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्रति वर्ष 5.25% की दर से वृद्धि की जाएगी :

परन्तु यह कि जिप्सम तथा अन्य उपोत्पादों (by-products) के विक्रय से प्राप्त होने वाली आय को संचालन तथा संधारण व्ययों (O&M expenses) में से घटा दिया जाएगा।

38. जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्यय (Normative Operation and Maintenance Expenses of Hydel Generating Station) :

- 38.1** विद्यमान जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों को अनुज्ञेय प्रचालन एवं संधारण व्ययों में सम्मिलित होंगे कर्मचारी लागत (employee cost), मरम्मत तथा अनुरक्षण लागत (Repair & Maintenance Cost) तथा प्रशासनिक तथा सामान्य लागत (Administrative and General Cost)। प्रचालन एवं संधारण हेतु इन मानदण्डों में पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाएं, कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश नगदीकरण (EL Encashment) तथा बकाया राशि, शासन को भुगतानयोग्य कर, मप्रविनिआ को देय शुल्क सम्मिलित नहीं हैं। विद्युत उत्पादन कम्पनी शासन को देय दर, भाड़ा, शासन को देय कर, मप्रविनिआ को देय शुल्क तथा कर्मचारियों को भुगतान की गई अर्जित अवकाश नगदीकरण तथा किन्हीं बकाया राशियों का दावा पृथक से वास्तविक आंकड़ों के आधार पर करेगी। यदि इन विनियमों में प्रावधानित मानदण्डों के अनुसार विद्युत उत्पादन कम्पनी के अंकेक्षित लेखों के अनुसार प्रचालन एवं संधारण व्यय, बकाया राशि (arrears) को सम्मिलित करते हुए (यदि काई हों) वास्तविक कुल प्रचालन एवं संधारण व्ययों से अधिक हों तो प्रचालन एवं संधारण व्यय मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों के अनुसार अनुज्ञेय किये जाएंगे। प्रचालन एवं संधारण व्यय अनुज्ञेय किये जाएंगे। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के दावों को विनियम 36.4 के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।
- 38.2** ऐसे विद्यमान जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के बारे में जिनके द्वारा दिनांक 1.04.2024 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त की गई हो तो निम्न प्रचालन एवं संधारण व्यय मानदण्ड लागू होंगे :

जल-विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड(O&M Norms for Hydel Power Stations)

वर्ष	प्रचालन एवं संधारण व्यय रु लाख प्रति मेगावाट में
वित्तीय वर्ष 2024–25	13.73
वित्तीय वर्ष 2025–26	14.48
वित्तीय वर्ष 2026–27	15.28
वित्तीय वर्ष 2027–28	16.11
वित्तीय वर्ष 2028–29	16.99

38.3 दिनांक 1.4.2024 को अथवा तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित किये जाने वाले नवीन जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के प्रकरण में प्रचालन तथा संधारण व्यय मूल परियोजना लागत {पुनर्वास तथा पुनर्वस्थापन कार्यों की लागत, निर्माण के दौरान ब्याज (IDC) तथा निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय को छोड़कर} की 3.50 प्रतिशत तथा 5.00 प्रतिशत की दर से क्रमशः 200 मेगावाट क्षमता से अधिक तथा 200 मेगावाट से कम या बराबर के केन्द्रों हेतु वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित किये जाएंगे तथा अनुवर्ती वर्षों हेतु 5.47% प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि दर के अध्यधीन होंगे :

परन्तु यह कि उद्वहन संग्रहण जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में, आयोग द्वारा प्रचालन एवं संधारण व्ययों को प्रकरण—दर—प्रकरण गुण—दोष के आधार पर संव्यवहारित किया जाएगा।

38.4 जल-विद्युत उत्पादन केन्द्रों के प्रकरण में जिनके द्वारा दिनांक 1.4.2024 की स्थिति में प्रचालन की तीन वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं की गई है, वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना दिनांक 31.3.2024 की स्थिति में प्रयोज्य प्रचालन तथा संधारण व्ययों में 5.47% की वृद्धि दर के अनुसार की जाएगी। टैरिफ अवधि के अनुवर्ती वर्षों हेतु प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना 5.47% प्रति वर्ष वृद्धि दर के अनुप्रयोग द्वारा की जाएगी।

38.5 जल-विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु सुरक्षा व्यय (security expenses), पूँजीगत कल—पुर्जे (Capital Spares) तथा बीमा (Insurance), संबंधी व्यय जिनकी प्राप्ति प्रतिस्पर्धी बोली (Competitive bidding) प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी, पृथक से युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात् अनुज्ञेय किये जाएंगे :

परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा सुरक्षा आवश्यकता, पूँजीगत कल—पुर्जे तथा बीमा संबंधी व्ययों का आकलन उसके प्राककलित व्ययों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जिसे वर्ष—वार वास्तविक उपभोग किये गये सुरक्षा व्ययों के विवरणों के साथ उपयुक्त औचित्य के साथ सत्यापित किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि पूँजीगत कल—पुर्जे का मूल्य जो रु 10 लाख

से अधिक हो की ही सत्यापन के समय प्रतिपूर्ति (reimbursement) उपयुक्त औचित्य दर्शाते हुए इसे उपगत करने हेतु की जाएगी तथा यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि इसका दावा अतिरिक्त पूँजीकरण (additional capitalisation) अथवा भण्डार (stores) तथा कल-पुर्जों की खपत और नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के भाग के रूप में नहीं किया जा रहा है।

- 38.6 कानून में परिवर्तन की घटना के कारण विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा उपगत किये गये किन्हीं अतिरिक्त प्रचालन तथा संधारण व्ययों पर विद्युत-दर (टैरिफ) सत्यापन के समय विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसे किसी प्रभाव को केवल उसी दशा में अनुज्ञेय किया जाएगा यदि किसी वर्ष के दौरान इस प्रकार कानून में परिवर्तन का प्रभाव वर्ष हेतु परियोजना के प्रचालन तथा संधारण व्ययों का 5% से अधिक हो।

- 38.7 राज्य शासन के स्वामित्व वाली किसी विद्युत उत्पादन कम्पनी के प्रकरण में, मजदूरी अथवा वेतन पुनरीक्षण के कार्यान्वयन के कारण वित्तीय प्रभाव को विद्युत-दर (टैरिफ) के सत्यापन के समय अनुज्ञेय किया जाएगा।

39. कार्यकारी पूँजी पर ब्याज (Interest on Working Capital) :

- 39.1 कार्यकारी पूँजी में निम्न मदों को सम्मिलित किया जाएगा :

- (क) कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (Coal-based thermal generating stations) :

(एक) भण्डार हेतु कोयले की लागत, गर्त-शीर्ष (pit-head) विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु 10 दिवस तथा गैर गर्त-शीर्ष (non-pit-head) विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु 20 दिवस होगी जो मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) अथवा उच्चतम कोयला भण्डारण क्षमता से तत्संबंधी, इनमें से जो भी कम हो, होगी ;

(दो) विद्युत उत्पादन के लिए 30 दिवस हेतु कोयले की लागत हेतु अग्रिम भुगतान जो मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक से तत्संबंधी होगा ;

(तीन) विद्युत उत्पादन के लिए दो माह हेतु पर्याप्त द्वितीयक ईंधन खनिज तेल की लागत जो मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के तत्संबंधी होगी तथा ऐसे प्रकरण में जहां एक से अधिक प्रकार के द्वितीयक ईंधन तेल को उपयोग में लाया जा रहा हो, वहां ईंधन तेल भण्डारण की

लागत मुख्य द्वितीयक ईंधन तेल की लागत मानी जाएगी;

- (चार) प्रचालन तथा संधारण व्यय, एक माह के जल प्रभारों (water charges) तथा सुरक्षा व्ययों (security expenses) को सम्मिलित करते हुए ;
- (पांच) साधारण कल-पुर्जे, प्रचालन एवं संधारण व्यय के 20% की दर से, जल प्रभार तथा सुरक्षा व्ययों को सम्मिलित करते हुए ;
- (छ.) 45 दिवस की विद्युत के विक्रय हेतु क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों के बराबर प्राप्तियोग्य सामग्रियां, जिनकी गणना मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक के आधार पर की जाएगी।
- (ख) कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों की उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु
(For emission control system of coal based thermal generating systems) :
- (एक) मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक से तत्संबंधी 20 दिवस के भण्डारण हेतु चूना पत्थर (limestone) या अभिकर्मक (reagent) की लागत ;
- (दो) मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक से तत्संबंधी विद्युत उत्पादन हेतु अभिकर्मक (reagent) की लागत हेतु 30 दिवस का अग्रिम भुगतान ;
- (तीन) उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के संबंध में एक माह हेतु प्रचालन एवं संधारण व्यय ;
- (चार) उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के संबंध में संधारण हेतु कलपु-जर्जे पर व्यय, संचालन एवं संधारण व्यय की 20% की दर से ; और
- (पांच) विद्युत के विक्रय हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार (supplementary capacity charges) तथा अनुपूरक ऊर्जा प्रभार (supplementary energy charges) के संबंध में 45 दिवस के बराबर प्राप्तियोग्य सामग्री की गणना मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक के आधार पर की जाएगी।
- (ग) जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र (उद्वहन संग्रहण जल विद्युत उत्पादन केन्द्र को सम्मिलित करते हुए) **(Hydro Generating Station, including pumped storage hydro generating station) :**
- (एक) प्रचालन एवं संधारण व्यय, सुरक्षा व्ययों (security expenses) को सम्मिलित करते हुए, एक माह हेतु ;
- (दो) संधारण कल-पुर्जे (maintenance spares), प्रचालन एवं संधारण व्यय, सुरक्षा व्ययों को सम्मिलित करते हुए, 15% की दर से ; और

(तीन) 45 दिवस की वार्षिक स्थाई लागत (Annual Fixed Cost) के बराबर प्राप्तियोग्य सामग्रियां।

- 39.2 इस विनियम के विनियमों 39.1(क) तथा 39.1(ख) के अन्तर्गत सम्मिलित ईधन की लागत विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा गणनानुसार व्यय की गई आगमित ईधन लागत {मानदण्डीय आवागमन (transit) तथा हथालन (handling) हानियों पर विचार करते हुए} पूर्व वर्ष के वास्तविक भारित औसत (actual weightage average) के अनुसार, ईधन के सकल ऊष्मित मान (gross calorific value) पर आधारित होगी तथा नियंत्रण अवधि के दौरान ईधन की लागत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी :

परन्तु यह कि नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में प्रथम वित्तीय वर्ष हेतु ईधन की लागत पर विचार, आगमित ईधन लागत पर आधारित (मानदण्डीय आवागमन तथा हथालन हानियों पर विचार करते हुए) तथा तीन माह हेतु वास्तविक भारित औसत के अनुसार ईधन के सकल ऊष्मित मान, जैसा कि इसे अस्थाई ऊर्जा (infirm power) हेतु प्रयोग किया जाए, जिसके अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पूर्वगामी तिथि हेतु विद्युत-दर का अवधारण किया जाना अपेक्षित है, किया जाएगा।

- 39.3 कार्यकारी पूँजी पर ब्याज की दर मानदण्डीय आधार पर होगी तथा इसे 1.4.2024 की स्थिति में संदर्भ ब्याज दर (Reference Rate of Interest) के अनुसार विद्युत-दर (टैरिफ) अवधि वर्ष 2024–25 से वर्ष 2028–29 के दौरान उक्त वर्ष की प्रथम अप्रैल की तिथि जिसके दौरान विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया जाए, इनमें से जो भी बाद में घटित हो, मानी जाएगी :

परन्तु सत्यापन के प्रकरण में, कार्यकारी पूँजी पर ब्याज की दर पर विचार विद्युत-दर (टैरिफ) अवधि 2024–29 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम अप्रैल की स्थिति में संदर्भ ब्याज दर के अनुसार किया जाएगा।

- 39.4 कार्यकारी पूँजी पर ब्याज मानदण्डीय आधार पर ही भुगतानयोग्य होगा, भले ही विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा किसी बाह्य अभिकरण (एजेन्सी) से कार्यकारी पूँजी हेतु ऋण प्राप्त न भी किया गया हो।

अध्याय – 7

ऊर्जा प्रभारों के संघटक (Components of Energy Charges)

40. ऊर्जा प्रभार तथा अनुपूरक ऊर्जा प्रभार (Energy Charges and Supplementary Energy Charges) :

ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों के ऊर्जा प्रभारों तथा अनुपूरक ऊर्जा प्रभारों में कोयले (प्राथमिक ईंधन) की आगमित लागत, द्वितीयक ईंधन तेल खपत की लागत तथा पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन के कारण अभिकर्मकों (reagents) की आगमित लागत शामिल होगी।

41. कोयले (प्राथमिक ईंधन) की आगमित लागत {Landed Cost of Coal (Primary Fuel)} :

किसी माह हेतु कोयले की आगमित लागत में सम्मिलित होंगे, कोयले की श्रेणी (ग्रेड) तथा गुणवत्ता से तत्संबंधी कोयले का आधार मूल्य (base price), सांविधिक प्रभारों (statutory charges) को सम्मिलित करते हुए जैसा कि वे प्रयोज्य हों/आयोग द्वारा अनुमोदित हों, वाशरी प्रभार (washery charges), यदि कोई हों, रेल/सड़क या किन्हीं अन्य संसाधनों द्वारा परिवहन लागत एवं भारण, उत्तराई तथा हथालन प्रभार :

परन्तु शासन द्वारा अधिसूचित मूल्यों से अन्य बेहतर अधिप्राप्ति पर भी विचार किया जा सकेगा यदि आगमित कोयला लागत के प्रयोजन हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली की पारदर्शी प्रक्रिया पर आधारित है :

परन्तु आगे यह और कि कोयले के आगमित मूल्य की गणना विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा वास्तविक देयक भुगतान के आधार पर कोयले की मात्रा तथा गुणवत्ता के कारण किसी समायोजन को सम्मिलित करते हुए की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि कोयले के सकल ऊषीय मान (Gross Calorific Value) का मापन तृतीय पक्ष औचक नमूना व्यवस्था (sampling) द्वारा किया जाएगा तथा तृतीय पक्ष नमूने की प्रक्रिया से संबंधित व्ययों की प्रतिपूर्ति हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा की जाएगी।

42. परिवहन तथा हथालन हानियां (Transit and Handling Losses) :

- 42.1 कोयले हेतु, परिवहन तथा हथालन हानियां निम्न मानदण्डों के अनुसार होंगी :

ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र	परिवहन तथा हथालन हानि (%)
गर्त-शीर्ष (Pit-Head)	0.20%
गैर-गर्त-शीर्ष (Non-Pit-Head)	0.80%
गैर-गर्त-शीर्ष बहुविध परिवहन (Non-pit-head multimodal transportation) (परिवहन की दो या दो से अधिक पद्धतियां जिनमें एकाधिक वाहनांतरण (trans-shipments) सन्निहित होते हैं)	1.00%

परन्तु गर्त-शीर्ष केन्द्रों (pit-head stations) के प्रकरण में यदि कोयले की

अधिप्राप्ति अन्य स्रोतों से की जाए, जो गर्त-शीर्ष खदानों (pit-head mines) से अन्य हो, जिसका परिवहन विद्युत उत्पादन केन्द्र को रेल के माध्यम से किया जाए, वहां गैर-गर्त-शीर्ष केन्द्र हेतु प्रयोज्य परिवहन तथा हथालन हानियां लागू होंगी :

परन्तु आगे यह और कि आयातित कोयला के प्रकरण में, गर्त-शीर्ष हेतु प्रयोज्य परिवहन तथा हथालन हानियां लागू होंगी।

43. प्राथमिक ईंधन का सकल ऊष्मीय मान (Gross Calorific Value of Primary Fuel) :

43.1 इन विनियमों के विनियम 47 के अनुसार ऊर्जा प्रभारों (energy charges) की संगणना हेतु सकल ऊष्मीय मान की प्राप्ति परिभाषित 'सकल ऊष्मीय मान जैसा कि इसे प्राप्त किया गया है (GCV as received)' के अनुसार की जाएगी।

43.2 घरेलू कोयले (Domestic Coal) के सकल ऊष्मीय मान (GCV) का मापन तृतीय पक्षकार औचक नमूना व्यवस्था (sampling) (तृतीय पक्षकार की नियुक्ति, दिशा-निर्देश, यदि कोई हों, जैसा कि इन्हें केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया जाए की नियुक्ति विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा की जाएगी) द्वारा किया जाएगा तथा विद्युत उत्पादन कम्पनी ईंधन प्रदाय अनुबन्ध(३) के अनुसार क्षतिपूर्ति की वसूली तथा इसके प्रलाभ हितग्राहियों/लाभार्थियों को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करेगी :

परन्तु यह कि तृतीय पक्षकार सैम्पत्तिंग के अभाव में, ऊर्जा प्रभारों की संगणना 'GCV as Billed' व्यवस्था के अनुसार की जाएगी।

43.3 विद्युत उत्पादन केन्द्रों के बारे में, जो कोयले की अधिप्राप्ति कोयले के आयात के माध्यम से करते हैं, 'GCV as billed' तथा 'GCV as received' व्यवस्था के मध्य किसी भी प्रकार की ऊष्मित मान हानि अनुज्ञेय नहीं की जाएगी।

43.4 विद्युत उत्पादन कम्पनी विद्युत उत्पादन केन्द्र के हितग्राहियों/लाभार्थियों को सकल ऊष्मीय मान (GCV) के मानदण्डों के विवरण तथा कोयले (अर्थात् घरेलू कोयला, आयातित कोयला, ई-नीलामी कोयला, आदि) का मूल्य इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रपत्रों के अनुसार, प्रदान करेगी :

परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन हेतु, अवधि के दौरान प्राप्ति आधार पर (received basis) प्राथमिक ईंधन के भारित औसत सकल ऊष्मीय मान (GVC) के विवरण, आयातित कोयले का घरेलू कोयले के साथ सम्मिश्रण अनुपात संबंधी विवरण भी पृथक से तत्संबंधी माह के देयकों के साथ उपलब्ध कराये जाएंगे :

परन्तु आगे यह और कि देयकों की उक्त प्रतिलिपियों तथा सकल ऊष्मीय मान (GCV) के मानदण्डों के विवरण, कोयले का मूल्य, (अर्थात् घरेलू कोयले, आयातित कोयले, ई-नीलामी कोयले से संबंधित), आयातित कोयले के

घरेलू कोयले के साथ सम्मिश्रण के विवरण, ई—नीलामी कोयले के अनुपात संबंधी विवरण भी विद्युत उत्पादन कम्पनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाएंगे। ये विवरण कथित वेबसाइट पर मासिक आधार पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

44. अभिकर्मक की आगमित लागत (Landed Cost of Reagent)

- 44.1 जहां विशिष्ट अभिकर्मक (Reagents) जैसे कि चूना पत्थर (Limestone), धावन सोड़ा (Sodium Bi-Carbonate), यूरिया अथवा निर्जल (Anhydrous) अमोनिया का उपयोग पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों की पूर्ति हेतु उत्सर्जन नियंत्रण अभिक्रिया के संचालन के लिये किया जाता हो वहां ऐसे अभिकर्मकों की आगमित लागत का अवधारण अभिकर्मक की मानदण्डीय खपत तथा क्रय मूल्य के आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक बोली, लागू सांविधिक प्रभारों तथा परिवहन लागत के माध्यम से किया जाएगा।
- 44.2 पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों की पूर्ति हेतु स्थापित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियों हेतु विशिष्ट अभिकर्मक की मानदण्डीय खपत पर विचार इन विनियमों के विनियम 51.4 (छ) के अनुसार किया जाएगा।

अध्याय – 8

क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की संगणना

(Computation of Capacity Charges and Energy Charges)

45. क्षमता प्रभारों, अनुपूरक क्षमता प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों तथा अनुपूरक ऊर्जा प्रभारों की संगणना (Computation of Capacity Charges, Supplementary Capacity Charges, Energy Charges and Supplementary Energy Charges) :

- 45.1 किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु स्थाई लागत (fixed cost) की गणना इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार वार्षिक आधार पर की जाएगी तथा इनकी वसूली मासिक आधार पर क्षमता प्रभार के अन्तर्गत की जाएगी। किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु भुगतानयोग्य कुल क्षमता प्रभारों को उसके हितग्राहियों/लाभार्थियों के मध्य उनका प्रतिशत अंशदान/विद्युत उत्पादन केन्द्र की क्षमता के आवंटन के आधार पर परस्पर विभाजित किया जाएगा। क्षमता प्रभार की वसूली वर्ष के दौरान दो भागों में निम्नानुसार की जाएगी, अर्थात् माह के शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों हेतु क्षमता प्रभार तथा माह के शीर्ष-बाह्य (अ-व्यस्ततम) घंटों हेतु क्षमता प्रभार :
- 45.2 किसी कैलेण्डर माह हेतु ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र को देय क्षमता प्रभार की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

माह हेतु क्षमता प्रभार (CC_n) = शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों हेतु क्षमता प्रभार (CC_{pn}) + माह के शीर्ष बाह्य (अ-व्यस्ततम) घंटों हेतु क्षमता प्रभार (CC_{opn}) ,

जहाँ

$$CC_{p1} = [(0.20 \times AFC) \times (1/12) \times (PAFM_{p1}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.20 \times AFC) \times (1/12)\}]$$

$$CC_{p2} = [(0.20 \times AFC) \times (1/6) \times (PAFM_{p2}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.20 \times AFC) \times (1/6)\}] - CC_{p1}$$

$$CC_{p3} = [(0.20 \times AFC) \times (1/4) \times (PAFM_{p3}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.20 \times AFC) \times (1/4)\}] - (CC_{p1} + CC_{p2})$$

$$CC_{p4} = [(0.20 \times AFC) \times (1/3) \times (PAFM_{p4}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.20 \times AFC) \times (1/3)\}] - (CC_{p1} + CC_{p2} + CC_{p3})$$

$$CC_{p5} = [(0.20 \times AFC) \times (5/12) \times (PAFM_{p5}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.20 \times AFC) \times (5/12)\}] - (CC_{p1} + CC_{p2} + CC_{p3} + CC_{p4})$$

$$CC_{p6} = [(0.20 \times AFC) \times (1/2) \times (PAFM_{p6}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.20 \times AFC) \times (1/2)\}] - (CC_{p1} + CC_{p2} + CC_{p3} + CC_{p4} + CC_{p5})$$

$CC_{p7} = [(0.20 \times AFC) \times (7/12) \times (PAFM_{p7}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.20 \times AFC) \times (7/12)\}] - (CC_{p1} + CC_{p2} + CC_{p3} + CC_{p4} + CC_{p5} + CC_{p6})$

$CC_{p8} = [(0.20 \times AFC) \times (2/3) \times (PAFM_{p8}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.20 \times AFC) \times (2/3)\}] - (CC_{p1} + CC_{p2} + CC_{p3} + CC_{p4} + CC_{p5} + CC_{p6} + CC_{p7})$

$CC_{p9} = [(0.20 \times AFC) \times (3/4) \times (PAFM_{p9}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.20 \times AFC) \times (3/4)\}] - (CC_{p1} + CC_{p2} + CC_{p3} + CC_{p4} + CC_{p5} + CC_{p6} + CC_{p7} + CC_{p8})$

$CC_{p10} = [(0.20 \times AFC) \times (5/6) \times (PAFM_{p10}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.20 \times AFC) \times (5/6)\}] - (CC_{p1} + CC_{p2} + CC_{p3} + CC_{p4} + CC_{p5} + CC_{p6} + CC_{p7} + CC_{p8} + CC_{p9})$

$CC_{p11} = [(0.20 \times AFC) \times (11/12) \times (PAFM_{p11}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.20 \times AFC) \times (11/12)\}] - (CC_{p1} + CC_{p2} + CC_{p3} + CC_{p4} + CC_{p5} + CC_{p6} + CC_{p7} + CC_{p8} + CC_{p9} + CC_{p10})$

$CC_{p12} = [(0.20 \times AFC) \times (PAFM_{p12}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.20 \times AFC)] - (CC_{p1} + CC_{p2} + CC_{p3} + CC_{p4} + CC_{p5} + CC_{p6} + CC_{p7} + CC_{p8} + CC_{p9} + CC_{p10} + CC_{p11})$

$CC_{op1} = (0.80 \times AFC) \times (1/12) \times (PAFM_{op1}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.80 \times AFC) \times (1/12)\}$

$CC_{op2} = [(0.80 \times AFC) \times (1/6) \times (PAFM_{op2}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.80 \times AFC) \times (1/6)\}] - CC_{op1}$

$CC_{op3} = [(0.80 \times AFC) \times (1/4) \times (PAFM_{op3}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.80 \times AFC) \times (1/4)\}] - (CC_{op1} + CC_{op2})$

$CC_{op4} = [(0.80 \times AFC) \times (1/3) \times (PAFM_{op4}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.80 \times AFC) \times (1/3)\}] - (CC_{op1} + CC_{op2} + CC_{op3})$

$CC_{op5} = [(0.80 \times AFC) \times (5/12) \times (PAFM_{op5}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.80 \times AFC) \times (5/12)\}] - (CC_{op1} + CC_{op2} + CC_{op3} + CC_{op4})$

$CC_{op6} = [(0.80 \times AFC) \times (1/2) \times (PAFM_{op6}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.80 \times AFC) \times (1/2)\}] - (CC_{op1} + CC_{op2} + CC_{op3} + CC_{op4} + CC_{op5})$

$CC_{op7} = [(0.80 \times AFC) \times (7/12) \times (PAFM_{op7}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.80 \times AFC) \times (7/12)\}] - (CC_{op1} + CC_{op2} + CC_{op3} + CC_{op4} + CC_{op5} + CC_{op6})$

$CC_{op8} = [(0.80 \times AFC) \times (2/3) \times (PAFM_{op8}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.80 \times AFC) \times (2/3)\}] - (CC_{op1} + CC_{op2} + CC_{op3} + CC_{op4} + CC_{op5} + CC_{op6} + CC_{op7})$

$CC_{op9} = [(0.80 \times AFC) \times (3/4) \times (PAFM_{op9}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.80 \times AFC) \times (3/4)\}] - (CC_{op1} + CC_{op2} + CC_{op3} + CC_{op4} + CC_{op5} + CC_{op6} + CC_{op7} + CC_{op8})$

$CC_{op10} = [(0.80 \times AFC) \times (5/6) \times (PAFM_{op10}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.80 \times AFC) \times (5/6)\}] - (CC_{op1} + CC_{op2} + CC_{op3} + CC_{op4} + CC_{op5} + CC_{op6} + CC_{op7} + CC_{op8} + CC_{op9})$

$CC_{op11} = [(0.80 \times AFC) \times (11/12) \times (PAFM_{op11}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(0.80 \times AFC) \times (11/12)\}] - (CC_{op1} + CC_{op2} + CC_{op3} + CC_{op4} + CC_{op5} + CC_{op6} + CC_{op7} + CC_{op8} + CC_{op9} + CC_{op10})$

$$CC_{op12} = [(0.80 \times AFC) \times (PAFM_{op12}/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.80 \times AFC)] - (CC_{op1} + CC_{op2} + CC_{op3} + CC_{op4} + CC_{op5} + CC_{op6} + CC_{op7} + CC_{op8} + CC_{op9} + CC_{op10} + CC_{op11})$$

परन्तु यह कि बहुवर्षीय विद्युत-दर (टैरिफ) आदेश में इन विनियमों पर आधारित अवधारित क्षमता प्रभारों की वसूली पिछले तीन वर्षों के अधिकतम वास्तविक संयन्त्र उपलब्धता कारक या मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक, इनमें जो भी कम हो हालांकि वार्षिक सत्यापन के समय वास्तविक संयन्त्र उपलब्धता को (Actual PAF) को जो NAPAF की उच्चतम सीमा तक होगी वह मान्य किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई, जो नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के कारण बंद हो, वहां विद्युत उत्पादन कंपनी को केवल प्रचालन एवं संधारण व्ययों तथा ऋण पर ब्याज वसूल की जाने की अनुमति ही प्रदान की जाएगी।

जहां,

CC_m	=	माह हेतु क्षमता प्रभार ;
CC_p	=	माह के शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों हेतु क्षमता प्रभार ;
CC_{op}	=	माह के शीर्ष बाह्य (अ-व्यस्ततम) घंटों हेतु क्षमता प्रभार ;
CC_{pn}	=	'n' वें माह के शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों हेतु क्षमता प्रभार;
CC_{opn}	=	'n' वें माह के शीर्ष बाह्य (अव्यस्ततम) अवधि हेतु क्षमता प्रभार;
AFC	=	वार्षिक स्थायी लागत ;
$PAFM_{pn}$	=	'n' वें माह के अन्त तक शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों के दौरान प्राप्त किया गया संयन्त्र उपलब्धता कारक ;
$PAFM_{opn}$	=	'n' वें माह के अन्त तक शीर्ष बाह्य (अ-व्यस्ततम) घंटों के दौरान प्राप्त किया गया संयन्त्र उपलब्धता कारक ;
NAPAF	=	मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक ।

45.3 इन विनियमों के विनियम 51 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार माह के दौरान मानदण्डीय संयन्त्र उपलब्धता कारक (Normative Plant Availability Factor) 'शीर्ष (व्यस्ततम) (peak)' तथा 'शीर्ष बाह्य (अ-व्यस्ततम) (off-peak)' घंटों हेतु मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक (NAPAF) के समतुल्य होगा। दिवस के दौरान 'शीर्ष (व्यस्ततम)' तथा 'शीर्ष बाह्य (अ-व्यस्ततम)' अवधियां क्रमशः चार घंटे तथा बीस घंटे होंगी। दिवस के दौरान 'शीर्ष (व्यस्ततम)' तथा 'शीर्ष बाह्य (अ-व्यस्ततम)' घंटों की घोषणा संबंधित भार प्रेषण केन्द्र (Load Despatch Centre) द्वारा अग्रिम रूप से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व की जाएगी :

परन्तु यह कि संबद्ध राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबंधित हितधारकों (stakeholders) की टिप्पणियों पर विधिवत विचार करने के पश्चात् शीर्ष (व्यस्ततम) घंटे इस प्रकार घोषित करेगा जो राज्य के अधिकांश भाग के लिये यथासंभव उच्चतम सीमा तक शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों के अनुरूप होंगे।

- 45.4** मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक (NAPAF) पर आधारित व्युत्पादित संचयी शीर्ष-बाह्य घंटों हेतु क्षमता प्रभार की वसूली में पाई गई किसी कमी को संयन्त्र उपलब्धता कारक (PAF) में पाई गई किसी अधिनिष्पत्ति (over achievement) यदि कोई हो तो इसे संचयी शीर्ष घंटों हेतु अनुवर्ती काल्पनिक अधिक वसूली द्वारा प्रति संतुलित किया जाएगा :

परन्तु यह कि मौसम की अवधि के अन्तर्गत 'NAPAF' पर आधारित व्युत्पादित संचयी शीर्ष घंटों हेतु क्षमता प्रभार की वसूली में पाई गई किसी कमी को संयन्त्र उपलब्धता कारक में पाई गई किसी अधिनिष्पत्ति, यदि कोई हो, तथा उक्त मौसम में संचयी शीर्ष घंटों हेतु क्षमता प्रभार की अनुवर्ती काल्पनिक अधिवसूली द्वारा प्रति संतुलित किया जाना अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

- 45.5** किसी माह हेतु संयन्त्र उपलब्धता कारक (PAFM) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$PAFM = 10000 \times \sum_{i=1}^N \frac{DCi}{[N \times IC \times (100 - AUXn - AUXen)]} \%$$

जहां,

AUX - मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत, जो सकल ऊर्जा उत्पादन का प्रतिशत है

AUXn - उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली हेतु मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत है
DCI - औसत घोषित क्षमता (एक्स-बस मेगावाट में) अवधि के दौरान i वें दिवस हेतु अर्थात् माह अथवा वर्ष, यथास्थिति, जैसा कि संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिवस की समाप्ति पश्चात् प्रमाणित किया गया हो

IC - विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)

N - अवधि के दौरान दिवस संख्या

टीप : DCI तथा IC में उन उत्पादन इकाइयों की क्षमता को शामिल नहीं किया जाएगा जिन्हें वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित न किया गया हो। संबंधित अवधि के दौरान स्थापित क्षमता में परिवर्तन होने की दशा में, इसके औसत मूल्य का अनुप्रयोग किया जाएगा।

- 45.6** वार्षिक स्थाई लागत स्वत्वाधिकार (AFC entitlement) जैसा कि इसकी गणना ऊपर की गई है, ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र को किसी दिये गये वर्ष हेतु अनुमोदित वार्षिक स्थाई लागत के 1% तक प्रोत्साहन अनुज्ञेय किया जाएगा जिसकी बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

$$\text{प्रोत्साहन (Incentive)} = (1.00\% \times \beta \times CCy)/12$$

जहाँ,

β = उक्त विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु मासिक आवृत्ति अनुक्रिया निष्पादन (Monthly Frequency Response Performance) जैसा कि इसे संबंधित क्षेत्रीय ऊर्जा समिति (RPC) / राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) द्वारा प्रमाणित किया गया हो, जिसकी आयोग के अनुमोदनानुसार राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (NLDC) द्वारा निर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार प्राथमिक अनुक्रिया पर विचार करते हुए गणना की जाएगी तथा β का मूल्य 0 तथा 1 के मध्य होगा :

परन्तु यह कि प्रोत्साहन का भुगतान केवल इसी शर्त पर किया जाएगा यदि β का मूल्य 0.30 से अधिक हो।

CCy = वर्ष हेतु क्षमता प्रभार

- 45.7** क्षमता प्रभार के अतिरिक्त, किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी इकाई हेतु इन विनियमों के विनियम 51.3(ङ) में विनिर्दिष्टानुसार प्रत्येक मौसम के अन्तर्गत संचयी आधार पर प्राप्त किये गये मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र भार कारक (NAPAF) (एक्स-बस ऊर्जा से तत्संबंधी) से अधिक प्रोत्साहन राशि शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों के दौरान एक्सबस अनुसूचित ऊर्जा हेतु 75 पैसे प्रति किलोवाट की दर से तथा शीर्ष बाह्य (अ-व्यस्ततम) घंटों के दौरान एक्सबस अनुसूचित ऊर्जा हेतु 55 पैसे प्रति किलोवाट की दर से देय होगी :

परन्तु यह कि प्रोत्साहन की गणना हेतु विद्युत उत्पादन केन्द्र की समग्र स्थापित क्षमता के वार्षिक संयन्त्र भार कारक (Annual Plant Load Factor) पर विचार किया जाएगा, संविदाकृत क्षमता (contracted capacity) भले जो भी हो।

- 46.** कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार की गणना तथा भुगतान (**Computation and Payment of Supplementary Capacity Charge for Coal based Thermal Generation Stations**) :

- 46.1** किसी उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली हेतु स्थाई लागत की गणना इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार वार्षिक आधार पर की जाएगी तथा इनकी वसूली मासिक आधार पर अनुपूरक क्षमता प्रभार के अन्तर्गत की जाएगी। किसी

विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु भुगतान योग्य कुल अनुपूरक क्षमता प्रभारों को उसके हितग्राहियों के मध्य उनका प्रतिशत अंशदान या विद्युत उत्पादन केन्द्र की क्षमता के आवंटन के आधार पर परस्पर विभाजित किया जाएगा।

- 46.2** किसी कैलेण्डर माह हेतु ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र को देय अनुपूरक क्षमता प्रभार की गणना निम्नसूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$SCC1 = (AFCe) \times (1/12) \times (PAFM1/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(AFCe) \times (1/12)\}$$

$$SCC2 = [(AFCe) \times (1/6) \times (PAFM2/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(AFCe) \times (1/6)\}] - SCC1$$

$$SCC3 = [(AFCe) \times (1/4) \times (PAFM3/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(AFCe) \times (1/4)\}] - (SCC1 + SCC2)$$

$$SCC4 = [(AFCe) \times (1/3) \times (PAFM4/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(AFCe) \times (1/3)\}] - (SCC1 + SCC2 + SCC3)$$

$$SCC5 = [(AFCe) \times (5/12) \times (PAFM5/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(AFCe) \times (5/12)\}] - (SCC1 + SCC2 + SCC3 + SCC4)$$

$$SCC6 = [(AFCe) \times (1/2) \times (PAFM6/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(AFCe) \times (1/2)\}] - (SCC1 + SCC2 + SCC3 + SCC4 + SCC5)$$

$$SCC7 = [(AFCe) \times (7/12) \times (PAFM7/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(AFCe) \times (7/12)\}] - (SCC1 + SCC2 + SCC3 + SCC4 + SCC5 + SCC6)$$

$$SCC8 = [(AFCe) \times (2/3) \times (PAFM8/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(AFCe) \times (2/3)\}] - (SCC1 + SCC2 + SCC3 + SCC4 + SCC5 + SCC6 + SCC7)$$

$$SCC9 = [(AFCe) \times (3/4) \times (PAFM9/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(AFCe) \times (3/4)\}] - (SCC1 + SCC2 + SCC3 + SCC4 + SCC5 + SCC6 + SCC7 + SCC8)$$

$$SCC10 = [(AFCe) \times (5/6) \times (PAFM10/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(AFCe) \times (5/6)\}] - (SCC1 + SCC2 + SCC3 + SCC4 + SCC5 + SCC6 + SCC7 + SCC8 + SCC9)$$

$$SCC11 = [(AFCe) \times (11/12) \times (PAFM11/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } \{(AFCe) \times (11/12)\}] - (SCC1 + SCC2 + SCC3 + SCC4 + SCC5 + SCC6 + SCC7 + SCC8 + SCC9 + SCC10)$$

$$SCC12 = [(AFCe) \times (PAFM12/NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (AFCe)] - (SCC1 + SCC2 + SCC3 + SCC4 + SCC5 + SCC6 + SCC7 + SCC8 + SCC9 + SCC10 + SCC11)$$

परन्तु ऐसी स्थिति में जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी कोई इकाई जो नवीनीकरण अथवा आधुनिकीकरण के कारण बन्द (shutdown) हो वहां विद्युत उत्पादन कम्पनी को केवल उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली से संबद्ध संचालन एवं संधारण व्ययों तथा ऋण पर ब्याज की वसूली किये जाने हेतु अनुज्ञेय किया जाएगा।

जहां,

SCCn = माह हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार ;

AFCe = उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु वार्षिक स्थाई लागत ;

PAFMn = nवें माह के अन्त में प्राप्त किया गया संयन्त्र उपलब्धता कारक

NAPAF = मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक

- 46.3 अनुपूरक क्षमता प्रभार के प्रयोजन से किसी माह हेतु मानदण्डीय संयन्त्र उपलब्धता कारक पर इन विनियमों के विनियम 45.3 में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार विचार किया जाएगा। माह हेतु संयन्त्र उपलब्धता कारक (PAFM) की गणना इन विनियमों के विनियम 45.5 के अनुसार की जाएगी।
47. ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु ऊर्जा प्रभार तथा केयला आधारिताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु अनुपूरक ऊर्जा प्रभार की गणना (**Computation and Payment of Energy Charge for Thermal Generating Station and Supplementary Energy Charge for Coal based Thermal Generating Stations**) :
- 47.1 ऊर्जा प्रभार में प्राथमिक तथा द्वितीयक ईधन की लागत शामिल होगी तथा इसका भुगतान प्रत्येक हितग्राही द्वारा ऐसे हितग्राही को प्रदाय की जाने वाली कुल ऊर्जा हेतु कैलेण्डर माह के दौरान, एक्स विद्युत संयन्त्र आधार पर मासिक ऊर्जा प्रभार दर पर (मय ईधन मूल्य समायोजन के) किया जाएगा। विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा माह हेतु भुगतानयोग्य कुल प्रभार निम्नानुसार होगा :
- $$\text{ऊर्जा प्रभार} = \{\text{ऊर्जा प्रभार दर रूपये प्रति किलोवाट ऑवर (kWh) में}\} \times \{\text{माह हेतु अनुसूचित ऊर्जा (scheduled energy) (एक्स-बस), किलोवाट ऑवर (kWh) में}\}$$
- 47.2 उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली (emission control system) के कारण अनुपूरक ऊर्जा प्रभार (supplementary energy charge) के अन्तर्गत सहायक ऊर्जा खपत (auxiliary energy consumption) तथा अभिकर्मक (reagent) की लागत के कारण विभेदक ऊर्जा प्रभार (Differential energy charges) को सम्मिलित किया जाएगा तथा इसका भुगतान प्रत्येक हितग्राही/लाभार्थी द्वारा एक्स विद्युत-संयन्त्र आधार पर कैलेण्डर माह के दौरान ऐसे हितग्राही/लाभार्थी को प्रदाय की जाने वाली अनुसूचित कुल ऊर्जा हेतु माह की अनुपूरक ऊर्जा दर पर करना होगा। किसी माह हेतु विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा देय कुल अनुपूरक ऊर्जा प्रभार निम्नानुसार होंगे :
- $$\text{अनुपूरक ऊर्जा प्रभार (Supplementary Energy Charges)} = (\text{अनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर रु/प्रति किलोवाट ऑवर में}) \times \{\text{माह हेतु अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) किलोवाट ऑवर में}\}$$
- 47.3 एक्स विद्युत संयन्त्र आधार (ex-power plant basis) पर ऊर्जा प्रभार दर (Energy Charge Rate-FCR) तथा अनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर (Supplementary Energy Charge Rate) रूपये प्रति किलोवाट ऑवर (kWh) में का अवधारण तीन दशमलव स्थानों तक निम्न सूत्र के आधार पर किया जाएगा :

(एक) कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु ऊर्जा प्रभार दर

(Energy Charge Rate -FCR) :

$$ECR = [((SHR - SFC \times CVSF) \times LPPF / CVPF) + SFC \times LPSFi] \times 100 / (100 - AUX)$$

जहां,

AUX = मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में ;

CVPF= भारित औसत सकल ऊष्मीय मान (Gross Calorific Value) जैसा कि इसे प्राप्त किया गया है, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम (KCal per kg) में से 85 KCal/kg, विद्युत उत्पादन केन्द्र पर भण्डारण के दौरान विषमता (variation) के कारण, घटा कर :

परन्तु यह कि विभिन्न स्त्रोतों से कोयले के सम्मिश्रण के प्रकरण में, कोयले (प्रारंभिक ईंधन) के भारित औसत सकल ऊष्मीय मान की प्राप्ति सम्मिश्रण अनुपात (blending ratio) के अनुपात में की जाएगी ।

CVSF = द्वितीयक ईंधन का ऊष्मीय मान (calorific value), KCal per-ml में ।

ECR = ऊर्जा प्रभार दर, रूपये प्रति किलोवाट ऑवर में सम्प्रेषित (sent out) ;

SHR = सकल स्टेशन ऊष्मा दर (Gross Station Heat Rate), KCal per kWh में ।

LPPF= माह के दौरान कोयले (प्राथमिक ईंधन) का भारित औसत आगमित मूल्य, रूपये प्रति किलोग्राम में (विभिन्न स्त्रोतों से कोयले के सम्मिश्रण के प्रकरण में, कोयले के भारित औसत आगमित मूल्य की गणना सम्मिश्रण अनुपात (blending ratio) के अनुपात में की जाएगी);

SFC = मानदण्डीय आपेक्षिक ईंधन खनिज—तेल खपत, ml per kWh में ।

LPSFi= माह के दौरान द्वितीयक ईंधन का भारित औसत आगमित मूल्य, रूपये प्रति मिली लीटर में ।

(दो) कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु अनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर (**Supplementary ECR for Coal based thermal generating stations**) :

अनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर (**Supplementary ECR**) = $(\Delta ECR) + LPR / 10) / (100 - (AUXn + AUXen))]$

जहां

(ΔECR)=उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के साथ पुनरीक्षित सहायक ऊर्जा खपत मय ECR के जो के जो (AUXn + AUXen) के बराबर है और ECR मय

मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत के जैसा कि इन विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है, का अन्तर

SRC = पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के कारण विशिष्ट अभिकर्मक खपत (Specific reagent consumption) (g/kWh में)

LPR = उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु अभिकर्मक का भारित औसत आगमित मूल्य।

- 47.4** विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा परस्पर सम्मत स्त्रोत से पृथक वैकल्पिक प्रदाय स्त्रोत से कोयले के आंशिक अथवा पूर्ण उपयोग संबंधी प्रकरण में जैसा कि विद्युत क्रय अनुबंध में सहमति व्यक्त की गयी हो, जैसा कि यह अनुबंधित विद्युत प्रदाय के संबंध में कोयले की कमी या फिर सम्मिश्रण के माध्यम से मितव्ययी परिपालन की अनुकूलतम परिस्थितियों बाबत हो, वहां कोयले के उपयोग के वैकल्पिक स्त्रोत के उपयोग के बारे में विद्युत उत्पादन केन्द्र को अनुमति प्रदान की जाएगी :

परन्तु यह कि ईंधन के वैकल्पिक स्त्रोत का भारित औसत मूल्य गणना किये गये ईंधन के आधार मूल्य के 30% से अधिक न होगा तथा ऐसे प्रकरण में हितग्राहियों/लाभार्थियों से पूर्व अनुमति एक पूर्व-शर्त न होगी, जब तक विद्युत क्रय अनुबंध में अन्यथा विशिष्ट रूप से इस बाबत सहमति व्यक्त न की गई हो:

परंतु आगे यह और कि जहां ईंधन के उपयोग हेतु भारित औसत मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार, ईंधन के वैकल्पिक स्त्रोत को शामिल करते हुये, 30 प्रतिशत से अधिक हो, जैसा कि आयोग द्वारा उक्त वर्ष के लिये अनुमोदित किया गया हो या फिर ईंधन के उपयोग हेतु भारित औसत मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर, ईंधन के वैकल्पिक स्त्रोत को शामिल करते हुये पूर्व माह के भारित औसत मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर के 20 प्रतिशत से अधिक हो, इनमें से जो भी कम हो, को मान्य किया जाएगा तथा ऐसी दशा में हितग्राही/लाभार्थी से पूर्व परामर्श न्यूनतम तीन दिवस पूर्व किया जाएगा।

- 47.5** इस विनियम के विनियम क्रमांक 47.3 में भले जो भी निहित हो, आयोग ईंधन की कमी पर विचार करते हुए पृथक आदेश(ों) के माध्यम से सम्मिश्रण अनुपात (blending ratio) में तथा हितग्राही/लाभार्थी की आवश्यकता संबंधी सहमति के बारे में, ईंधन के वैकल्पिक स्त्रोत के उपयोग के प्रति परिवर्तन कर सकेगा।

- 47.6** जहां बाओमास ईंधन का उपयोग कोयले के साथ सम्मिश्रण (blending) हेतु किया जाए वहां बाओमास ईंधन की आगमित लागत (landed cost) की गणना विद्युत उत्पादन केन्द्र पर उत्तरान स्थल (unloading point) पर बाओमास की प्रदाय लागत (delivered cost) के आधार पर, प्रयोज्य करों (taxes) तथा शुल्कों

- (duties) को सम्मिलित करते हुए की जाएगी। सम्मिश्रित ईंधन (blended fuel) के ऊर्जा प्रभार दर की गणना सम्मिश्रण अनुपात पर बाओमास की खपत पर विचार करते हुए जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए या बाओमास की वास्तविक खपत के आधार पर, इनमें से जो भी कम हो, की जाएगी।
- 47.7** आयोग विद्युत-दर (टैरिफ) अवधि के प्रारंभ में प्रत्येक विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु जारी किये जाने वाले विशिष्ट विद्युत-दर आदेशों के माध्यम से ऊर्जा प्रभार दर (energy charge rate) का अनुमोदन करेगा। इस प्रकार अनुमोदित की गयी ऊर्जा प्रभार दर विद्युत-दर (टैरिफ) अवधि के प्रथम वर्ष हेतु आधार ऊर्जा प्रभार दर होगी। अनुवर्ती वर्षों हेतु आधार ऊर्जा प्रभार दर (base energy rate) वह दर होगी जिसकी गणना भुगतान के प्रयोजन से आधार ऊर्जा प्रभार में वृद्धि करने के उपरान्त वृद्धि दरों के रूप में केन्द्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत की जाएगी।
- 48.** जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की संगणना तथा भुगतान (Computation and Payment of Capacity Charge and Energy Charge for Hydro Generating Stations) :
- 48.1** किसी जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थाई लागत की संगणना इन विनियमों के अन्तर्गत वार्षिक आधार पर विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार की जाएगी तथा इसकी वसूली मासिक आधार पर क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए) तथा ऊर्जा प्रभारों के अन्तर्गत की जाएगी जिसका भुगतान हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा विद्युत उत्पादन केन्द्र की विक्रययोग्य क्षमता में उनके तत्संबंधी आवंटन के अनुपात में, अर्थात्, क्षमता अनुसार गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत प्रदाय को छोड़कर, किया जाएगा :
- परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन केन्द्र की प्रथम इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तथा विद्युत उत्पादन केन्द्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के मध्य की अवधि के दौरान क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों के भुगतान के अवधारण हेतु वार्षिक स्थाई लागत की गणना विद्युत उत्पादन केन्द्र के कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी अन्तिम प्राक्कलन के आधार पर प्रावधिक तौर पर की जाएगी।
- 48.2** किसी कैलेण्डर माह हेतु किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र का भुगतानयोग्य क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए) निम्नानुसार होगा :
- AFC $\times 0.5 \times NDM / NDY \times (PAFM / NAPAF)$ (रूपये में)
जहाँ,
AFC = वर्ष हेतु निर्दिष्ट वार्षिक स्थाई लागत, रूपयों में
NAPAF = मानदण्डीय संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

NDM = माह के दौरान दिवस संख्या

NDY = वर्ष के दौरान दिवस संख्या

PAFM = माह के दौरान प्राप्त किया गया संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

48.3 मासिक संयंत्र उपलब्धता कारक (PAFM) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी:

N

$$PAFM = \frac{10000 \times \sum DC_i}{N \times IC \times (100 - AUX)} \%$$

$i = 1$

जहां,

AUX = मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में

DC_i = माह के iवें दिवस हेतु घोषित क्षमता (एक्स-बस मेगावाट में) जो केन्द्र (स्टेशन) को न्यूनतम 3 (तीन) घंटे की अवधि में प्रदान करने में सक्षम हो, जैसा कि इसे समन्वयन भार प्रेषण केन्द्र (nodal load dispatch centre) द्वारा दिवस की समाप्ति पर सत्यापित किया जाए

IC = सम्पूर्ण विद्युत उत्पादन केन्द्रों की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)

N = माह के दौरान दिवस संख्या

48.4 वार्षिक स्थाई लागत स्वत्वाधिकार (AFC entitlement) जैसा कि इसकी गणना ऊपर की गई है, ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र को किसी दिये गये वर्ष हेतु अनुमोदित वार्षिक स्थाई लागत के 3% तक प्रोत्साहन अनुज्ञेय किया जाएगा जिसकी बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

$$\text{प्रोत्साहन (Incentive)} = (3\% \times \beta \times CCy)/12$$

जहां,

β = उक्त विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु मासिक आवृत्ति अनुक्रिया निष्पादन (Monthly Frequency Response Performance) जैसा इसे संबंधित क्षेत्रीय ऊर्जा समिति (RPC) / राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) द्वारा प्रमाणित किया गया हो, जिसकी आयोग के अनुमोदनानुसार राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (NLDC) द्वारा निर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार प्राथमिक अनुक्रिया पर विचार करते हुए गणना की जाएगी तथा B का मूल्य 0 तथा 1 के मध्य होगा :

परन्तु यह कि प्रोत्साहन का भुगतान केवल इसी शर्त पर किया जाएगा यदि B का मूल्य 0.30 से अधिक हो।

CCy = वर्ष हेतु क्षमता प्रभार

48.5 ऊर्जा प्रभार का भुगतान प्रत्येक हितग्राही / लाभार्थी द्वारा, माह के दौरान कुल अनुसूचित प्रदाययोग्य ऊर्जा हेतु, निःशुल्क ऊर्जा (free energy) को घटाकर,

यदि कोई हो, एक्स-बस आधार पर, संगणना की गई, ऊर्जा प्रभार दर पर किया जाएगा। माह के दौरान विद्युत उत्पादन कम्पनी को कुल भुगतानयोग्य ऊर्जा प्रभार निम्नानुसार होंगे :

$$\text{ऊर्जा प्रभार (Energy Rate)} = (\text{ऊर्जा प्रभार दर } \text{रु. प्रति किलोवाट ऑवर में}) \times (\text{माह हेतु अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) किलोवॉट ऑवर में}) \times (100 - \text{FEHS}) / 100$$

- 48.6** किसी जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु ऊर्जा प्रभार दर का अवधारण रु. प्रति किलोवाट ऑवर में, एक्स-विद्युत संयन्त्र आधार पर, तीन दशमलव बिन्दुओं तक निम्न सूत्र के आधार पर इस विनियम के विनियम 48.8 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए किया जाएगा :

$$\text{ECR} = \text{AFC} \times 0.5 \times 10 / \{ \text{DE} \times (100 - \text{AUX}) \times (100 - \text{FEHS}) \}$$

जहां,

DE = जल विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु वार्षिक रूपांकन ऊर्जा (design energy), मेगावाट ऑवर में, निम्न दर्शाये विनियम 48.7 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए होगी

FEHS = गृह राज्य हेतु निःशुल्क ऊर्जा (free energy), प्रतिशत में, जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 55.2 (टीप-3) में परिभाषित किया गया है

- 48.7** यदि किसी जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र की वर्ष के दौरान विक्रयोग्य अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस), विक्रययोग्य रूपांकित ऊर्जा (एक्स-बस) से कम विद्युत उत्पादन केन्द्र के नियंत्रण से परे कतिपय कारणों से हो तो ऐसी दशा में विद्युत उत्पादन केन्द्र ऊर्जा प्रभारों में कमी (shortfall) की वसूली मांग परक प्रबन्धन ऊर्जा (DSM Energy) के समायोजन पश्चात्, छः समतुल्य ब्याज मुक्त मासिक किस्तों में आगामी वर्ष में, सत्यापन के अध्यधीन रहते हुए करेगा :

परन्तु ऐसे प्रकरण में, जहां जल विद्युत उत्पादन केन्द्र से वास्तविक विद्युत उत्पादन रूपांकित ऊर्जा से निरन्तर 4 वर्षों की अवधि हेतु जल-वैज्ञानिक (hydrology factor) कारक के कारण कम रही हो, वहां विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से सुसंबद्ध आंकड़ों के साथ केन्द्र की रूपांकित ऊर्जा के पुनरीक्षण हेतु सम्पर्क किया जाएगा।

- 48.8** विद्युत-दर (टैरिफ) अवधि 2019-24 के दौरान विक्रययोग्य अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) के कारण ऊर्जा प्रभारों में किसी कमी के बारे में जिसकी विक्रययोग्य रूपांकित ऊर्जा (एक्स-बस) से कम होने तथा विद्युत उत्पादन केन्द्र

के नियंत्रण से बाहर परिस्थिति के कारण जिसकी कथित विद्युत-दर (टैरिफ) अवधि में वसूली नहीं हो पाई हो, की वसूली इस विनियम के विनियम 48.7 के अनुसार की जाएगी।

- 48.9** यदि किसी जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु ऊर्जा प्रभार दर (ECR) जैसा कि इसकी गणना इस विनियम के विनियम 48.5 में की गई है, एक सौ तीस पैसे प्रति किलोवाट औंवर से अधिक हो तथा वर्ष के दौरान वास्तविक विक्रय योग्य ऊर्जा { $DE \times (100 - AUX) \times (100 - FEHS)/10000$ } मेगावाट औंवर से अधिक हो तो ऊर्जा हेतु ऊर्जा प्रभार की बिलिंग उपरोक्त से अधिक हेतु, केवल एक सौ तीस पैसे प्रति किलोवाट औंवर की दर से ही की जाएगी।
- 48.10** उपरोक्त के अतिरिक्त, नदी-बहाव (ROR) जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में, विक्रययोग्य अनुसूचित ऊर्जा (saleable scheduled energy) से तत्संबंधी प्रोत्साहन का भुगतान 50 पैसे प्रति किलोवाट औंवर की दर से दिवस (24 घंटे) के शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों के दौरान औसत विक्रययोग्य अनुसूचित ऊर्जा से अधिक हेतु किया जाएगा।
- 48.11** संबंधित भार प्रेषण केन्द्र (Load Dispatch Centre) हितग्राहियों/लाभार्थियों से परामर्श कर जल-विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु घोषित की गई उपलब्ध समस्त ऊर्जा की अनुकूलतम उपयोगिता (optimal utilization) हेतु अनुसूचियों को अन्तिम रूप देगा जिसे समस्त हितग्राहियों/लाभार्थियों हेतु विद्युत उत्पादन केन्द्र के तत्संबंधी आवंटनों के समानुपात में अनुसूचीबद्ध किया जाएगा।
- 49.** उद्वहन संग्रहण जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की संगणना तथा भुगतान (Computation and Payment of Capacity Charge and Energy Charge for Pumped Storage Hydro Generating Stations) :
- 49.1** किसी उद्वहन संग्रहण जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थाई लागत (fixed cost) की संगणना इन विनियमों के अधीन वार्षिक आधार पर विनिर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर की जाएगी तथा इसकी वसूली मासिक आधार पर क्षमता प्रभार (capacity charge) के रूप में की जाएगी। हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा क्षमता प्रभार का भुगतान विद्युत उत्पादन केन्द्र की विक्रययोग्य क्षमता (saleable capacity) में उनके तत्संबंधी आवंटन के अनुपात में देय होगा :
- परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन केन्द्र की प्रथम इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तथा विद्युत उत्पादन केन्द्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के मध्य ऐसी अवधि के दौरान क्षमता प्रभार भुगतान के अवधारण हेतु वार्षिक स्थाई

लागत (annual fixed cost) की गणना विद्युत उत्पादन केन्द्र की कार्य समाप्ति लागत (completion cost) के नवीनतम प्राक्कलन (latest estimate) के आधार पर की जाएगी।

49.2 किसी कैलेण्डर माह हेतु उद्वहन संग्रहण जल विद्युत उत्पादन केन्द्र को क्षमता प्रभार (capacity charge) का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा :

(AFC_xNDM/NDY) (रूपये में), यदि माह के दौरान वास्तविक विद्युत उत्पादन माह के दौरान केन्द्र द्वारा खपत की गई उद्वहन ऊर्जा (Pumping Energy) का $\geq 75\%$ है ; और

{(AFC_xNDM/NDY) x {माह में शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों के दौरान वास्तविक उत्पादन/माह के दौरान केन्द्र द्वारा खपत की गई ऊर्जा का 75% (रूपये में)}, यदि माह के दौरान वास्तविक विद्युत उत्पादन माह के दौरान खपत की गई उद्वहन ऊर्जा के 75% से कम है।

जहां,

AFC = वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थाई लागत (Annual Fixed Cost), रूपये में

NDM = माह के दौरान दिवस संख्या

NDY = वर्ष के दौरान विषय संख्या

परन्तु यह कि केन्द्र के वास्तविक विद्युत उत्पादन तथा उसके द्वारा खपत की गई वास्तविक उद्वहन ऊर्जा के आधार पर वर्ष के दौरान समायोजन निहित होंगे।

49.3 प्रत्येक हितग्राही/लाभार्थी द्वारा ऊर्जा प्रभार, निम्न स्तरीय जलाशय (lower elevation Reservoir) से उच्च स्तरीय जलाशय (higher elevation reservoir) हेतु जल के उद्वहन में उपयोग की गई ऊर्जा के 75% में रूपांकन ऊर्जा से आधिक्य मात्रा को जोड़कर, हितग्राही/लाभार्थी को अनुसूचित कुल ऊर्जा की आपूर्ति हेतु देय होंगे। कैलेण्डर माह के दौरान, एक्स विद्युत संयन्त्र आधार पर इसकी समान दर (flat rate) 20 पैसे प्रति किलोवाट ऑवर (kWh), यदि कोई हो, की औसत ऊर्जा प्रभार दर (average energy rate) के बराबर होगी।

49.4 विद्युत उत्पादन कम्पनी को एक माह हेतु देय ऊर्जा प्रभार निम्नानुसार होंगे :

= 020x {माह हेतु अनुसूचित ऊर्जा (एक्स वस) kWh में – {माह हेतु रूपांकन ऊर्जा (Design Energy) (DEm) + माह हेतु निम्न स्तरीय जलाशय से उच्च स्तरीय जलाशय को जल के उद्वहन हेतु उपयोग की गई ऊर्जा का 75%})}x(100-FEHS)/100 |

जहां,

DEm = माह हेतु जल विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु निर्दिष्ट रूपांकन ऊर्जा,
(Design Energy), MWh में

$FEHS$ = Free Energy Home State (अर्थात् राज्य हेतु निःशुल्क ऊर्जा, जैसा कि
इसका उल्लेख इन विनियमों के विनियम 55.2 (टीप-3) में किया गया
है, यदि कोई हो।

परन्तु यह कि यदि माह के दौरान अनुसूचित ऊर्जा माह हेतु रूपांकन
ऊर्जा (design energy) + माह के दौरान निम्न स्तरीय जलाशय से उच्च
स्तरीय जलाशय की ओर जल के उद्वहन हेतु उपयोग की गई ऊर्जा के 75%
से कम हो तो हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा देय ऊर्जा प्रभार (energy charges)
शून्य होंगे :

परन्तु आगे यह और कि यदि निम्न स्तरीय जलाशय से उच्च स्तरीय
जलाशय की ओर उद्वहन (pumping) हेतु ऊर्जा की व्यवस्था विद्युत उत्पादन
कम्पनी द्वारा की जाती है तो विद्युत उत्पादन केन्द्र के एक्स-बस उद्वहन का
भुगतान हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा विद्युत उत्पादन केन्द्र की विक्रय योग्य
क्षमता में उनके तत्संबंधी आवंटन के अनुपात में किया जाएगा।

- 49.5** विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा प्राकृतिक जल के दैनिक जल अन्तर्वाह (inflow)
के उच्च स्तरीय जलाशय संबंधी, उच्च स्तरीय जलाशय तथा निम्न स्तरीय
जलाशय के जलाशय स्तर के अभिलेख घंटावार संधारित किये जाएंगे। विद्युत
उत्पादक को उपलब्ध जल की शीर्ष घंटावार आपूर्ति व्यवस्था को उच्चतम स्तर
पर लाना होगा जिसमें जल का प्राकृतिक प्रवाह भी सम्मिलित है। यदि यह
स्थापित हो जाए कि विद्युत उत्पादक जान-बूझकर या फिर अन्यथा, बिना
किसी उचित कारण के बाह्य-शीर्ष अवधियों (off-peak periods) के दौरान
निम्न स्तरीय जलाशय से उच्च स्तरीय जलाशय को जल का उद्वहन नहीं कर
रहा है, या क्षमता (potential) के अनुसार विद्युत का उत्पादन नहीं कर रहा है,
या प्राकृतिक जल के प्रवाह का अपव्यय कर रहा हो तो दिवस हेतु क्षमता प्रभार
हितग्राही/लाभार्थी द्वारा देय न होंगे। इस प्रयोजन हेतु इकाइयों/केन्द्र के
अवरोध (outage), नियोजित अवरोध (planned outage) तथा अनिवार्य अवरोध
(forced outage) को सम्मिलित करते हुए के एक वर्ष में 15% अंश को किसी
शीर्ष बाह्य अवधि के दौरान निम्न स्तरीय जलाशय से उच्च स्तरीय जलाशय
को जल का उद्वहन न किये जाने, विद्युत उत्पादन न किये जाने, उद्वहन
जल योजना के प्राकृतिक प्रवाह के अनुपयोग को इसका वैध कारण माना
जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसी परिस्थिति में जब वर्ष के दौरान कुल मशीन अवरोध

15% से अधिक हो तो वसूल किये गये कुल क्षमता प्रभारों को आनुपातिक आधार पर (Pro-rata basis) निम्न रीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा :

$$(ACC)\text{adj} = (ACC)\text{Rx}(100-\text{ATO})/85$$

जहां,

(ACC)adj - समायोजित वार्षिक क्षमता प्रभार (Adjusted Annual Capacity Charges)

(ACC)R - वसूल किये गये वार्षिक क्षमता प्रभार (Annual Capacity Charges recovered)

ATO - वर्ष हेतु कुल अवरोध (outage) प्रतिशत में, अनिवार्य (forced) तथा नियोजित (planned) अवरोधों को सम्मिलित करते हुए

परन्तु आगे यह और कि विद्युत उत्पादन केन्द्र को ग्रिड संहिता की अनुसूचीकरण प्रक्रिया से संरेखित अपनी मशीन उपलब्धता को प्रतिदिन दिवस-पूर्व आधार पर, दिवस के समस्त समय खण्डों (time block) हेतु घोषित करना होगा।

49.6 संबंधित भार प्रेषण केन्द्र हितग्राहियों/लाभार्थियों से परामर्श कर जल-विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु घोषित की गई उपलब्ध समस्त ऊर्जा की अनुकूलतम उपयोगिता हेतु अनुसूचियों को अन्तिम रूप देगा जिसे समस्त हितग्राहियों/लाभार्थियों हेतु विद्युत उत्पादन केन्द्र के तत्संबंधी आवंटन के समानुपात में अनुसूचीबद्ध किया जाएगा।

50. विचलन प्रभार (Deviation Charges) :

50.1 विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु वास्तविक शुद्ध अन्तःक्षेपण (actual net injection) तथा अनुसूचित शुद्ध अन्तःक्षेपण (scheduled net injection) के मध्य अंतरों तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों हेतु वास्तविक शुद्ध आहरण (net drawal) और अनुसूचित शुद्ध आहरण (scheduled net drawal) अंतरों को उनका तत्संबंधी विचलन (deviation) माना जाएगा तथा ऐसे विचलनों को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित तथा समय-समय पर यथासंशोधित “Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related matters) Regulations, या इसके किसी अनुवर्ती अधिनियम द्वारा नियन्त्रित किया जाएगा।

50.2 प्रत्येक विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा हितग्राही के वास्तविक शुद्ध विचलन (actual net deviation) को उसकी परिधि (periphery) पर राज्य पारेषण इकाई द्वारा स्थापित विशेष ऊर्जा मापयंत्रों के माध्यम से मीटरीकृत किया जाएगा तथा संबद्ध भार प्रेषण केन्द्र द्वारा इसकी गणना प्रत्येक 15-मिनट के समय-खण्ड हेतु

मेगावाट ऑवर (MWh) में की जाएगी।

अध्याय—9

प्रचालन के मानदण्ड(Norms of Operation)

51. ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु प्रचालन के मानदण्ड (Norms of operation for thermal generating stations) :

- 51.1** विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा क्षमता प्रभार (capacity charges), ऊर्जा प्रभार (energy charges), अनुपूरक क्षमता प्रभार (supplementary energy charges), अनुपूरक ऊर्जा प्रभार (supplementary energy charge) की वसूली तथा प्रोत्साहन (incentive) इन विनियमों में निर्दिष्ट किये गये मानदण्डों की उपलब्धि पर आधारित होंगे।
- 51.2** आयोग द्वारा किसी भी विद्युत उत्पादन केन्द्र के बारे में, स्वयमेव इन विनियमों में निर्दिष्ट स्टेशन ऊषा दर (Station Heat Rate) के मानदण्डों के बारे में जिन हेतु शिथिल मानदण्ड (relaxed norms) निर्दिष्ट किये गये हैं, पुनरीक्षित किया जा सकेगा।
- 51.3** ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु निम्न दर्शाये गये प्रचालन मानदण्ड ऐसे विद्यमान ताप विद्युत केन्द्रों को लागू होंगे जिनके द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2012 को अथवा उससे पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त की गई हो :

(क) मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) :

विद्युत उत्पादन केन्द्र का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 2	1x200+1x210	410.0	70.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 3	2 x 210	420.0	70.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 2 तथा पीएच3)		830.0	70.00%
अमरकंटक ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 3	1 x 210	210.0	85.00%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 1	2 x 210	420.0	75.00%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 2	2 x 210	420.0	75.00%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 1 तथा पीएच 2)		840.0	75.00%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 3	1x500	500.0	85.00%

(ख) सकल स्टेशन ऊषा दर (KCal/kWh) :

विद्युत उत्पादन केन्द्र का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 2	1x200+1x210	410.0	2850
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 3	2 x 210	420.0	2850
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 2 तथा पीच 3)		830.0	2850
अमरकंटक ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 3	1 x 210	210.0	2450

संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 1	2 x 210	420.0	2700
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 2	2 x 210	420.0	2700
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 1 तथा पीएच 2)		840.0	2700
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 3	1x500	500.0	2390

(ग) आपेक्षिक ईंधन खनिज तेल खपत (Specific Fuel Oil Consumption) (ml/kWh) :

विद्युत उत्पादन केन्द्र का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 2	1x200+1x210	410.0	1.75
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 3	2 x 210	420.0	1.75
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 2 तथा पीएच 3)		830.0	1.75
अमरकंटक ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 3	1 x 210	210.0	0.50
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 1	2 x 210	420.0	1.30
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 2	2 x 210	420.0	1.00
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 1 तथा पीएच 2)		840.0	1.15
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 3	1x500	500.0	0.50

(घ) सहायक ऊर्जा खपत (Auxiliary Energy Consumption)(%)

विद्युत उत्पादन केन्द्र का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 2	1x200+1x210	410.0	10.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 3	2 x 210	420.0	10.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 2 तथा पीएच 3)		830.0	10.00%
अमरकंटक ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 3	1 x 210	210.0	9.25%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 1	2 x 210	420.0	10.00%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 2	2 x 210	420.0	10.00%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 1 तथा पीएच 2)		840.0	10.00%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 3	1x500	500.0	5.75%

(ङ) प्रोत्साहन हेतु मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र भार कारक(NAPLF) (%)

विद्युत उत्पादन केन्द्र का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 2	1x200+1x21	410.0	70.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 3	2 x 210	420.0	70.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 2 तथा पीएच 3)		830.0	70.00%
अमरकंटक ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 3	1 x 210	210.0	85.00%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 1	2 x 210	420.0	75.00%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 2	2 x 210	420.0	75.00%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 1 तथा पीएच 2)		840.0	75.00%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 3	1x500	500.0	85.00%

51.4 दिनांक 1.4.2012 को अथवा तत्पश्चात् प्राप्त की गई वाणिज्यिक प्रचालनतिथि से जुड़ी

समस्त क्षमताओं के संबंध में कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों/केन्द्रों हेतु निम्न मानदण्ड लागू होंगे :

क. मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (Normal Annual Plant Availability Factor-NAPAF) :

- (एक) कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र (Coal-based Generating Stations) : 85%
- (दो) कोयला अस्वीकारणों पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र (For Generating Stations based on Coal Rejects) : (क) वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से प्रथम तीन वर्ष : 68.50% और (ख) वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात : 75%

ख. मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र भार कारक (Normative Anuual Plant Load Factor-NAPLF) : 85%

ग. सकल स्टेशन ऊषा दर (Gross Station Heat Rate) :

- (एक) विद्यमान कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र जो 01.04.2012 को या तत्पश्चात् 31.03.2024 तक वाणिज्यिक प्रचालन तिथि धारित करते हैं (उन्हें छोड़कर जो विनियम 51.3 के अधीन सम्मिलित हों), स्टेशन ऊषा दर मानदण्ड (station heat rate norms) वहीं होंगे जैसा कि वे आयोग द्वारा पूर्व में पूर्व विद्युत-दर अवधि हेतु, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019–24 हेतु अनुमोदित किये गये हैं।

- (दो) कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (coal based thermal generating stations) जो दिनांक 01.04.2024 को या तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की प्राप्ति करते हों :

200–300 मेगावाट श्रेणियों (sets) हेतु स्टेशन ऊषा दर (Station Heat Rate) = $1.05 \times$ रूपांकन ऊषा दर (Design Heat Rate) (KCal/kWh)
500 मेगावाट तथा इससे अधिक क्षमता श्रेणियों (sets) हेतु स्टेशन ऊषा दर (Station Heat Rate) = $1.045 \times$ रूपांकन ऊषा दर (Design Heat Rate) (KCal/kWh)

जहां किसी विद्युत उत्पादन इकाई के रूपांकन ऊषा दर (Design Heat Rate) का तात्पर्य यूनिट ऊषा दर (unit heat rate) से हो जैसा कि इसे सामग्री प्रदायक (supplier) द्वारा शत प्रतिशत उच्चतम निरन्तर मूल्यांकन (MCR), शून्य प्रतिशत प्रतिपूर्ति (Zero Percent Makeup), रूपांकन कोयला (design coal) तथा रूपांकन शीतल जल तापमान (design cooling water temperature) / पृष्ठ दबाव (back pressure) शर्तों पर प्रत्याभूत किया गया है :

परन्तु यह कि इकाइयों के दबाव (pressure) तथा तापमान मूल्यांकन (temperature ratings) पर निर्भर, उच्चतम रूपांकन टरबाइन

चक्र ऊष्मा दर (maximum design turbine cycle heat rate) तथा
न्यूनतम वाष्पित्र दक्षता (minimum boiler efficiency) निम्न तालिका के
अनुसार होंगे :

दबाव मूल्यांकन (Pressure Rating (Kg/cm ²))	150	170	170	247
सुपर हीट टेम्परेचर (SHT) रीहीटर टेम्परेचर (RHT) (°C)	535 / 535	537 / 537	537 / 565	537 / 565
वाष्पयन्त्र पोषित पम्प का प्रकार (Type of BFP)	विद्युत चालित	टरबाइन चालित	टरबाइन चालित	टरबाइन चालित
उच्चतम टरबाइन चक्र ऊष्मा दर (kCal/kWh)	1955	1950	1935	1900
न्यूनतम वाष्पित्र दक्षता				
उप-बिटुमिनस भारतीय कोयला (%)	86	86	86	86
बिटुमिनस आयातित कोयला (%)	89	89	89	89

दबाव मूल्यांकन (Pressure Rating) (Kg/cm ²)	247	260	270	270
सुपर हीट टेम्परेचर (SHT) रीहीटर टेम्परेचर (RHT) (°C)	565 / 593	593 / 593	593 / 593	600 / 600
वाष्पयन्त्र पोषित पम्प का प्रकार (Type of BFP)	टरबाइन चालित	टरबाइन चालित	टरबाइन चालित	टरबाइन चालित
उच्चतम टरबाइन चक्र ऊष्मा दर (kCal/kWh)	1850	1814	1810	1790
न्यूनतम वाष्पित्र दक्षता				
उप-बिटुमिनस भारतीय कोयला (%)	86	86	86.50	86.50
बिटुमिनस आयातित कोयला (%)	89	89.50	89.50	89.50

यदि रूपांकन टरबाइन चक्र ऊष्मा दर (Design Turbine Cycle Heat Rate) तथा वाष्पित्र दक्षता (boiler efficiency) इन मूल्यों से बेहतर हो, तो इन्हीं को रूपांकन यूनिट ऊष्मा दर (Design Unit Heat Rate) की गणना हेतु मान्य किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि यदि किसी इकाई के दबाव तथा तापमान मानदण्ड उपरोक्त दर्शाये गये मूल्यांकनों (ratings) से भिन्न हों तो ऐसी दशा में निकटतम श्रेणी की उच्चतम रूपांकन इकाई की ऊष्मा दर का प्रयोग किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि जहां इकाई की ऊष्मा दर प्रत्याभूत नहीं की गई हो परन्तु टरबाइन चक्र ऊष्मा दर तथा वाष्पयन्त्र दक्षता उसी सामग्री प्रदायकर्ता अथवा भिन्न-भिन्न सामग्री प्रदायकर्ताओं द्वारा पृथक-पृथक प्रत्याभूत की गई हों तो ऐसी दशा में इकाई रूपांकन ऊष्मा दर की गणना प्रत्याभूत टरबाइन चक्र ऊष्मा दर तथा वाष्पयन्त्र दक्षता के प्रयोग द्वारा की जाएगी :

परन्तु आगे यह और भी कि जहां सब-बिटुमिनस भारतीय कोयले हेतु

वाष्पयंत्र दक्षता 86 प्रतिशत से कम तथा बिटुमिनस आयातित कोयले हेतु 89 प्रतिशत से कम हो वहां इन्हें स्टेशन ऊष्मा दर (Station Heat Rate) की गणना हेतु सब बिटुमिनस कोयले तथा बिटुमिनस आयातित कोयले हेतु क्रमशः 86 प्रतिशत तथा 89 प्रतिशत ही माना जाएगा :

परन्तु यह और भी कि शुष्क शीतलीकरण (Dry Cooling System) पर आधारित इकाइयों हेतु उच्चतम टरबाइन चक्र ऊष्मा दर (maximum turbine cycle Heat Rate) को वास्तविक रूपांकन के अनुसार या उपरोक्त तालिका में दिये गये मूल्यों से 6% अधिक, इनमें से जो भी कम हो, मान्य किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि एक या एक से अधिक इकाइयां दिनांक 1.4.2024 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित की गई हों तो ऐसी दशा में इन इकाइयों हेतु तथा इनके साथ—साथ दिनांक 1.4.2024 को तथा तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित ऊष्मा दर मानदण्ड जिनकी गणना उपरोक्त विधि द्वारा की जाएगी या फिर आयोग द्वारा विद्युत—दर (टैरिफ) अवधि वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु आयोग द्वारा विचार किया जाए, इनमें से जो भी कम हो, मानी जाएगी :

परन्तु यह और भी कि कोयला अस्वीकरणों (Coal Rejects) पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु आयोग द्वारा प्रकरण—दर—प्रकरण उनकी स्वीकार्यता को इनके गुण—दोष के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा।

टीप : ऐसी इकाइयों के संबंध में जहां वाष्पयंत्र पोषित पम्प विद्युत द्वारा चालित हों, उनमें उच्चतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दर, टरबाइन चालित वाष्पयन्त्र पोषित पम्प हेतु विनिर्दिष्ट की गई उच्चतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दर से 40 किलो कैलोरी / किलोवाट ऑवर (kCal/kWh) कम होगी।

घ. आपेक्षिक ईंधन तेल खपत (Specific Fuel Oil Consumption) :

- (एक) कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र : 0.5 ml/kWh
- (दो) कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र मय दीवार के (अग्र / पृष्ठ / बाजू युक्त) प्रज्वलित वाष्पित्र (boiler): 1.00 ml/kWh
- (तीन) कोयला अस्वीकरणों (coal rejects) पर आधारित विद्युत : 2.00 ml/kWh उत्पादन केन्द्रों हेतु

ड. सहायक ऊर्जा खपत (Auxiliary Energy Consumption) :

स.क्र.	विद्युत उत्पादन केन्द्र	मय नैसर्गिक कर्षण शीतलीकरण टावर (Natural Draft Cooling Tower) या शीतलीकरण टॉवर के बगैर भी
(1)	200 / 210 / 250 MW श्रेणी (Series)	8.50%
(2)	300 / 330 / 350 / 500 MW तथा अधिक	

	वाष्प चालित वाष्पयंत्र पोषित पम्प	5.25%
	विद्युत चालित वाष्पयंत्र पोषित पम्प	8.00%
(3)	600 MW तथा अधिक	
	वाष्प चालित वाष्पयंत्र पोषित पम्प (Steam driven boiler feed pumps)	5.25%
	विद्युत चालित वाष्पयंत्र पोषित पम्प (Electrically driven boiler feed pumps))	8.00%
(4)	45 MW	10.00%

परंतु यह कि ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र मय प्रेरित कर्षण (induced draft) शीतलीकरण टॉवरों के जहां 'ball and tube type coal mill' का उपयोग किया जाता हो वहां मानदण्डों में आगे क्रमशः 0.5% तथा 0.8% की वृद्धि कर दी जाएगी :

परन्तु आगे यह और कि शुष्क शीतलीकरण प्रणालियों (Dry Cooling Systems) से युक्त संयंत्रों हेतु अतिरिक्त सहायक ऊर्जा खपत निम्नानुसार अनुज्ञेय की जाएगी :

शुष्क शीतलीकरण प्रणाली का प्रकार (Type of Dry Cooling System)	सकल विद्युत उत्पादन का प्रतिशत (% of gross)
प्रत्यक्ष, शीतलीकरण वायु शीताति संघनित्र, मय यांत्रिक कर्षण पंखों के (Direct Cooling air cooled Condenser with mechanical draft)	1.00%
अप्रत्यक्ष, शीतलीकरण प्रणाली जिनमें जेट संघनित्र नियोजित किये जाते हैं, मय दाब प्रतिप्राप्ति टरबाइन तथा नैसर्गिक कर्षण टावर के (Indirect cooling system employing condensers with pressure recovery turbine and natural draft tower)	0.50%

परन्तु यह और भी कि कोयला अस्वीकरणों (Coal rejects) पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु सहायक खपत 10% होगी ।

- च. ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों की उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु ऊर्जा खपत के मानदण्ड (AUXEN) (Norms of Auxiliary energy consumption for emission control system (Auxen) of Thermal generating systems)

प्रौद्योगिकी का नाम	(AUXEN) (सकल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में)
(1) सल्फर डाइ ॲक्साइज के उत्सर्जन को कम करने हेतु	
क) नमी युक्त चूना पत्थर (wet lime stone) आधारित FGD प्रणाली (बिना गैस से लेकर गैस हीटर तक)	1.0%
ख) शुष्क चूना छिड़काव या चूना छिड़काव (Lime Spray Dryer) या अर्द्ध-शुष्क FGD प्रणाली	1.0%
ग) शुष्क शोषक अन्तःक्षेपण प्रणाली (Dry Sorbent Injection system) (सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग द्वारा)	शून्य
घ) CBFC विद्युत संयन्त्र हेतु (फर्नेस अन्तःक्षेपण)	शून्य
(2) नाइट्रोजन के आक्साइड के उत्सर्जन को कम करने हेतु	
क) चयनात्मक गैर-उत्सर्जक (non-catalytic) न्यूनीकरण प्रणाली	शून्य
ख) चयनात्मक उत्सर्जक (catalytic) न्यूनीकरण प्रणाली	0.2%

छ. अभिकर्मक की खपत हेतु मानदण्ड (Norms for Consumption of Reagent) :

(1) सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करने हेतु विशिष्ट अभिकर्मक (reagent) की मानदण्डीय खपत निम्नानुसार होगी :

(क) नमीयुक्त चूना पत्थर आधारित फ्लू गैस डि-सल्फीकरण प्रणाली हेतु
{For Wet Lime Stone based Flue Gas De-Sulphurisation (FGD System)}

K x Normative Heat Rate (kCal/kWh) x Sulphur content of coal (%) / CVPF in kCal/kg] x [85/LP] g/kWh
जहाँ,

CVPF - इन विनियमों के विनियम 43 के अनुसार परिकलित, कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु कोयले का भारित औसत सकल ऊष्मित मान, kCal per Kg में :

परन्तु यह कि K का मूल्य इकाइयों द्वारा 100 / 200 mg/Nm³ या (26.8 x रूपांकन SO₂ निष्कासन दक्षता / 73%) सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन मानदण्ड के अनुपालन हेतु (35.2 x रूपांकन SO₂ निष्कासन दक्षता / 96%) के बराबर होगा ताकि इकाइयों द्वारा 600 mg/Nm³ सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन का मानदण्ड प्राप्त किया जा सके।

परन्तु आगे यह और कि चूना पत्थर शुद्धता (lime stone purity) 85% से कम न होगी।

(ख) चूना छिड़काव शोषित्र (लाइम स्प्रे ड्रायर) या अर्द्ध-शुष्क फ्लू गैस डि-सल्फीकरण (FGD) प्रणाली : विशिष्ट चूना खपत की गणना चूने की न्यूनतम शुद्धता (LP) जैसा कि वह 90% पर हो, या फिर इससे अधिक सूत्र, [6x90/LP] g/kWh के अनुप्रयोग के आधार पर की जाएगी।

(ग) शुष्क शोषक अन्तःक्षेपण प्रणाली (Dry Sorbent Injection System) (सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रयोग द्वारा) : सोडियम बाइकार्बोनेट की विशिष्ट खपत 100% शुद्धता पर 12 g/kWh होगी।

(घ) CBFC प्रौद्योगिक (फर्नेस अन्तःक्षेपण) आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु : CBFC आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु (फर्नेस अन्तःक्षेपण) हेतु विशिष्ट चूना पत्थर (लाइमस्टोन) खपत की गणना निम्न सूत्र के आधार पर की जाएगी :

[62.9 x S x SHR/CPF] x [85/LP]

जहाँ,

S = गंधक (सल्फर) की मात्रा प्रतिशत में,

LP = चूना पत्थर (लाइमस्टोन) शुद्धता प्रतिशत में,

SHR = सकल स्टेशन ऊष्मा दर, (kCal per kWh) में,

CVPF = कोयले का भारित औसत सकल ऊष्मीय मान (calorific value), जैसा कि वह प्राप्त किया गया हो, kCal per kWh में, कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु में से 85 kCal per kWh घटाकर जो विद्युत उत्पादन केन्द्र पर भण्डारण के दौरान भिन्नता/विषमता (Variation) के कारण हो सकता है :

- (2) नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी करने हेतु विभिन्न तकनीकों हेतु विशिष्ट अभिकर्मक (reagent) की मानदण्डीय खपत निम्नानुसार होगी :
 - (क) चयनात्मक गैर-उत्सर्जक न्यूनीकरण प्रणाली हेतु {**Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) System**} : 'SNCR System' हेतु विशिष्ट यूरिया खपत 100% यूरिया की शुद्धता पर 1.2 g/kWh होगी।
 - (ख) चयनात्मक उत्सर्जक न्यूनीकरण प्रणाली हेतु {**Selective Catalytic Reduction (SCR) System**} : (SCR System) हेतु विशिष्ट अमोनिया खपत 100% अमोनिया शुद्धता पर 0.6 g/kWh होगी।"
52. जल-विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु प्रचालन के मानदण्ड (**Norms of operation for Hydro generating stations**) :
- 52.1 जल-विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु प्रचालन के मानदण्ड निम्नानुसार होंगे, अर्थात् : मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF)
- आयोग द्वारा जल-विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) का अवधारण निम्न मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा :
- (एक) जल संग्रहण तथा जलाशय प्रकार के संयंत्र (Storage Pondage Type Plants) जिनका शीर्ष अन्तर पूर्ण जलाशय स्तर तथा जलाशय में न्यूनतम गिरावट (MDDL) के स्तर में अन्तर 8 प्रतिशत तक का हो, तथा जहां संयंत्र उपलब्धता गाद (Silt) से प्रभावित न हो: 90 प्रतिशत
 - (दो) जल संग्रहण तथा जलाशय प्रकार के संयंत्र जिनका शीर्ष अन्तर (head variation) पूर्ण जलाशय स्तर तथा जलाशय में न्यूनतम गिरावट के स्तर में अन्तर 8 प्रतिशत से अधिक का हो व जहां संयंत्र उपलब्धता गाद (silt) से प्रभावित न हो : माहवार शीर्ष क्षमता जैसा कि परियोजना प्राधिकारियों द्वारा इसे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रदान किया गया हो, {केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित} 'NAPAF' के निर्धारण का आधार बनेगा।
 - (तीन) जलाशय (pondage) प्रकार के संयंत्र, जहां संयंत्र की उपलब्धता उल्लेखनीय रूप से गाद (silt) (सिल्ट) द्वारा प्रभावित होती हो : 85 प्रतिशत
 - (चार) नदी-बहाव प्रकार के संयंत्र (Run-of River Type Plants) : मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) का अवधारण दस-दिवस रूपांकन ऊर्जा

आंकड़ों (design energy data) पर आधारित संयंत्रवार किया जाएगा जिसे पूर्व के अनुभव के आधार पर, उसके उपलब्ध / युक्तियुक्त होने की दशा में, संयंत (moderated) किया जाएगा।

- 52.2** आयोग द्वारा मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) के अवधारण में अतिरिक्त रियायत (allowance) प्रदान की जा सकेगी, उदाहरण के तौर पर, असामान्य गाद (silt) की समस्या अथवा अन्य प्रचालन शर्तें तथा संयंत्र की विदित परिसीमाएं।
- 52.3** उपरोक्त विवरण के आधार पर, क्षमता प्रभारों की वसूली हेतु वर्तमान में प्रचालित किये जा रहे जल-विद्युत उत्पादन केन्द्रों के मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) निम्नानुसार होंगे :—

केन्द्र (Station)	संयंत्र का प्रकार (Type of Plant)	संयन्त्र क्षमता (Plant Capacity) (MW)	राज्य को आवंटित संयंत्र क्षमता (मेगावाट में)	मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF)
गांधी सागर HPS	संग्रहण (Storage)	115.0	57.5	85.00%
पेंच HPS	संग्रहण (Storage)	160.00	106.7	85.00%
राजघाट HPS	संग्रहण (Storage)	45.00	26.86	60.00%
बरगी उत्पादन केन्द्र	संग्रहण (Storage)	90.00	90.0	85.00%
बाणसागर संकुल (सिलपारा को छोड़कर)	संग्रहण (Storage)	395.00	395.0	85.00:
सिलपारा HPS	नदी बहाव आधारित मय जलाशय (Run of river with pondage)	30.00	30.0	85.00%
बिरसिंहपुर HPS	संग्रहण (Storage)	20.00	20.0	85.00%
मढ़ीखेड़ा HPS	संग्रहण (Storage)	60.00	60.0	85.00%

- 52.4** उद्वहन संग्रहण जल-विद्युत उत्पादन केन्द्रों (Pumped Storage hydrogenerating Stations) के प्रकरण में, अनुप्रवाह जलाशय (down stream reservoir) से धारा-प्रतिकूल जलाशय (upsream reservoir) की ओर जल के उद्वहन की व्यवस्था हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा विद्युत उत्पादन केन्द्र के बस बार तक यथोचित पारेषण तथा वितरण हानियों को संज्ञान में लेकर की जाएगी। बदले में हितग्राही/लाभार्थी को शीर्ष (peak) घंटों के दौरान निचले स्तर के जलाशय से उच्च स्तर पर स्थित जलाशय में जल के उद्वहन (पम्पिंग) हेतु उपयोग की गई समान ऊर्जा के 75% का प्रलाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी तथा विद्युत उत्पादन केन्द्र शीर्ष (peak) घंटों के दौरान विद्युत की उक्त मात्रा की आपूर्ति हेतु वचनबद्ध होगा :

परन्तु यह कि वे हितग्राही/लाभार्थी जो बाह्य-शीर्ष (off-peak) घंटों के दौरान ऊर्जा के वांछित स्तर तक आपूर्ति करने में विफल रहते हों तो शीर्ष

घंटों के दौरान उनकी पात्रता (entitlement) में विद्युत उत्पादन केन्द्र से उनकी ऊर्जा में आनुपातिक कमी (pro-rata reduction) की जाएगी :

परन्तु आगे यह और कि हितग्राही/लाभार्थी उनकी विद्युत उत्पादन केन्द्र में क्षमता के अंशदान (share) को आंशिक या पूर्ण रूप से अप्रित (assign) या समर्पित (surrender) कर सकेंगे या फिर राज्य शासन द्वारा क्षमता को पुनः आवंटित किया जा सकेगा, तथा ऐसे प्रकरण में क्षमता अंशदान (capacity share) का स्वामी (owner) या अभ्यर्पिती (assignee) शीर्ष बाह्य घंटों में विद्युत उत्पादन केन्द्र को समान मात्रा में ऊर्जा की व्यवस्था करने हेतु उत्तरदायी होगा तथा उसे शीर्ष (peak) घंटों के दौरान सदृश ऊर्जा (Corresponding Energy) के लिए उसी प्रकार पात्रता होगी जिस हेतु मूल हितग्राही/लाभार्थी पात्रता धारित करता हो ।

सहायक ऊर्जा खपत (Auxiliary Energy Consumption) :

52.5 200 मेगावाट या 200 मेगावाट क्षमता से अधिक जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु सहायक ऊर्जा खपत के मानदण्ड निम्नानुसार हैं :

स्टेशन का प्रकार (Type of Station)	सहायक ऊर्जा खपत (Auxiliary Energy Consumption)	
	200 मेगावाट की स्थापित क्षमता से अधिक हेतु	200 मेगावाट तक की क्षमता हेतु
सतही (Surface) जल विद्युत उत्पादन केन्द्र		
घूर्णन संदीपन (Rotating excitation)	0.7%	0.7%
स्थैतिक संदीपन (Static excitation)	1.0%	1.2%
भूमिगत जल विद्युत उत्पादन केन्द्र		
घूर्णन संदीपन (Rotating excitation)	0.9%	0.9%
स्थैतिक संदीपन (Static excitation)	1.2%	1.3%

अनुसूचीकरण, लेखांकन तथा बिलिंग (Scheduling, Accounting and Billing)

53. अनुसूचीकरण (Scheduling) :

किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु अनुसूचीकरण बावत क्रियाविधि आयोग द्वारा अनुमोदित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (या फिर अन्य कोई संहिता या विनियम) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी जैसा कि इसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए।

54. मापन पद्धति तथा लेखांकन (Metering and Accounting) :

मापन पद्धति (मीटरिंग) तथा लेखांकन हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (या फिर अन्य कोई संहिता या विनियम) के उपबन्ध प्रयोज्य होंगे।

55. प्रभारों की बिलिंग तथा भुगतान (Billing and Payment of Charges):

55.1 विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा इन विनियमों के अनुसार क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों हेतु देयक (बिल) मासिक आधार पर प्रस्तुत किये जाएंगे तथा हितग्राहियों /लाभार्थियों द्वारा प्रयोज्य भुगतान सीधे विद्युत उत्पादन कम्पनी को किये जाएंगे :

परन्तु हितग्राही/लाभार्थी द्वारा द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कार्यालय में मूल देयक की भौतिक प्रतिलिपि और/अथवा विद्युत उत्पादन कम्पनी के प्राधिकृत व्यक्ति के अधिकारिक ई-मेल आईडी के माध्यम से प्रेषित किये गये मूल देयक के प्रतिरूपण (स्कैन की गई प्रतिलिपि) द्वारा बिल की प्रस्तुति को वैध माना जाएगा:

परन्तु आगे यह और कि कम्पनी के प्रबंध संचालक अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरकर्ता अथवा हस्ताक्षरकर्ताओं (केवल अधिकारी पदनाम के रूप में) को अग्रिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची या प्रयोजन में किसी परिवर्तन को इसी विधि के अनुसार सम्प्रेषित किया जाएगा।

55.2 किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में क्षमता प्रभार (Capacity Charge) का भुगतान विद्युत उत्पादन केन्द्र के हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा किसी माह हेतु विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता में उनके प्रतिशत अंशदान के अनुसार (अनावंटित क्षमता में से किये गये किसी आवंटन को सम्मिलित करते हुए) परस्पर वितरित किया जाएगा। किसी जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों (energy charges) का भुगतान विद्युत

उत्पादन केन्द्र के हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा परस्पर वितरित विक्रय-योग्य क्षमता (saleable capacity) (जिसका अवधारण उनके गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा के तत्संबंधी क्षमता को घटाने के पश्चात् किया जाएगा) विद्युत उत्पादन केन्द्र के अंशदान के अनुपात में (अनावंटित क्षमता में किये गये किसी आवंटन को सम्मिलित कर) हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा निम्न दर्शाई गई टीप 3 के अनुसार किया जाएगा।

टीप 1 :

राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों की कुल क्षमता में प्रत्येक हितग्राही/लाभार्थी के अंशदान/आवंटन का अवधारण राज्य शासन द्वारा अनावंटित क्षमता में से किये गये किसी आवंटन को सम्मिलित कर किया जाएगा। ये अंशदान स्टेशन क्षमता के प्रतिशत के रूप में प्रयोज्य होंगे तथा किसी माह के दौरान स्थिर रहेंगे। किसी हितग्राही/लाभार्थी का कुल क्षमता अंशदान, उसके क्षमता अंशदान तथा अनावंटित भाग में से किये गये किसी आवंटन का योग होगा। राज्य शासन द्वारा अनावंटित ऊर्जा में से किये गये किसी विशिष्ट आवंटन के अभाव में, अनावंटित ऊर्जा को आवंटित क्षमता में आवंटित अंशदान के अनुपात के अनुरूप जोड़ दिया जाएगा।

टीप 2 :

हितग्राही/लाभार्थी उनके आवंटित स्थायी अंशदान के अंश को अन्य हितग्राहियों को समर्पित किया जाना प्रस्तावित कर सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में, ऊर्जा के अन्तरण की तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर तथा विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा अन्य राज्यों के साथ निष्पादित किए गए विशिष्ट अनुबंधों के आधार पर जो इस प्रकार के अन्तरणों हेतु क्षेत्र के आन्तरिक/बाह्य रूप से किए जाएंगे, हितग्राहियों के अंशदान प्रत्याशित रूप से राज्य शासन द्वारा किसी कैलेण्डर माह के प्रारंभ से किसी विशिष्ट अवधि हेतु (पूर्ण माह संख्या में) पुनर्आवंटित किये जा सकेंगे। जब भी इस प्रकार के पुनर्आवंटन किये जाते हैं तो हितग्राही/लाभार्थी जो अपने अंशदान को समर्पित करते हों, उन्हें समर्पित किये गये अंशदान हेतु क्षमता प्रभारों के भुगतान की बाध्यता नहीं होगी। उपरोक्तानुसार समर्पित की गई तथा पुनर्आवंटित की गई क्षमता की अवधि हेतु, क्षमता प्रभारों का भुगतान ऐसे राज्यों/हितग्राही द्वारा किया जाएगा जिन्हें/जिसे समर्पित क्षमता आवंटित की जाती है। उपरोक्तानुसार क्षमता के पुनर्आवंटन की अवधि को छोड़कर, विद्युत उत्पादन केन्द्र के हितग्राहियों द्वारा पूर्ण क्षमता प्रभारों का भुगतान अंशदान की आवंटित क्षमता के अनुसार जारी रखा जाएगा। समुचित प्राधिकारी द्वारा ऐसे पुनर्आवंटन (reallocation) तथा प्रत्यावर्तन (reversion) को समस्त संबंधितों को अग्रिम तौर इस प्रकार के पुनर्आवंटन तथा प्रत्यावर्तन के प्रभावशील होने के न्यूनतम तीन दिवस पूर्व सम्प्रेषित किया जाएगा।

टीप ३ :

FEHS, अर्थात् गृह राज्य हेतु निःशुल्क ऊर्जा को प्रतिशत के रूप में 13 प्रतिशत अथवा वास्तविक, इनमें से जो भी कम हो, माना जाएगा (यह प्रावधान मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु लागू नहीं होगा) :

परंतु ऐसे प्रकरणों में जहां किसी जल-विद्युत परियोजना का कार्यस्थल किसी विकासक (जो राज्य द्वारा नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाली कम्पनी नहीं होगी) को बोली की द्विस्तरीय पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा प्रदान किया जाता है, वहां “निःशुल्क ऊर्जा (free energy)” 13 प्रतिशत मानी जाएगी जिसमें विद्युत की 100 यूनिटों से तत्संबंधी ऊर्जा भी सम्मिलित होगी जो परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार को 10 वर्ष की अवधि हेतु उत्पादन केन्द्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से प्रदान की जाएगी :

परन्तु आगे यह और कि विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार को प्रति माह 100 यूनिट निःशुल्क विद्युत से तत्संबंधी मात्रा के प्रावधान का विवरण भी प्रदान किया जायेगा ।

56. छूट (Rebate) :

56.1 विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत देयकों का भुगतान साखपत्र (Letter of Credit) या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण (NEFT)/क्षेत्रीय लेन-देन सकल व्यवस्थापन (RTGS) के माध्यम से बिल प्रस्तुति के 5 दिवस के भीतर किए जाने पर कम्पनी द्वारा 1.5% की छूट प्रदान की जाएगी :

परन्तु यह कि यदि विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) में भिन्न छूट क्रियाविधि प्रदान की जाती है तो इसे विद्युत क्रय अनुबन्ध प्रावधानों के अनुसार नियन्त्रित किया जाएगा ।

व्याख्या : 5 दिवस की गणना करते समय, दिवस संख्या की गणना निरन्तर किसी अवकाश पर विचार किये बगैर की जाएगी । तथापि, यदि अन्तिम दिवस या पाचवां दिवस आधिकारिक अवकाश हो तो छूट के प्रयोजन से पांचवे दिवस को निकटतम अनुवर्ती कार्यकारी दिवस माना जाएगा (आधिकारिक राज्य शासकीय कैलेप्डर के अनुसार जहां प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कार्यालय या हितग्राही/लाभार्थी के प्रतिनिधि का कार्यालय बिल की प्राप्ति या अभिस्वीकृति के प्रयोजन से अवरिथत है) ।

56.2 जहां विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा देयकों का भुगतान देयकों की प्रस्तुति के 5 दिवस पश्चात्, किसी भी दिवस को तथा 30 दिवस के भीतर तथा विद्युत क्रय

अनुबन्ध में उल्लेखित की गई निर्धारित तिथि के अनुसार का प्रावधान हो तो इनमें से जो भी तिथि पूर्व में घटित हो, के अनुसार एक प्रतिशत की छूट (rebate) प्रदान की जाएगी।

57. विलंब भुगतान अधिभार (Late payment surcharge) :

57.1 जहां इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत देय प्रभारों के किसी देयक के भुगतान में देयकों के प्रस्तुतिकरण की तिथि से 45 दिवस से अधिक अवधि का विलंब किया जाता हो अथवा विद्युत क्रय अनुबंध के अनुसार देयकों के प्रस्तुतीकरण की तिथि जो भी पहले हो, वहां विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा समय—समय पर यथा संशोधित भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा जारी विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम 2022 द्वारा निर्दिष्ट विलंब भुगतान अधिभार अधिरोपित किया जाएगा :

परन्तु यह कि यदि विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) में भिन्न विलंब भुगतान अधिभार (LPA) क्रियाविधि प्रदान की गई हो तो इसे विद्युत क्रय अनुबन्ध के उपबन्धों के अनुसार नियन्त्रित किया जाएगा।

57.2 जब तक पक्षों (parties) द्वारा अन्यथा सहमति व्यक्त नहीं की गई हो, किसी हितग्राही/लाभार्थी द्वारा देय प्रभारों को सर्वप्रथम बकाया प्रभारों पर विलंब भुगतान अधिभार के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा तथा तत्पश्चात् विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा बिल किये गये मासिक प्रभारों के विरुद्ध, सर्वाधिक दीर्घकालीन विलम्बित देयक (longest overdue bill) से प्रारंभ करते हुए किया जाएगा।

प्रलाभों का सहभाजन (Sharing of Benefits)

58. मानदण्डों में परिवर्तन के कारण लाभों का सहभाजन (Sharing of gains due to variation in norms) :

58.1 विद्युत उत्पादन कंपनी प्रयोज्य नियन्त्रणीय मानदण्डों (controllable parameters) के वास्तविक निष्पादन के आधार पर प्राप्त किये गये लाभों की गणना निम्नानुसार करेगी :

- (एक) स्टेशन ऊषा दर (Station Heat Rate) ;
- (दो) द्वितीयक ईंधन तेल खपत (Secondary Fuel oil Consumption) ; और
- (तीन) सहायक ऊर्जा खपत (Auxiliary Energy Consumption)

58.2 विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा नियन्त्रणीय कारकों के कारण अर्जित किये गये वित्तीय लाभों का सहभाजन विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों के मध्य वार्षिक आधार पर किया जाएगा। विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में, जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों को छोड़कर, परिचालन मानदण्डों के कारण जैसा कि इसे इस विनियम 58.1 में दर्शाया गया है, वित्तीय लाभों को निम्न सूत्र के अनुसार परिकलित करते हुए इन्हें विद्युत उत्पादन केन्द्रों तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों के मध्य 50 : 50 के अनुपात में सहभाजित किया जाएगा।

शुद्ध लाभ (Net Gain) = ($ECR_N - ECR_A$) x अनुसूचित विद्युत उत्पादन (Scheduled Generation)

जहां,

ECR_N = मानदण्डीय ऊर्जा प्रभार दर, जिसकी गणना स्टेशन ऊषा दर, सहायक ऊर्जा खपत तथा द्वितीयक ईंधन तेल खपत हेतु निर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर की जाएगी।

ECR_A = वास्तविक ऊर्जा प्रभार दर जिसकी गणना माह हेतु वास्तविक स्टेशन ऊषा दर, सहायक ऊर्जा खपत तथा द्वितीयक ईंधन तेल खपत के आधार पर की जाएगी :

परन्तु जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के प्रकरण में, शुद्ध लाभ के वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत के मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत से कम होने के कारण गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी बशर्ते विक्रययोग्य अनुसूचित विद्युत उत्पादन विक्रययोग्य रूपांकन ऊर्जा से अधिक हो तथा तदनुसार विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों के मध्य इसका सहभाजन 50 : 50

के अनुपात में किया जाएगा :

(एक) जब विक्रययोग्य अनुसूचित विद्युत उत्पादन (saleable scheduled generation), मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत के आधार पर विक्रययोग्य रूपांकन ऊर्जा (saleable design energy) से कम हो तथा वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत के आधार पर विक्रययोग्य रूपांकन ऊर्जा से कम या समतुल्य हो तो :

शुद्ध लाभ (Net Gain) (मिलियन रुपयों में) = [(विक्रययोग्य अनुसूचित विद्युत उत्पादन, मिलियन यूनिटों में) – (मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत के आधार पर विक्रययोग्य रूपांकित ऊर्जा, मिलियन यूनिटों में)] x [1.30 या ECR, इनमें से जो भी कम हो]।

(दो) जब विक्रययोग्य अनुसूचित विद्युत उत्पादन वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत के आधार पर विक्रययोग्य रूपांकित ऊर्जा से अधिक हो तो :

शुद्ध लाभ (Net Gain) (मिलियन रुपयों में) = {विक्रययोग्य अनुसूचित विद्युत उत्पादन, मिलियन यूनिटों में} – [(विक्रययोग्य अनुसूचित विद्युत उत्पादन, मिलियन यूनिटों में) x (100 – मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में) / (100 – वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में)} x [1.30 या ECR, इनमें से जो भी कम हो]।

59. ऋण के पुनर्वित्तीय प्रबंधन या पुनर्संरचना के कारण ब्याज की बचत का सहभाजन (Sharing of saving in interest due to re-financing or restructuring of loan) :

59.1 यदि विद्युत उत्पादन कम्पनी को ऋण के पुनर्वित्तीय प्रबंधन (re-financing) या पुनर्संरचना (restructuring) के फलस्वरूप ऐसे पुनर्वित्तीय प्रबंधन अथवा पुनर्संरचना से संबद्ध लागत के लेखांकन के पश्चात् ब्याज दर शुद्ध बचत प्राप्त हो तो इसे हितग्राहियों/लाभार्थियों तथा विद्युत उत्पादन कम्पनी के मध्य 50 : 50 के अनुपात में सहभाजित किया जाएगा।

59.2 किसी विवाद के प्रकरण में, पक्षकारों में से कोई भी एक अपना आवेदन समय–समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ (कारबार का संचालन) विनियम, के अनुसार प्रस्तुत कर सकेगा :

परंतु हितग्राही/लाभार्थी द्वारा ऋण के पुनर्वित्तीय प्रबंधन से उठने वाले किसी विवाद के विचाराधीन रहते हुए, विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा ब्याज के

कारण किये गये किसी दावे के भुगतान को रोका नहीं जाएगा।

60. गैर-विद्युत दर आय का सहभाजन (Sharing of Non-Tariff Income) :

विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में निम्न के कारण गैर-विद्युत-दर शुद्ध आय (non-tariff net income) का सहभाजन हितग्राहियों/लाभार्थियों तथा विद्युत उत्पादन कम्पनी के मध्य 50 : 50 के अनुपात में वार्षिक आधार पर किया जाएगा :

- (क) भूमि या भवनों के भाड़े से प्राप्त आय (Income from rent of land or buildings) ;
- (ख) रद्दी माल के विक्रय से प्राप्त आय (income from sale of scrap) ;
- (ग) राखड़ के विक्रय से प्राप्त आय (Income from sale of fly ash) ;
- (घ) सामग्री प्रदायकों या ठेकेदारों को प्रदत्त अग्रिम राशियों पर प्राप्त ब्याज राशि (Interest on advances to suppliers or contractors) ;
- (ङ) कर्मचारी आवास—गृहों से प्राप्त भाड़ा राशि (Rental from staff quarters) ;
- (च) ठेकेदारों से प्राप्त भाड़ा राशि (Rental from contractors) ;
- (छ) विज्ञापनों से प्राप्त आय (Income from advertisements) ;
- (ज) इको—पर्यटन से प्राप्त आय (Income from Eco-tourism) ;
- (झ) पूंजी निवेश राशियों तथा बैंक शेष राशियों से प्राप्त ब्याज राशि (Interest on investments and bank balances) :
- (ञ) निविदा प्रलेखों (tender documents) के विक्रय से प्राप्त आय (Income from sale of tender documents); और
- (ट) ऊर्जा बचत प्रमाण—पत्रों के विक्रय से प्राप्त आय (Income generated from sale of ESCerts) :

परन्तु विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा संचालित व्यवसाय से सुसंबद्ध पूंजी पर प्रतिलाभ में से किये गये पूंजी निवेश से अर्जित ब्याज या लाभांश राशि को गैर-विद्युत दर (टैरिफ) आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि विद्युत उत्पादन कम्पनी आयोग को अपनी गैर-विद्युत दर (टैरिफ) आय के पूर्वानुमान के पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगी। अंकेक्षित लेखों के आधार पर गैर-विद्युत दर आय का भी सत्यापन कराया जाएगा।

61. स्वच्छ विकास क्रियाविधि के प्रलाभों का सहभाजन(Sharing of Clean Development Mechanism Benefits) :

स्वच्छ विकास क्रियाविधि के अन्तर्गत अनुमोदित उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाओं (emission reduction projects) से कार्बन आकलन की प्राप्तियों का परस्पर सहभाजन निम्न रीति के अनुसार किया जाएगा :

- (क) स्वच्छ विकास क्रियाविधि के कारण सकल प्राप्तियों की शत—प्रतिशत राशि परियोजना के विकास द्वारा विद्युत उत्पादन केन्द्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के प्रथम वर्ष में स्वयं के पास धारित रखी जाएगी ; और
- (ख) द्वितीय वर्ष में हितग्राहियों/लाभार्थियों का अंशदान 10 प्रतिशत होगा जिसमें उत्तरोत्तर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाएगी जिसके 50 प्रतिशत तक पहुंचने के पश्चात् प्राप्तियों का सहभाजन विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों के मध्य समान अनुपात में किया जाएगा ।

विविध प्रावधान (Miscellaneous Provisions)

62. प्रचालन के मानदण्डों के परिसीमन का उच्चस्थ होना (Operational Norms to be ceiling norms) :

इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये विनियम उच्चस्थ मानदण्ड हैं तथा विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राहियों को समुन्नत मानदण्डों के प्रति सहमत होने से प्रतिबंधित नहीं करेंगे तथा यदि समुन्नत मापदण्डों के प्रति सहमति बनती हो तो ऐसे मानदण्ड विद्युत-दर के अवधारण हेतु लागू किये जा सकेंगे।

63. उच्चतम विद्युत-दर से विचलन (Deviation from ceiling tariff) :

- 63.1 अवधारित की गई विद्युत-दर उच्चतम सीमा होगी। विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राही/लाभार्थी परस्पर निम्नतर विद्युत-दर (टैरिफ) प्रभारित करने हेतु भी सहमत हो सकते हैं।
- 63.2 विद्युत उत्पादन कम्पनी अदायगी की आवश्कयता के आधार पर न्यून अवमूल्यन/अवक्षयण के कारण इन विनियमों की वैधता के भीतर रहते हुए निम्न विद्युत-दर प्रभारित करने बाबत विकल्प का चयन कर सकेगी। ऐसे प्रकरण में उपयोगी जीवनकाल के दौरान विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा अवमूल्यन/अवक्षयण में कमी के कारण प्रतिप्राप्त न किये गये अवमूल्यन की वसूली इन विनियमों में उपयोगी जीवनकाल के बाद की जा सकेगी।
- 63.3 विद्युत उत्पादन कम्पनी इन विनियमों की वैधता के भीतर रहते हुए परिचालन मापदण्डों से विचलन के बारे में प्रचालन एवं संधारण व्ययों को कम करने, पूँजी पर घटे हुए प्रतिलाभ तथा इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रोत्साहन के बारे में सहमति व्यक्त करते हुए निम्न विद्युत-दर प्रभारित करने बाबत विकल्प का चयन कर सकेगी।
- 63.4 आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उच्चतम विद्युत-दर में विचलन विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों के मध्य सम्मत तिथि से प्रभावशील होगी।
- 63.5 विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा विद्युत उत्पादन केन्द्र के हितग्राहियों को उपरोक्त विनियमों 63.1 से 63.3 के अनुसार निम्नतर विद्युत-दर प्रभारित करने हेतु आयोग से सम्पर्क करना होगा। लेखे के विवरण तथा विनियम 63.1 से 63.3 के अन्तर्गत वास्तविक रूप से प्रभारित की गई विद्युत-दर को सत्यापन के समय

प्रस्तुत करना होगा।

- 63.6 जहां विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा परस्पर सहमति के आधार पर विनियमों 63.1 से 63.3 के अनुसार निम्नतर दर प्रभारित करने का निर्णय लिया गया हो वहां समस्त विद्युत-दर (agreed tariff) में इन विनियमों के अनुसार पूँजीगत लागत तथा अतिरिक्त पूँजीगत व्ययों के आधार पर सत्यापन के समय ऊर्ध्वमुखी पुनरीक्षण (upward revision) नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि जहां सत्यापित की गई विद्युत-दर (टैरिफ) सम्मत विद्युत-दर (agreed tariff) से कम हो वहां विद्युत उत्पादन कम्पनी केवल ऐसी सत्यापित विद्युत-दर ही प्रभारित करेगी :

परन्तु आगे यह और कि पक्षों के मध्य सम्मत विद्युत-दर (agreed tariff) तथा सत्यापित विद्युत-दर (true-up tariff) इन विनियमों के विनियम 7.13 के अनुसार किया जाएगा।

64. विदेशी विनिमय दर परिवर्तन का समायोजन(Hedging of Foreign Exchange Rate Variation) :

- 64.1 विद्युत उत्पादन कंपनी विदेशी विनिमय की अनावृत्ति को विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु विदेशी मुद्रा में प्राप्त किये गये ऋण पर ब्याज तथा विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में समायोजन आंशिक अथवा पूर्ण रूप से विद्युत उत्पादन कंपनी की स्वेच्छानुसार होगा, कर सकेगी।
- 64.2 जब कभी भी विद्युत उत्पादन कम्पनी उसके द्वारा अनुमोदित समायोजन नीति के अंतर्गत किसी समायोजन संबंधी क्रिया को निष्पादित करती हो तो विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा संबद्ध हितग्राहियों/लाभार्थियों को तीस दिवस के भीतर ऐसी व्यवस्थाओं के निष्पादन बाबत अवगत कराया जाएगा।
- 64.3 प्रत्येक विद्युत उत्पादन कम्पनी मानदण्डीय विदेशी ऋण से तत्संबंधी विदेशी विनिमय दर परिवर्तन से संरक्षण की लागत की वसूली, सुसंगत वर्ष में, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उक्त अवधि के दौरान जबकि वह व्यय के रूप में उद्भूत हो, करेगी तथा इस प्रकार विदेशी विनिमय दर परिवर्तन से तत्संबंधी अतिरिक्त रूपयों के भुगतान के दायित्व को, समायोजित किये गये विदेशी ऋण के विरुद्ध अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।
- 64.4 उक्त सीमा, जहां तक विद्युत उत्पादन कंपनी विदेशी विनिमय अनावृत्ति को

समायोजित करने में असमर्थ रहे, अतिरिक्त रूपयों में भुगतान के दायित्व हेतु ब्याज का भुगतान तथा ऋण की अदायगी जो मानदण्डीय विदेशी मुद्रा ऋण के सुसंगत वर्ष से तत्संबंधी हो, को अनुज्ञेय किया जाएगा बशर्ते यह विद्युत उत्पादन कंपनी अथवा उसके सामग्री प्रदायकर्ता अथवा ठेकेदारों के कारण उद्भूत न हो।

65. लागत समायोजन अथवा विदेशी विनिमय दर परिवर्तन की वसूली(Recovery of Cost of hedging or Foreign Exchange Rate Variation-FERV) :

65.1 प्रत्येक विद्युत उत्पादन कंपनी समायोजन संबंधी लागत तथा विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को आय या व्यय के रूप में उक्त अवधि के दौरान, जब वह उद्भूत हो, वर्ष—दर—वर्ष आधार पर वसूल करेगी।

65.2 विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा लागत के समायोजन या विदेशी विनिमय दर परिवर्तन की वसूली हितग्राहियों/लाभार्थियों से प्रत्यक्ष रूप से आयोग को आवेदन प्रस्तुत किये बगैर की जा सकेगी :

परन्तु लागत समायोजन अथवा विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण दावा की गयी राशियों के बारे में हितग्राहियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निराकरण हेतु विद्युत उत्पादन कंपनी आयोग के समक्ष अपना आवेदन उसके निर्णयार्थ प्रस्तुत कर सकेगी।

66. आवेदन शुल्क, प्रकाशन व्यय तथा अन्य सांविधिक प्रभार (Application fee, publication expenses and other statutory charges) :

66.1 हितग्राही/लाभार्थी द्वारा निम्न शुल्कों, प्रभारों तथा व्ययों का प्रत्यर्पण प्रत्यक्ष रूप से नीचे दर्शाई गयी रीति अनुसार किया जाएगा :

(एक) आवेदन दाखिल किये जाने संबंधी शुल्क तथा विद्युत—दर (टैरिफ) के अनुमोदन हेतु आवेदन संबंधी सूचना के प्रकाशन बावत व्ययों की वसूली आयोग के विवेकानुसार, विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा हितग्राहियों/लाभार्थियों से प्रत्यक्ष रूप से की जा सकेगी।

(दो) आयोग किसी शुल्क अथवा व्ययों के प्रत्यर्पण बावत अनुमति जैसा कि उसके द्वारा उचित समझा जाए, प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई पश्चात् तथा लिखित कारणों के अभिलेखन पश्चात् प्रदान कर सकेगा।

(तीन) आयोग द्वारा अवधारित किये गये राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों तथा पारेषण प्रभारों को व्यय माना जाएगा यदि वे विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा भुगतानयोग्य हों।

- (चार) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र/राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रभार, जैसा कि वे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अवधारित किये गये हों, को भी व्यय माना जाएगा यदि वे विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा भुगतानयोग्य हों।
- 66.2** किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा प्राप्त की गई किसी भूमि हेतु पट्टे को भाड़े (lease rent) या पट्टे पर, यदि कोई हो, जो शासन को वार्षिक आधार पर देय हो प्रकरण—दर—प्रकरण आधार पर दस्तावेजी प्रमाण (documentary proof) प्रस्तुत करने पर पट्टा अनुबन्ध (lease agreement) के अनुसार सत्यापन के समय युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन विचार किया जाएगा।
- 66.3** विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत उत्पादन केन्द्रों से राज्य सरकार को विद्युत उत्पादन के प्रयोजन से विद्युत शुल्क, उपकर तथा जल प्रभार, यदि भुगतानयोग्य हों तो आयोग द्वारा इन्हें पृथक से अनुज्ञेय इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डीय मापदण्डों पर विचार करते हुए किया जाएगा तथा इन्हें वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सत्यापित किया जाएगा :
- परन्तु यदि विद्युत शुल्क को सहायक खपत दर पर लागू किया जाता है तो विद्युत शुल्क की ऐसी राशि को विद्युत उत्पादन केन्द्र की मानदण्डीय सहायक खपत पर लागू किया जाएगा (कालोनी की खपत को छोड़कर) तथा इसे प्रत्येक हितग्राही/लाभार्थी हेतु माह के दौरान उनके अनुसूचित प्रेषण के अनुपात में संविभाजित किया जाएगा।
- 66.4** उड़न राख (Fly Ash) की उपयोगिता तथा परिवहन हेतु व्ययों का भुगतान भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक S.O. 5481 (E) दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से जारी दिशा—निर्देशों के एवं समय—समय पर जारी संशोधन अनुसार किया जाएगा।
- परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा उड़न राख की उपयोगिता एवं परिवहन के बारे में पृथक लेखे/अभिलेख संधारित किये जाएंगे तथा इनका मिलान वार्षिक अंकेक्षित लेखों के साथ किया जाएगा जिसे वैधानिक अंकेक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा। विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा इन व्ययों को पूर्ण विवरणों मय सहायक प्रलेखों के तत्संबंधी प्रापक (procurer) को उपलब्ध कराने होंगे।
- 67. प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक अधिप्राप्ति (Public Procurement through Competitive Bidding) :**
- विद्युत उत्पादन कम्पनी किसी विशिष्ट विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु उपकरण की अधिप्राप्ति, कार्यों का निष्पादन तथा सेवाओं की प्राप्ति प्रतिस्पर्धात्मक बोली की पारदर्शी

प्रक्रिया के माध्यम से करेगी :

परन्तु यह कि कतिपय आपवादिक परिस्थितियों में उपकरणों, कार्यों तथा सेवाओं की प्राप्ति अन्य रीतियों के अनुसार भी की जा सकेगी जैसा कि इन्हें भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियमों के अधीन निर्दिष्ट किया गया है।

68. शिथिल करने संबंधी शक्ति (Power of Relax) :

आयोग लिखित कारणों के अभिलेखन पश्चात् इन विनियमों से संबंधित कतिपय प्रावधानों को स्वप्रेरणा से या हित रखने वाले किसी पक्षकार द्वारा उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर शिथिल कर सकेगा।

69. कठिनाई दूर करने की शक्ति (Power to Remove Difficulty) :

इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग आदेश द्वारा, अधिनियम अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विनियमों के उपबन्धों से अनुअसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगा जो इन विनियमों के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

70. निरसन तथा ब्यावृत्ति (Repeal and Savings) :

70.1 विनियम अर्थात् “मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2020 {आरजी-26 (IV), वर्ष 2020}” जो राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 28.02.2020 द्वारा संशोधनों के साथ सहपठित है, जैसा कि वह इस विनियम की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

70.2 इन विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

70.3 इन विनियमों में की गई कोई भी बात आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता के मामलों में व्यवहार करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगी, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलेखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो।

70.4 इन विनियमों में की गई कोई भी बात स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के अधीन किसी ऐसे मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगी, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित न की गई हो।

और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जिन्हें आयोग उचित समझे ।

71. स्वप्रेरण आदेश तथा व्यावसायिक दिशा-निर्देश जारी करना (Issue of Suo-Moto orders and Practice directions) :

आयोग समय—समय पर इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में आदेश तथा व्यावसायिक दिशा-निर्देश जारी कर सकेगा जैसा कि आयोग द्वारा प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक मामलों में उचित समझे जाएं ।

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2024” के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

डॉ. उमाकान्त पाण्डा
आयोग सचिव

परिशिष्ट—एक

विद्यमान परियोजनाओं हेतु अवमूल्यन अनुसूची

(Depreciation Schedule for Existing Projects)

सरल क्रमांक	परिसम्पत्ति विवरण (Asset Particular)	अवमूल्यन दर (उपादेय मूल्य = 10%)
		नियत किस्त पद्धति द्वारा
A	संपूर्ण स्वामित्व के अन्तर्गत भूमि	0.00%
B	पट्टे के अन्तर्गत भूमि	
(a)	भूमि में निवेश हेतु	3.34%
(b)	रथल की सफाई हेतु लागत के लिये	3.34%
(c)	जल—विद्युत परियोजना के प्रकरण में जलाशय हेतु भूमि	3.34%
C	नवीन क्रय की गई परिसम्पत्तियां	
(a)	उत्पादन विद्युत केन्द्रों पर संयंत्र तथा मशीनरी	
(i)	जल—विद्युत	5.28%
(ii)	वाष्प विद्युत एनएचआरबी तथा वेस्ट हीट रिकवरी वाष्पयंत्र	5.28%
(iii)	डीजल, विद्युत तथा गैस संयंत्र	5.28%
(b)	कूलिंग टावर तथा परिचालित जल प्रणालियां	5.28%
(c)	द्रव चालित कार्य जो निम्न द्रवप्रणालियों के भाग हैं	
(i)	बांध, स्पिलवे, वीयर, नहरें, लौहयुक्त, कांक्रीट फ्ल्यूम्स तथा सायफन	5.28%
(ii)	लौहयुक्त कांक्रीट पाईप लाइनों तथा सर्ज टैंक, इस्पात पाईपलाईन, स्लूसगेट, इस्पात सर्ज टैंक, द्रवचालित नियंत्रण वाल्व तथा द्रवचालित कार्य	5.28%
(d)	भवन निर्माण तथा सिविल अभियांत्रिकी कार्य	
(i)	कार्यालय तथा शोरूम	3.34%
(ii)	ताप—ऊर्जा—विद्युत उत्पादक संयंत्र युक्त	3.34%
(iii)	जल—विद्युत उत्पादक संयंत्र से युक्त	3.34%
(iv)	अस्थाई निर्माण कार्य जैसे काष्ठ संरचनाएं	100%
(v)	कच्ची सड़कों के अतिरिक्त अन्य सड़कें	3.34%
(vi)	अन्य	3.34%
(e)	ट्रांसफार्मर गुमटियां, उपकेन्द्र उपकरण तथा अन्य स्थाई यंत्र	
(i)	ट्रांसफार्मर, नींव समिलित कर जिनकी क्षमता 100 केवीए या इससे अधिक हो	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
(f)	स्विचगियर, केबल कनेक्शन समिलित करते हुए	5.28%
(g)	तड़ित चालक	
(i)	विद्युत केन्द्र (स्टेशन) प्रकार	5.28%
(ii)	पोल प्रकार	5.28%
(iii)	सिन्क्रोनस कन्डेन्सर	5.28%
(h)	बैटरियां	9.50%
(i)	भूमिगत केबल, संयुक्त बाक्स तथा विच्छेदित बाक्स समिलित कर	5.28%
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	5.28%

(i)	शिरोपरि तन्तुपथ, केबल टेकों को सम्मिलित कर	
(i)	फेब्रिकेटेड स्टील पर तन्तुपथ, जो 66 केवी से अधिक की टर्मिनल वोल्टेज पर परिचालित है	5.28%
(ii)	इस्पात टेकों पर तन्तुपथ जो 132 केवी से अधिक तथा 66 केवी से कम वोल्टेज पर परिचालित है	5.28%
(iii)	इस्पात अथवा लौहयुक्त कांक्रीट टेकों पर तन्तुपथ	5.28%
(iv)	उपचारित काष्ठ टेका पर तन्तुपथ	5.28%
(j)	मापयंत्र (मीटर)	5.28%
(k)	स्वचालित वाहन	9.50%
(l)	वातानुकूलित संयंत्र	
(i)	स्थिर	5.28%
(ii)	वहनीय	9.50%
(m)	कार्यालयीन फर्नीचर तथा फर्निशिंग	6.33%
(i)	कार्यालयीन उपकरण	6.33%
(iii)	आन्तरिक वायरिंग, फिटिंग्स तथा उपस्कर को सम्मिलित करते हुए	6.33%
(iv)	पथ—प्रकाश के जुड़नार (फिटिंग्स)	5.28%
(n)	भाड़े पर प्रदाय किये गये उपस्कर	
(i)	मोटरों को छोड़कर	9.50%
(ii)	मोटरें	6.33%
(o)	संचार उपकरण	
(i)	रेडियो तथा उच्च आवृत्ति संवाहक प्रणाली	15.00%
(ii)	दूरभाष लाइनें तथा दूरभाष	15.00%
(iii)	फायबर आप्टिक	5.28%
(p)	संसूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, सॉफ्टवेयर को सम्मिलित करते हुए	15.00%
(q)	ऐसी समस्त परिसंपत्तियां जो उपरोक्त के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की गई हैं	5.28%

टीप : जहां किसी विशिष्ट सम्पत्ति का जीवनकाल परियोजना के उपयोगी जीवनकाल से कम अवधि का हो वहां ऐसी विशिष्ट परिसम्पत्ति का जीवनकाल कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा तत्संबंधी जारी अनुवर्ती संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

नवीन परियोजनाओं हेतु अवमूल्यन अनुसूची(Depreciation Schedule for New Projects)

सरल क्रमांक	परिसम्पत्ति विवरण (Assets Particulars)	अवमूल्यन दर (उपादेय मूल्य = 10%)
		नियत किस्त पद्धति द्वारा
A	संपूर्ण स्वामित्व के अन्तर्गत भूमि	0.00%
B	पट्टे के अन्तर्गत भूमि	
(a)	भूमि में निवेश हेतु	3.34%
(b)	रथल की सफाई हेतु लागत के लिये	3.34%
(c)	जल-विद्युत परियोजना के प्रकरण में जलाशय हेतु भूमि	3.34%
C	नवीन क्रय की गई परिसम्पत्तियां	
(a)	उत्पादन विद्युत केन्द्रों पर संयंत्र तथा मशीनरी	
(i)	जल-विद्युत	4.22%
(ii)	वाष्प विद्युत एनएचआरबी तथा वेस्ट हीट रिकवरी वाष्पयंत्र	4.22%
(iii)	डीजल, विद्युत तथा गैस संयंत्र	4.22%
(b)	कूलिंग टावर तथा परिचालित जल प्रणालियां	4.22%
(c)	द्रव चालित कार्य जो निम्न द्रवप्रणालियों के भाग हैं	
(i)	बांध, स्पिलवे, वीयर, नहरें, लौहयुक्त, कांक्रीट फ्ल्यूम्स तथा सायफन	4.22%
(ii)	लौहयुक्त कांक्रीट पाईप लाईनों तथा सर्ज टैंक, इस्पात पाईपलाईन, स्लूसगेट, इस्पात सर्ज टैंक, द्रवचालित नियंत्रण वाल्व तथा द्रवचालित कार्य	4.22%
(d)	भवन निर्माण तथा सिविल अभियांत्रिकी कार्य	
(i)	कार्यालय तथा शोरूम	3.34%
(ii)	ताप-ऊर्जा-विद्युत उत्पादक संयंत्र युक्त	3.34%
(iii)	जल-विद्युत उत्पादक संयंत्र से युक्त	3.34%
(iv)	अस्थाई निर्माण कार्य जैसे काष्ठ संरचनाएं	100%
(v)	कच्ची सड़कों के अतिरिक्त अन्य सड़कें	3.34%
(vi)	अन्य	3.34%
(e)	ट्रांसफार्मर गुमटियां, उपकेन्द्र उपकरण तथा अन्य स्थाई यंत्र	
(i)	ट्रांसफार्मर, नींव समिलित कर जिनकी क्षमता 100 केवीए या इससे अधिक हो	4.22%
(ii)	अन्य	4.22%
(f)	स्विचगियर, केबल कनेक्शन समिलित करते हुए	4.22%
(g)	तांडित चालक	
(i)	विद्युत केन्द्र (स्टेशन) प्रकार	4.22%
(ii)	पोल प्रकार	4.22%
(iii)	सिन्क्रोनस कन्डेन्सर	4.22%

(h)	बैटरियां	9.50%
(i)	भूमिगत केबल, संयुक्त बाक्स तथा विच्छेदित बाक्स सम्मिलित कर	4.22%
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	4.22%
(i)	शिरोपरि तन्तुपथ, केबल टेकों को सम्मिलित कर	
(i)	फेब्रिकेटेड स्टील पर तन्तुपथ, जो 66 केवी से अधिक की टर्मिनल वोल्टेज पर परिचालित हैं	4.22%
(ii)	इस्पात टेकों पर तन्तुपथ जो 132 केवी से अधिक तथा 66 केवी से कम वोल्टेज पर परिचालित है	4.22%
(iii)	इस्पात अथवा लौहयुक्त कांक्रीट टेकों पर तन्तुपथ	4.22%
(iv)	उपचारित काष्ठ टेका पर तन्तुपथ	4.22%
(j)	मापयंत्र (मीटर)	4.22%
(k)	स्वचालित वाहन	9.50%
(l)	वातानुकूलित संयंत्र	
(i)	स्थिर	4.22%
(ii)	वहनीय	9.50%
(m)	कार्यालयीन फर्नीचर तथा फर्निशिंग	6.33%
(i)	कार्यालयीन उपकरण	6.33%
(iii)	आन्तरिक वायरिंग, फिटिंग्स तथा उपस्कर को सम्मिलित करते हुए	6.33%
(iv)	पथ—प्रकाश के जुड़नार (फिटिंग्स)	4.22%
(n)	भाड़े पर प्रदाय किये गये उपस्कर	
(i)	मोटरों को छोड़कर	9.50%
(ii)	मोटरें	6.33%
(o)	संचार उपकरण	
(i)	रेडियो तथा उच्च आवृत्ति संवाहक प्रणाली	15.00%
(ii)	दूरभाष लाइनें तथा दूरभाष	15.00%
(iii)	फायबर आप्टिक	4.22%
(p)	संसूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, सॉफ्टवेयर को सम्मिलित करते हुए	15.00%
(q)	ऐसी समस्त परिसंपत्तियां जो उपरोक्त के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की गई हैं	4.22%

टीप : जहां किसी विशिष्ट सम्पत्ति का जीवनकाल परियोजना के उपयोगी जीवनकाल से कम अवधि का हो वहां ऐसी विशिष्ट परिसम्पत्ति का जीवनकाल कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा तत्संबंधी जारी अनुवर्ती संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार होंगे।